खण्ड-255, अंक-8
बुधवार, 3 चैत्र, शक संवत् 1887
(24 मार्च, 1965 ई0)

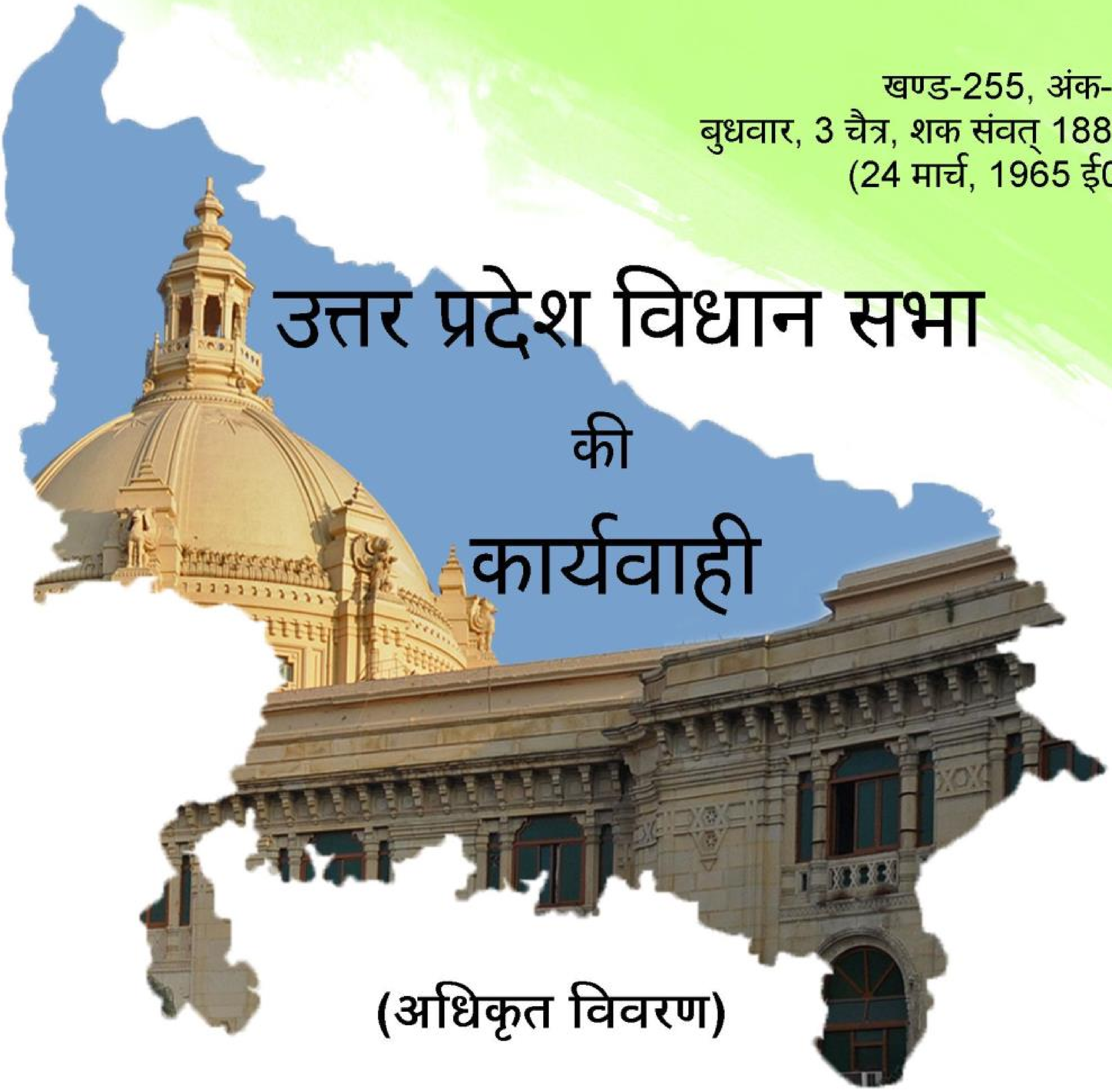

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 255 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	८०३–८०७
प्रश्नोत्तर	८०७–८४०
श्री काशीनाथ मिश्र द्वारा उठाया गया व्यवस्था का प्रश्न	८४०–८४१
लखनऊ में उपल वृष्टि के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना ..	८४१
जिला बहराइच में गेहूं का गलत बीज दिये जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	८४१–८४२
शिक्षकों द्वारा अनशन करने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना (जारी)	८४२
नार्दर्न इंडिया पत्रिका में प्रकाशित विधान सभा की कार्यवाही से सम्बद्ध त्रुटि के विषय में प्राप्त पत्र की सूचना	८४२
शिक्षकों द्वारा अनशन करने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना ..	८४२–८४४
उच्चतम न्यायालय की रिफ्रेंस संख्या १ पर राय के विषय पर चर्चा हेतु समय निर्धारण	८४४
विविध विषय	८४४–८४५
वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय की शिष्ट परिषद् में कार्य करने हेतु ३ सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम	८४५
उत्तर प्रदेश लोक धन (देयों की वसूली) विधेयक, १९६५ (पुरःस्थापित किया गया)	८४५–८५०
१९६५–६६ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १—वृहत-जोतकर, अनुदान संख्या २—भू-राजस्व (मालगुजारी) तथा अनुदान संख्या ४०—दुर्भिक्ष सहायता (जारी) ..	८५१–८९३
लेजिस्लेचर ग्रुप के तत्वाधान में होने वाले भाषण के संबंध में सूचना ..	८९३
१९६५–६६ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १—वहत् जोतकर, अनुदान संख्या २—भू-राजस्व (मालगुजारी) तथा अनुदान संख्या ४०—दुर्भिक्ष सहायता (स्वीकृत) ..	८९४–८९९
नत्थियां	९००–९१०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २४ मार्च, १९६५

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३५९

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अहमद बख्श, श्री
आनन्दसिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री

गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
डल्लाराम, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करवरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल मिश्र, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री

प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्नाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर

सीताराम, डाक्टर
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—गृह मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह तथा शिक्षा उपमंत्री, डाक्टर रामनारायण पांडेय भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २४ मार्च, १९६५

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

*१—श्री बिपिन बिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—
[आठवें बुधवार के लिए स्थगित किया गया।]

*२-३—श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—
[हटा दिया गया।]

विकास खण्ड, नौगढ़ व खेसरहा में पशु-वध-शालायें

*४—श्री जगदीश प्रसाद पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या सरकार बतायेगी कि जिला बस्ती में विकास खंड नौगढ़ और खेसरहा में कितनी वध शालायें बड़े पशुओं (भैंसा आदि) के लिये चल रही है? वे कहां स्थित हैं, क्या इनके पास क्षेत्र समिति, को लाइसेंस चाहिये वे हैं। क्या इन पशुशालाओं के बारे में बड़ा आन्दोलन चल रहा है और तनाव का बातावरण है?

*५—क्या सरकार बिला लाइसेन्स और जनहित के प्रतिकूल चलने वाले उपरोक्त वधशालाओं को बन्द कराने का आदेश तुरन्त देगी?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)—
सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री जगदीशप्रसाद पाण्डेय—

क्या माननीय मंत्री जी इसके साथ इसकी भी जांच करा लेंगे कि जो वहां पशु कटते हैं, वे प्रायः रोगी और मृतप्राय होते हैं, इसकी कोई जांच होती है या नहीं?

श्री अध्यक्ष—
मंत्री जी, इसकी भी जांच करा ली जाये।

श्री बंशीधर पाण्डेय—

इसीलिये तो जांच हो रही है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्रथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

सन्तान नियन्त्रण

*१—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—

क्या यह सत्य है कि जनता की तरफ से सरकार के पास और समाज कल्याण मन्त्री के पास अभी हाल ही में अगस्त, १९६४ या कुछ पूर्व ऐसे बहुत से सुझाव आये हैं कि हर व्यक्ति को तीन बच्चों से अधिक बच्चे पैदा करने के लिये कानूनन रोका जाय ? यदि हां, तो इस मामले में क्या हो रहा है ?

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)—

जी नहीं। इस प्रकार के कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुये।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—

क्या इस बढ़ती हुई मंहगाई को देखते हुये स्वयं सरकार इस बात पर विचार करने की कोशिश करेगी कि कोई भी व्यक्ति तीन बच्चों से अधिक बच्चे न पैदा कर सके और ऐसा करने वाले को रोका जाये ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

फैजाबाद कमिश्नरी में जन शक्ति योजनान्तर्गत कार्य

*२—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फैजाबाद कमिश्नरी के कितने जिलों में जन-शक्ति योजना के अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

सब जिलों में।

*३—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या यह बात सही है कि उक्त कमिश्नरी में सड़क निर्माण का कार्य केवल बाराबंकी जिले में ही अभी तक इस योजना के अन्तर्गत लागू नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जी हां। केवल फारेस्टेशन की स्कीम जो इस जिले के रूदौली ब्लाक में पहले से चल रही है कोई और स्कीम नहीं चालू की जा सकती, क्योंकि यह जिला अधिक पिछड़े जिलों में नहीं आता।

*४—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार हैदरगढ़ से सुबेहां, हैदरगढ़ से महाराजगंज से हैदरगढ़, शिवगढ़ तथा श्रमदान मार्ग बाबा हसवापुर भेलवल से गूढ़ा को जन-शक्ति योजना के अन्तर्गत शामिल कर सड़क निर्माण की व्यवस्था करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जी नहीं, क्योंकि बाराबंकी जिला अधिक पिछड़े क्षेत्रों में नहीं आता।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या यह बात सही है कि इस योजना का जो तृतीय चरण चल रहा है, उसमें इस योजना के अन्तर्गत हैदरगढ़ से सुबेहां मार्ग की साढ़े तीन लाख रुपये की योजना बनायी गयी थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

श्रीमन्, यह भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त एक योजना है और तीसरे चरण की योजना की जो बात माननीय सदस्य ने कही, वह ब्लाकों से जिलों में स्कीम बन कर आयी थी और उन सब ब्लाकों को हमने भारत सरकार के पास रिकमेण्ड करके भेज दिया था। किन्तु एमरजेन्सी आ जाने के कारण भारत सरकार ने सब ब्लाकों को लेने में असमर्थता प्रकट की और कहा कि जो पिछड़े हुये ब्लाक हैं वहीं यह योजना चलायी जाये और कुछ सीमित ब्लाकों में ही यह चले।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

यह स्कीम १८ जिलों में लागू है और इन १८ ब्लाकों के लिये तृतीय पंचवर्षीय योजना में ३३३.२९ लाख रुपया रखा गया था उसमें से अब तक पहले साल २४ लाख और दूसरे साल ५० लाख, इस प्रकार कुल ७४ लाख रुपया ही व्यय हुआ है। तो किस प्रकार से आपका कार्य चल रहा है और इतना कम रुपया क्यों खर्च किया गया ?

श्री बंशीधर पांडेय—

यह आपकी बात तथ्य से परे है। ९ करोड़ ६१ लाख रुपया मैनपावर मोबीलाईजेशन स्कीम के लिये रखा गया था, जो कि योजना १८ जिलों में नहीं २३ जिलों में मंजूर हुई थी। उसमें से अब तक करीब २ करोड़ रुपया खर्च हो गया है। इसके लिये जो सहायक इंजीनियर, टीम लीडर के लिये सारी कार्यवाही की जा रही है और आशा है कि यह जो सारा रुपया है, उसको निर्धारित अवधि तक खर्च कर लेंगे और कार्य पूरा कर लेंगे। इस रुपये के बारे में बहुत लोगों के दिमाग में है कि यह लैप्स करता है, ऐसी बात नहीं है।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष में ३.५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी थी, जिसमें से १.८७ लाख व्यय हुआ है। तो क्या सरकार इस बात को आगे देखते हुये कि यह सुबेहा क्षेत्र भी पिछड़ा हुआ है और सुलतानपुर और फैजाबाद की सीमा से मिला हुआ है जिसकी योजना बनाई गयी है, तो क्या इसे भी जनशक्ति योजना के अन्तर्गत लेने की कृपा करेंगे ? इस दृष्टिकोण को रखते हुये कि योजना में इसे शामिल किया गया है तो, क्या मंत्री जी इस सड़क को भी टेकअप करने की कृपा करेंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय—

मैंने तो पहले कहा कि मुझे बड़ा खेद है कि भारत सरकार का सिग्नल जिस क्षेत्र के लिये होगा उसमें चालू होगा। चूंकि २३ जिले के १६९ क्षेत्रों के अलावा और जगह भी रखना चाहते हैं, लेकिन जब तक उनकी तरफ से सिग्नल न हो, हमारी तरफ से मजबूरी है।

श्री ऊदल—

क्या इन १८ जिलों में जो यह स्कीम चल रही है उसके लिये सरकार ने ३३३.२९ लाख रुपये एलाट किये थे जिसमें से सिर्फ १६९ लाख खर्च हुये, तो क्या इसके बारे में सरकार को कोई जानकारी है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

यह तो आपने एक निश्चत प्रश्न पूछा है, इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी। इसमें तो पी० डब्लू० डी०, इर्रीगेशन, फारेस्ट और दूसरे भी विभागों को क्या दिया जाता है, यह भी देखना होगा।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बतायेगी कि जनशक्ति योजना के अन्तर्गत गोंडा जिले में कौन-कौन कार्य शुरू हुये हैं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

मैंने इस तरह के बहुत से उत्तर दिये हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

जनशक्ति योजना के अन्दर जिन सड़कों को लिया गया है उनपर पुल अथवा पुलिया बनाने में कठिनाई सीमेन्ट वगैरह के अभाव के कारण है ? यदि हाँ, तो क्या कोई व्यवस्था सीमेंट दिलाने की उनकी तरफ से हो रही है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

यह बात सही है कि सीमेंट की कमी है । हमारे विकास अधिकारी अभी दिल्ली गये थे और उन्होंने इस बात का प्रयास किया है कि जो इस प्रकार की सड़कें हैं और लघु सिंचाई के कार्यक्रम हैं उनको प्राथमिकता होगी और वहां से उनको सीमेंट दिया जाय ।

श्री सुखरामदास (जिला फैजाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि फैजाबाद जिले में मैनपावर स्कीम के अन्तर्गत कौन-कौन-सी सड़कें ली गयीं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

इसके लिये तो सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

आपने सूचना दी कि ९ करोड़ रुपया इस मद में है और लगभग २ करोड़ रुपये खर्च कर पाये हैं, लेकिन उसके लिये सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि उसका काफी बड़ा भाग केन्द्रीय सरकार देती है और केन्द्रीय सरकार के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं इस संबंध में उनके कारण आपको योजनाओं को चलाने में काफी कठिनाई पड़ रही है । इसके अलावा कई विभाग आपके भी हैं जिनमें सामंजस्य नहीं है, इसलिये इस रुपये का काफी बड़ा भाग खर्च नहीं हो पा रहा है और जो योजनायें बनाई गईं उनमें काम नहीं हो रहा है । तो क्या इसको हल करने के लिये राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच वार्ता करके और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में सामंजस्य ला कर के कोई रास्ता निकालेंगे जिससे कि वे स्कीमें जल्दी से लागू हों ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)—

अध्यक्ष महोदय, ९ करोड़ रुपया ४ सीरीज के लिये हुआ, लेकिन चीन का जब हमला हो गया तो गवर्नमेन्ट आफ इंडिया से ऐसी हिदायत आयी कि इस वक्त उस काम को धीमा कर दिया जाय । तो जो मोमेन्टम बना था वह भी रुक गया । इस साल इस काम को तेजी से कराया गया और कुछ प्रगति हुई लेकिन इस वक्त कुछ तो मैटीरियल की कमी है और उससे ज्यादा कमी हमारे पास टेकनिकल स्टाफ की है । क्योंकि पहली मरतबा हमारा तजुर्बा था कि इर्रीगेशन डिपार्टमेंट में कुछ काम ऐसा हो गया जिनको स्टाफ ने अच्छी तरह से देखा भाला नहीं और उसमें बड़ा करप्शन हुआ । तो मैं नहीं चाहता कि तेजी में इतना काम कर दिया जिसको देखने भालने वाला कोई न हो और फिर गवर्नमेन्ट पर सारा आरोप आ जाय । इसलिये जब तक स्टाफ नहीं होगा तब तक काम में तेजी नहीं आ सकती । हमने इसके लिये एक नयी सरविसेज खोलने का आदेश दिया है जिसमें पंचायतराज्य के अन्दर इंजीनियर्स और ओवरसियर्स अलग से भरती होंगे ताकि प्रोग्रेस में दिक्कत न हो । यह सब कोशिश कर रहे हैं और हम समझते हैं कि जितना हो सकेगा ज्यादा से ज्यादा काम कराने का हम प्रयत्न करेंगे ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि जो पिछड़े जिले हैं उन्हीं में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है सेन्ट्रल गवर्नमेंट के निदेश के अनुसार। तो मैं जानना चाहता हूं कि चतुर्थ चरण में बलिया जिले के बैरिया ब्लाक नहीं लिया गया जिसमें बांध बांधने की योजना थी और उसमें सीमेन्ट और दूसरे मैटीरियल की आवश्यकता नहीं थी। मैं जानना चाहता हूं कि कौन सी शक्ति का आक्रमण हुआ जिसके कारण बलिया जिले को आपने डिबार कर दिया और उसको नहीं लिया ?

श्री बंशीधर पांडेय—

बलिया जिला और दूसरे भी जिले रूरल मैन पावर में हैं और हमारा प्रयास था कि वह सब उसमें लिये जांय, लेकिन हमने लगभग १५० खंड के लिये सिफारिश की थी पर उन्होंने ३५ खंड ही लिये। पांचवी सीरीज में यह प्रयास किया जायगा कि कुछ और ब्लाक लिये जायं।

मैनपुरी जिले में आर्बिट्रेशन केसेज

*५—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या यह सत्य है कि मैनपुरी जिले के वर्तमान अतिरिक्त जिला सहकारी अधिकारी के पास सन् १९६३ से पहले के अनेकों आरबिट्रेशन केसेज पेंडिंग हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

जी हां। १९६३ से पहले के ७० आर्बिट्रेशन केसेज मैनपुरी जिले के वर्तमान सहकारी अधिकारी के पास पेन्डिंग हैं।

इन कैसेज के निर्णीत न होने के कारणों की जांच की जा रही है।

श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेंगी कि यह जांच कब शुरू की गई और कब यह समाप्त हो जायगी ?

श्री बनारसीदास—

पेंडिंग केसेज की ३ महीने के अन्दर एक रिपोर्ट न केवल मैनपुरी जिले की बल्कि तमाम प्रदेश के संबंध में मंगाने का आदेश दे दिया गया है कि जो आरबिट्रेशन के केसेज एक महीने से ज्यादा के पेंडिंग हैं उनको भेजा जाय।

चौधरी अब्दुल हसीब खां (जिला बहराइच)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस वक्त १९६३ से पहले के कितने केसेज पेंडिंग हैं और उनको खत्म करने में सरकार को क्या दिक्कत है ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो सवाल ही है जिसका उन्होंने जवाब दिया।

चौधरी अब्दुल हसीब खां—

मैं यह जानना चाहता हूं कि उनको निपटाने में सरकार को क्या दिक्कत है ?

श्री बनारसीदास—

इसका उत्तर दिया जा चुका है। पेंडिंग होने का मुख्य कारण यह है कि आमतौर से पार्टीज ने कुछ सबूत पेश नहीं किया और वक्त पर नहीं गये, इसी वजह से इन केसेज के अन्दर देर हो रही है।

लिंग परिवर्तन

*६—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि पिछले पांच साल में उत्तर प्रदेश के कानपुर, लखनऊ, आगरा, बरेली, इलाहाबाद, बनारस जिले में कितने आदमी और औरतों का सैक्स तबदील हुआ ?

चिकित्सा मंत्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—

पिछले पांच वर्षों में कानपुर, लखनऊ, आगरा, बरेली, इलाहाबाद व बनारस जिलों में कोई भी स्त्री या पुरुष सेक्स तबदील की चिकित्सा हेतु राजकीय अस्पताल में नहीं आये।

*७—श्री रियासत हुसैन (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि किस-किस डाक्टर ने आपरेशन किये और किस-किस शफाखाने में इन सैक्स को तबदील कराने की व्यवस्था है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

चूंकि कोई भी स्त्री या पुरुष उक्त जिलों के अस्पताल में सेक्स तबदीली की चिकित्सा हेतु नहीं आये, अतः वहां के डाक्टरों द्वारा आपरेशन किये जाने का प्रश्न नहीं उठता। सभी बड़े अस्पतालों में सेक्स तबदीली संबंधी आपरेशन और चिकित्सा की सुविधायें दी जा सकती हैं।

करमैनी घाट मार्ग संबंधी नाविकों का प्रार्थना-पत्र

*८—श्री जगन्नाथराव (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिलाधीश गोरखपुर के माध्यम से शासन को दिसम्बर, १९६४ अथवा उसके आसपास नाविक जल मजदूर सहकारी समिति कोनी करमैनी घाट, पो० रिगौली बाजार, जिला गोरखपुर द्वारा यह सूचना मिली है कि करमैनी घाट के लिये करमैनी से आने वाले रास्ते को करमैनी निवासी एक व्यक्ति ने रोक दिया है जिससे कि आवागमन बन्द है और घाट की आमदनी को भारी हानि हो रही है तथा माल बाहर ले जाने में भारी संकट खड़ा हो गया है ? यदि हां, तो उस पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई और रास्ता कब साफ हुआ ?

श्री बंशीधर पांडेय—

इस प्रकार का कोई प्रार्थना-पत्र जिलाधीश, गोरखपुर द्वारा राज्य सरकार को नहीं भेजा गया है।

श्री जगन्नाथ राव—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिलाधीश के द्वारा नहीं तो किसी अन्य सूत्र के द्वारा उनको प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है, यदि हां तो उसको बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री बंशीधर पांडेय—

इन्होंने गोरखपुर के कमिश्नर के पास अपना प्रार्थना पत्र दिया था। उस प्रार्थना पत्र की कापी हमारे पास है, लेकिन वहां से यहां कोई नहीं आया।

श्री जगन्नाथ राव—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उनके पास सीधे आया था कमिश्नर के द्वारा ? उस प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बंशीधर पांडेय—

शिकायत की गई कि करमैनी घाट को जो सड़क जाती है उसमें बेड़कूसिंह नाम के एक आदमी ने उस रास्ते को रोककर घाट जाने वाले लोगों के लिये अवरोध पैदा कर दिया था। जब उसकी जांच की गई, तो कोई रुकावट नहीं पाई गई। वह काम चल रहा है। उसका मुकदमा भी चला रखा है।

विकास खंड अधिकारी कोयलसा के विरुद्ध आरोप

*९—श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

क्या विकास मंत्री को पता है कि विकास खंड अधिकारी कोयलसा, जिला आजमगढ़ के विरुद्ध कोई शिकायती पत्र अध्यक्ष, चर्मकला सहकारी समिति कोयलसा, आजमगढ़ ने दिनांक २३ अगस्त, १९६४ को विकास मंत्री को दिया था जब वे आजमगढ़ दौरे के सिलसिले में गये हुये थे ?

*१०—श्री बृजबिहारी—

क्या विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि उस शिकायती पत्र में उक्त बी० डी० ओ० के विरुद्ध कौन-कौन से आरोप लगाये गये थे ?

*११—श्री बृजबिहारी—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उस आवेदन-पत्र के सिलसिले में उक्त बी० डी० ओ० के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की जा सकी है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री बृजबिहारी—

श्रीमन्, आश्चर्य यह है कि एक मर्तबा यह प्रश्न स्थगित हो चुका है ३-३-६५ को और अब फिर कहा जा रहा है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। तो यह समझ में नहीं आता। इसकी आप व्यवस्था कर दें कि यह जल्दी हो जाय।

श्री मैनेजरसिंह—

जब ये बृजबिहारी जी डिप्टी मिनिस्टर थे तब ऐसा ही उत्तर दिया करते थे।

श्री बंशीधर पांडेय—

सूचना इसलिये एकत्रित की जा रही है कि जो उत्तर वह चाहते हैं वह सूचना अभी जिले से प्राप्त नहीं हुई है। अधूरी जवाब देना मैं उचित नहीं समझता हूं।

बेलसर तथा वजीरगंज विकास क्षेत्र में कूप निर्माण-कार्य

*१२—श्री शीतलाप्रसाद (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले के बेलसर तथा वजीरगंज विकास क्षेत्र में क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत कूप बनवाने तथा बोरिंग करवाने का अलग-अलग क्या लक्ष्य है तथा उसके निर्माण के लिये क्या पर्याप्त मात्रा में सीमेंट की व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो कितने टन की ?

श्री राममूर्ति—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*१३–१५—श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—

[सातवें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या १–३ के अन्तर्गत स्थगित किये गये।]

*१६—श्री रामसुन्दर पांडेय—

[आठवें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*१७—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

[आठवें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

स्वास्थ्य विभाग में अस्थायी एवं निलम्बित कर्मचारी

*१८—श्री नवलकिशोर (जिला बरेली) (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में दिनांक १ नवम्बर, १९६४ तक ऐसे कोई नानगजटेड कर्मचारी हैं जो ससपेंड कर दिये गये हैं? यदि हां, तो कौन (नाम व पद सहित) और कब से?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश ने सम्पूर्ण सूचना देने के लिये लगभग २ माह का समय मांगा है। सरकार इस बात की चेष्टा करेगी कि सूचना जल्द से जल्द एकत्रित हो जाय।

*१९—श्री नवलकिशोर—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में दिनांक १ दिसम्बर, १९६४ तक ऐसे कोई गजटेड अफसर हैं जो ससपेंड कर दिये गये हैं? यदि हां, तो कौन (नाम व पद सहित) और कब से? इनमें से कितनों को कोई भी चार्जशीट नहीं दिया गया है और क्यों नहीं?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

सूचना एकत्रित की जा रही है। कुछ अधिक समय लगने की सम्भावना है। सम्पूर्ण सूचना प्राप्त होने पर विधान सभा सचिवालय से यह विभाग स्वयं इस प्रश्न को एजेन्डे में लाने के लिये प्रार्थना करेगा।

*२०—श्री नवलकिशोर—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में ऐसे गजटेड अफसर हैं जिनको अस्थायी तौर से दिनांक १ दिसम्बर, १९६४ तक कार्य करते हुये एक वर्ष से ऊपर हो गया है परन्तु नियमानुसार उनकी स्वीकृति लोक सेवा आयोग से अभी तक नहीं मांगी गई है? यदि हां, तो कौन (नाम व पद सहित) और कब से?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

सूचना एकत्रित की जा रही है। कुछ अधिक समय लगने की सम्भावना है। सम्पूर्ण सूचना प्राप्त होने पर विधान सभा सचिवालय से यह विभाग स्वयं इस प्रश्न को एजेन्डे में लाने के लिये प्रार्थना करेगा।

बेलहरी विकास खण्ड में कूप निर्माण ऋण

*२१—श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेलहरी विकास खंड के अन्तर्गत १९६१–६२ और १९६२–६३ में अल्प सिंचाई योजना और पेय जल योजना तथा कूप निर्माण के अन्तर्गत कितना कितना रुपया ऋण या अनुदान के रूप में किन-किन व्यक्तियों को दिया गया और कितने कुएं उस ऋण या अनुदान के अन्तर्गत बन कर तैयार हो गये हैं?

श्री बंशीधर पांडेय—

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ९००–९०१ पर)।

श्री काशीनाथ मिश्र—

अध्यक्ष महोदय, आप देखें कि इतनी लम्बी सूचना दी गयी है और इसका टाइप भी बड़ा खराब है कि पढ़ने में नहीं आता। मैं सवाल न करते हुये आप से एक व्यवस्था चाहता हूं। सदन में यही सवाल ठाकुर हरगोविन्द सिंह के साथ भी उठा था। मैं जानना चाहता हूं कि यहां माननीय मंत्री जी जो बात कहते हैं वह सही मानी जायगी या सदस्यगण जो बात अपनी आंख से देख कर आये हैं वह बात सही मानी जायगी? जो लिस्ट दी गयी है यह बिलकुल गलत है। मैं वहीं का रहने वाला हूं और जो कुंयें इसमें बने हुए दिखाये गये हैं वे नहीं बने हैं। इस लिस्ट के पहले १५ कुंवे बिलकुल नहीं बने हैं। रामेश्वर सिंह बघउच को १९६१–६२ में और सुमेश्वर सिंह बघउच को १९६२–६३ में अनुदान दिया गया। ये दोनों सगे भाई हैं और दोनों के कुंयें नहीं बने। उत्तर में लिखा है कि एक भाई का बना है और दूसरे का नहीं बना। तो जब उनके कुंयें नहीं बने तो फिर उनको अनुदान क्यों दिया गया?

श्री राममूर्ति—

जैसा कि माननीय सदस्य ने फरमाया, शायद उनको पढ़ने में कुछ भ्रम हुआ है। लिखा हुआ है कि कुंआ नहीं बना और वे कह रहे हैं कि कुंआ बन गया है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

जब कुंआ नहीं बना तो कायदे के अनुसार अनुदान एक मुश्त में वसूल क्यों नहीं कर लिया गया?

श्री राममूर्ति—

ऐसे जो ५ सज्जन हैं, जिन के कुएं नहीं बने उनके बारे में आर्डर हो गया है कि उनसे रकम एक मुश्त वसूल ली जाय।

श्री काशीनाथ मिश्र—

यह आर्डर कब हुआ है और यह कब तक वसूल हो जायगा?

श्री बंशीधर पांडेय—

डेट तो यहां नहीं है, लेकिन आज्ञा हो गयी है और तहसीलदार को आदेश दिया गया है।

श्री हरीनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

इसमें कौन-कौन कुएं अभी नहीं बने हैं और क्या उनके लिये जांच करायी जायगी?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

बड़हलगंज विकास अधिकारी का दौरा भत्ता

*२२—श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विकास खंड बड़हलगंज, जिला गोरखपुर के विकास अधिकारी ने १ जनवरी, सन् १९६४ से ३१ दिसम्बर, सन् १९६४ तक अपने विकास खंड के किन-किन गांवों का दौरा किस तारीख को किया और उसका उन्होंने कितना भत्ता लिया है?

[श्री कल्पनार्थसिंह[

*२३—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विकास खंड बड़हलगंज, गोरखपुर के बी० डी० ओ० ने क्षेत्र के बाहर किस-किस तारीख को दौरा किया है १ जनवरी से लेकर ३१ दिसम्बर, १९६४ तक तथा कितना-कितना भत्ता लिया है ?

श्री राममूर्ति—

वांछित † सूचना माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है।

गाजीपुर जिले में जनशक्ति योजनान्तर्गत सड़कों का निर्माण

*२४—श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में इक्जीक्यूटिव इंजीनियर, पी० डब्लू० डी० रूरल मैन पावर स्कीम के अन्तर्गत ली जाने वाली सड़कों का इस्टीमेट बनाने में कोई प्रेफरेंस नहीं दे रही है और आर० एम० पी० की सड़के भी पी० डब्लू० डी० के स्टैन्डर्ड से बनवाने में धन के दुरुपयोग कराने की चेष्टा कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो ९ करोड़ रुपया जो मिला है, उसमें २ करोड़ आर० एम० पी० में केवल खर्च क्यों हुआ ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जी नहीं ।

न तो गाजीपुर जिले को ९ करोड़ रुपया दिया गया और न वहां दो करोड़ खर्च किया गया ।

*२५—श्री कमलासिंह यादव—

क्या यह सही है कि आर० एम० पी० के अन्तर्गत जो सड़के ब्लाकों में बन रहीं हैं उनका इस्टीमेट समय से न बनने के कारण सारा काम ठप पड़ा हुआ है और गाजीपुर में इक्जीक्यूटिव इंजीनियर के द्वारा इस स्कीम में असफलता हो रही है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जी नहीं, ऐसा नहीं है ।

*२६—श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार आर०एम०पी० स्कीम के अन्तर्गत मेघा, चकिया, ताल, खैरा, खजुरा, ताल धुवार्जुन, टडियाव ताल, बोगना व जलालाबाद व हथियाराम ताल, जिला गाजीपुर से कोई योजना सिचाई संबंधी बनाने पर सरकार सोच रही है ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री बंशीधर पांडेय—

चकिया तथा बोगना ताल पर सिंचाई हेतु रेगुलेटर का निर्माण हो चुका है। शेष तालों के संबंध में भी जांच कराई जा रही है तथा जिले से प्रस्ताव आने पर विचार किया जावेगा ।

श्री कमलासिंह यादव—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कौन मैनपावर स्कीम थी और कौन-कौन सड़कें ली गयीं तथा उनका एस्टीमेट कब तैयार किया गया ?

श्री बंशीधर पांडेय—

यह लिस्ट लम्बी है । लेकिन जो ५–६ सड़कें हैं उनके बारे में सुना देना चाहता हूं । जो सैदपुर-सादात सड़क है वह ३ मील लम्बी है, जिसमें १ लाख ८० हजार का एस्टीमेट था। ७५००० रुपया खर्च हो चुका है जनवरी, १९६५ तक और करीब २ मील बन चुकी है ।

---

† छापी नहीं गई ।

सादात की तृतीय चरण में स्वीकृति है। उसमें साढ़े ४ लाख रुपया मंजूर हुआ था और वह डेढ़ मील बन चुकी है और काम अधूरा है। बिरनों में भरभर जगरामपुर सड़क है। इसमें अभी प्रशासकीय तथा तकनीकी स्वीकृति अपेक्षित है, लेकिन काम शुरू है, क्योंकि रुपया खर्च हो गया है। गाजीपुर की छितईपारा समाकरपुर ट्यूबवेल सड़क है। यह काम भी समाप्त है। भंवर कोले की कंडेसर लथाडीह सड़क है, इस पर १,९४,००० रुपया खर्च हो चुका है और काम करीब करीब समाप्ति पर है।

श्री कमलासिंह यादव—

पहली सड़क जो बतायी-सैदपुर-सादात रोड, जिसमें कहा गया है कि ७५ हजार रुपया खर्च हो चुका है वह मेरे क्षेत्र में पड़ती है और उसमें अभी तक सिर्फ अर्थ वर्क हुआ है और आप कह रहे हैं कि डेढ़ मील बन चुकी है। तो मेरी यह बात सही है कि उस पर कंकर भी नहीं पड़ा है या मंत्री जी जो कह रहे हैं वह सही है ?

श्री राममूर्ति—

दोनों बातें सही हैं। जितनी मिट्टी पड़ गयी उतनी सड़क बन गयी, बाकी सड़क और बन जायगी।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

यह देखते हुये कि मैंन पावर यूटिलाइजेशन स्कीम के अन्दर जो सड़कें हैं उनको पी० डब्लू० डी० नहीं बनवा रहा है। तो क्या मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि इनका निर्माण जिला परिषदों को सौंप दिया जाय ?

श्री राममूर्ति—

यह कोशिश हो रही है जिला परिषदों से पूछा है कि यदि उनके इंजीनियर्स कर सकते हों तो उनसे ही काम कराया जाय।

श्री कमलासिंह यादव—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि गाजीपुर जिला परिषद् ने कोई प्रस्ताव वहां के एग्जिक्यूटिव इंजीनियर के खिलाफ इस बात का पास किया है कि जबसे वहां एग्जिक्यूटिव इंजीनियर का डिवीजन कायम हुआ है तब से कोई काम नहीं हुआ है और एग्जिक्यूटिव इंजीनियर के अडन्र जो ४ असिस्टेन्ट इंजीनियर और २२ ओवरसियर हैं वह न तो एस्टीमेट देते हैं, न यहां से कोई सैंक्शन गया है इन चीजों का ? अगर ऐसा प्रस्ताव है तो एग्जिक्यूटिव इंजीनियर और वहां के स्टाफ के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे कि इतनी डिले क्यों की गयी है ?

श्री राममूर्ति—

जो लिस्ट सुनायी गयी उसमें काम तो किया गया, लेकिन जितना कि माननीय सदस्य उम्मीद करते थे उतना नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं कि कोई बीमार वगैरह उनमें से हो।

श्री मैनेजरसिंह—

आपने शायद बलिया जिला परिषद् को सहसवान-हल्दी सड़क को दिया है, जहां इंजीनियर भी नहीं है और ओवरसियर भी नहीं है। एक ओवरसियर माननीय गृहमंत्री ने भेजा था जिसको बहुमत से स्वीकृत कर दिया, तो फिर आपने बलिया जिला परिषद् को किस आधार पर यह काम दिया है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

बलिया जिला परिषद् में जैसा आपने कहा, ओवरसियर तो हैं ही। अब वहां के अध्यक्ष ने यह भी मांग की है कि उनको शीघ्र ही एक इंजीनियर भी दिया जाय जो सेंट्रल ट्रांसफरेबिल कैडर में

हो । उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम अपने ओवरसियर से काम करेंगे और प्लानिंग के असिस्टेंट इंजीनियर या पी०डब्लू०डी० के इंजीनियर को भी काम करने की आज्ञा सरकार दे दे ।

श्री कमलासिंह यादव—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि गाजीपुर जिले की मैन पावर स्कीम में कितना रुपया दिया गया है और यह कितने मील लम्बी सड़क बनाने की योजना है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

अच्छा हो कि माननीय सदस्य हम से मिल लें तो मैं बतला दूंगा कि कितनी सड़कें हैं और कितना उनके लिये रुपया है ।

श्री कमलासिंह यादव—

क्या मंत्री जी जांच करायेंगे कि चकिया बोगना ताल के बारे में जो बताया गया है कि रेगुलेटर का इन्तजाम हो चुका है ? वहां १० वर्ष हो चुके, वहां पर कई कई बार बांध बनाया गया और टूट गया और वह काम में नहीं आ रहा है, तो क्या जांच करायेंगे कि इस तरह से वहां रुपया क्यों खर्च कराया गया जबकि निर्माण कार्य सुचारु रूप से नहीं हुआ ?

श्री बंशीधर पांडेय—

माननीय सदस्य अगर इसका ब्योरा लिख कर देंगे तो दुबारा जांच करा ली जायेगी ।

श्री मैनेजरसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी माइनर इरीगेशन के असिस्टेंट इंजीनियर्स की सेवायें भी इस कार्य के लिये लेने की कृपा करेंगे जैसी कि जिला परिषद् के अध्यक्ष जी की मांग है ?

श्री बंशीधर पांडेय—

सरकार यह कोशिश कर रही है कि जिला परिषद् के इंजीनियरों की सेवायें ली जायं । अध्यक्ष जी का पत्र भी विचाराधीन है ।

श्री बृजबिहारी —

क्या माननीय मंत्री जी इन सड़कों को जिला परिषद् के इंजीनियरों द्वारा न बनवा कर इनको पी०डब्लू०डी० द्वारा बनवाने के प्रश्न पर विचार करेंगे ?

श्री राममूर्ति—

पता नहीं माननीय सदस्य को इसमें क्या आपत्ति है । जितनी भी एजेंसीज से सहायता मिल सकती है, वह अच्छी बात है ।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

यह देखते हुये कि जिला परिषदों की सड़कों का स्तर बहुत नीचा होता है, वे बहुत कम चौड़ी होती है, इसलिये क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी कि उनको पी० डब्लू० डी० के स्टैन्डर्ड की बनवाया जाय ?

श्री राममूर्ति—

वह तो जो भी स्पेसिफिकेशन होगा उसके अनुसार बनेगी, उसको कोई भी बनवाये । जिला परिषदों के पास पैसा कम होता है इसलिये उसी के मुताबिक वे बनाती है, लेकिन इन सड़कों के लिये तो पैसा सरकार देगी ।

श्री कमलासिंह यादव—

मैन पावर स्कीम के अन्तर्गत जो सड़कें बनेंगी उनके एस्टीमेट बनाने के काम में क्या सरकार प्रफिरेंस देगी, क्योंकि जितने इस्टीमेट्स बनते हैं उनको पी० डब्लू० डी० के इंजीनियर बनाते हैं। अगर इन सड़कों के एस्टीमेट बनाने में प्रफिरेंस दिया जायेगा तो काम जल्दी होगा ?

श्री राममूर्ति—

कोशिश तो यही है।

न्याय पंचायत उचरे के सरपंच के विरुद्ध शिकायती पत्र

*२७—श्री ऊदल—

क्या विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिलान्तर्गत कौड़ीराम ब्लाक के किन-किन अदालत पंचायतों के सरपंचों के विरुद्ध मार्च व अप्रैल, १९६४ में शिकायती-पत्र उनके या पंचायत निदेशक के कार्यालय में प्राप्त हुये हैं ? क्या सरकार उनकी जांच रिपोर्ट सदन में रखने की कृपा करेगी ?

श्री बंशीधर पांडेय—

मार्च व अप्रैल, १९६४ की अवधि में गोरखपुर जिलान्तर्गत कौड़ीराम ब्लाक के केवल एक न्याय पंचायत उचरे के सरपंच के विरुद्ध एक शिकायती पत्र, दिनांक ११-४-६४, शासन को प्राप्त हुआ था। उक्त शिकायती-पत्र पर जांच कराई गई और जांच के फलस्वरूप परगनाधीश द्वारा उक्त सरपंच के विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही की जा रही है। चूंकि उक्त सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही अभी समाप्त नहीं हुई, अतः जांच रिपोर्ट सदन में रखना जनहित में न होगा।

*२८—श्री ऊदल—

क्या विकास मंत्री को यह भी ज्ञात है कि इस ब्लाक के उचेर अदालत पंचायत के एकाउन्ट का आडिट सन् १९५२ से अब तक नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जी हां।

वर्ष १९४९ से १९५७-५८ तक राज्य की कुछ ही पंचायतों का अंकेक्षण हुआ था कि शासन ने यह निर्णय लिया कि सन् १९५८-५९ का सारी पंचायतों का अंकेक्षण किया जाय और पिछले वर्षों का अंकेक्षण भी अगले वर्षों के साथ-साथ पूरा किया जाय। वर्ष १९५८-५९, १९५९-६० तथा १९६०-६१ के अंकेक्षण के समय सरपंच द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये, अतएव अंकेक्षण नहीं किया जा सका। वर्ष १९६१-६२, ६२-६३ व ६३-६४ का अंकेक्षण इस जिले के अंकेक्षकों द्वारा किया जा रहा है और क्रम से उक्त क्षेत्र का अंकेक्षण प्रारम्भ किये जाने पर न्याय पंचायत उचेर के अभिलेखों को उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जायेगी।

श्री ऊदल—

जिस शिकायती-पत्र की जांच करायी गयी है उसमें मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं तथा कार्यवाही जो विचाराधीन है वह कब तक समाप्त होगी ?

श्री राममूर्ति—

मुख्य शिकायतें तो लिस्ट में देखी जा रही हैं, मिल गयीं तो बता दिया जायेगा उनको, किन्तु जनवरी से जब यह जांच हुई तो यह दरख्वास्त तिवारी जी ने दी कि उनको कुछ साक्ष्य पेश करने का मौका दिया जाय। उसके लिये इसी मार्च में तारीख लगी है, उसके बाद यह मामला तय हो जायेगा।

श्री ऊदल—

आडिट का जो काम हो रहा है यह कब तक समाप्त हो जावेगा ? क्योंकि पिछले बहुत वर्षों का आडिट नहीं हुआ है ।

श्री राममूर्ति—

यह बताया जा चुका है कि जो मौजूदा आडिट का कार्य है वह भी होगा और यह भी हुक्म दे दिया गया है कि पिछले सालों का भी आडिट कर दिया जाय ।

*२९—श्रीमती किश्वर आराबेगम (जिला रामपुर)—

[आठवें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

कानपुर की रहट बनाने वाली फर्मों को लोहे व टीन की सप्लाई

*३०—श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती)—

क्या विकास मंत्री उन फर्मों की सूची मेज पर रखने की कृपा करेंगे जिन्हें चालू वर्ष में जी० पी० शीट रहट बनाने के लिये नियोजन विभाग ने अल्प सिंचाई योजना के अन्तर्गत दिये जाने के लिये प्रदेशीय लोहा तथा इस्पात नियंत्रक कानपुर के पास भेजी है और बतायेंगे कि कितनी-कितनी शीट के लिये संस्तुति की गई ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ९०२–९०३ पर)

*३१—श्री सोहनलाल धुसिया—

क्या विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि अल्प सिंचाई योजना के अन्तर्गत रहट बनाने के लिये १५ टन जी० पी० शीट का एक परमिट मेसर्स बी० सी० एम० फ्रैंकलिन, बरेली को कानपुर के किसी लोहा स्टाक होल्डर पर गत नवम्बर में दिया गया ? यदि हां, तो फिर क्या उसी फर्म को दो माह बाद पुनः साढ़े सात टन जी० पी० शीट का दूसरा परमिट कानपुर ही से १५ टन जी० पी० शीट की खपत की जांच के बाद दिया गया ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

जी हां, दोनों परमिट दिये गए । दूसरा परमिट जांच के बाद दिया गया ।

*३२—श्री सोहनलाल धुसिया—

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह सही है कि एक टन जी० पी० शीट में लगभग १,१०० बाल्टी रहट की तैयार होती है तथा दूसरे किस्म का लोहा ८ मन एक दूसरे रहट में लगता है और एक रहट में ६० बाल्टियों से अधिक नहीं लगती तथा एक रहट १० कारीगर ४ दिन में तैयार कर पाते हैं ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

यह सही है कि एक टन जी० पी० सीट में ५ सेर पानी आने वाली लगभग १,१०० बाल्टी रहट की तैयार होती है । चूंकि रहट भिन्न-भिन्न आकार, प्रकार तथा नाप के तैयार किये जाते हैं तथा बाल्टियों की संख्या भी पानी की गहराई पर निर्भर होती है । अतएव रहट में लोहे के भार का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता । साधारण तौर पर एक रहट में ६० बाल्टियों से अधिक नहीं लगतीं, परन्तु यह संख्या पानी की गहराई पर निर्भर होती है । रहट के बनाने में कितने कारीगरों को कितने दिन काम करना पड़ता है इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है । वैसे रहट की लागत का लगभग ३० प्रतिशत व्यय, मजदूरी पर आता है ।

श्री सोहनलाल धुसिया—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कौन-सी परिस्थितियां ऐसी थीं कि एक व्यक्ति को दो परमिट दिये गये जब कि कहीं-कहीं किसी को कुछ नहीं मिला ?

श्री राममूर्ति—

अध्यक्ष महोदय, यह जो फ्रैंकलिन फर्म है, इसको १०० टन का परमिट तब मिलता था जब यह कार्यक्रम एग्रीकल्चर के द्वारा होता था। हमारी नोटिस में जब यह बात आई तो हमने इसका एक साल का कोटा बन्द कर दिया और जब जांच करवाई गई तो यह पाया गया कि इनकी बड़ी फर्म है और यहां काम बड़ी एफीश्येन्टली होता है और इसलिये १५ टन का कोटा दिया गया। उस फर्म ने उस काम को भी बड़ी जल्दी कर दिया इसलिये दोबारा उसी फर्म को साढ़े सात टन का परमिट दिया गया। सौ-सौ टन के मुकाबिले अब तो चौथाई से भी कम कर दिया गया है।

श्री सोहनलाल धुसिया—

श्रीमन्, यह स्टेटमेन्ट देखने से पता चलता है कि बिलकुल नेगलेक्ट किया गया है जबकि गवर्नमेन्ट का यह ध्येय कि पूर्व और पश्चिम में कोई अन्तर नहीं रहेगा। इस स्टेटमेन्ट से तो यह जाहिर है कि गोरखपुर डिवीजन को बिलकुल ही नहीं दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अपनी नीति को बदलेगी ? क्या पूर्वी जिलों में, जहां जरूरत है, इस इन्डस्ट्री को भी बढ़ाने का सरकार खयाल करेगी ?

श्री राममूर्ति—

बस्ती के मेंहदावल क्षेत्र में यह काम शुरू हो गया है। जरूरत होगी तो और भी बढ़ाया जावेगा।

श्री सोहनलाल धुसिया—

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर यह मेंहदावल में दिया गया है तो इस लिस्ट में उसका नाम क्यों नहीं है ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

जैसा कि माननीय सदस्य ने पूर्व और पश्चिम के बारे में कहा, इस संबंध में मेरा निवेदन है कि पंचायत और लघु उद्योग तथा कृषि आदि में पूर्व और पश्चिम क्या, हमारा विचार है कि हर जिले में इनकी वर्कशाप या फैक्टरी हो जाय। यह चूंकि एस्टैब्लिश्ड फर्म थी और इससे सिंचाई के कार्यक्रम तेजी से चलें इसलिये यह काम फर्म के द्वारा ही शुरू किया गया। साथ ही साथ अन्य जिलों में भी कार्यवाही शुरू कर दी गई। जैसा कि हम देख भी आये हैं, मेंहदावल की बात को फिर भी देख लेंगे। मेंहदावल में कई कार्यक्रम शुरू किये गये हैं। शायद बाल्टी का कार्यक्रम भी शुरू किया गया है।

श्री सोहनलाल धुसिया—

श्रीमन्, जैसा कि बताया गया कि मेंहदावल में भी रहट बन रहे हैं, इसके लिये जो लोहा मिलता है वह फर्म से या ब्लैक मारकेटिंग से वे ले आते हैं ?

श्री बंशीधर पाण्डेय—

श्रीमन्, यह तो सूचना की बात हो सकती है।

श्री अध्यक्ष—

लिस्ट में नाम नहीं है। आप उनको नहीं देते हैं तो वह ब्लैक मार्केट से लेते हैं।

श्री बंशीधर पाण्डेय—

ब्लैक मार्केटिंग से तो ला नहीं सकते क्योंकि वह क्षत्र पंचायत समितियों का है ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जबकि माननीय मंत्री जी ने बार-बार इस सदन में यह आश्वासन दिया है कि जो छोटे उद्योग-धन्धे हैं उनको चलाने के लिये फ्लड एफेक्टेड एरिया में टिन ज्यादा देने की सुविधा प्रदान करेंगे तो आज उस नीति के मुताबिक क्या कारण है कि इन जिलों का कोटा इसका निश्चित नहीं किया गया और यदि निश्चित किया गया तो उसके अनुसार टिन जो नहीं दी जाती, उसका क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति—

अध्यक्ष महोदय, यह पाण्डेय जी जिस टिन का जिक्र कर रहे हैं वह दूसरी टिन है, वह मकान छाने वाली टिन है और बहस में बनाने वाली टिन है । लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमने २५ सौ टन के कोटे की डिमांड गवर्नमेन्ट आफ इंडिया से की थी जिसमें से १५२ टन हमें मिला और उसी में से यह सब बांटा गया है । यह ऐसा खयाल किसी के दिल में नहीं आना चाहिए कि पूरब और पश्चिम का इसमें कोई सवाल है । अगर पश्चिम में काम ज्यादा हो रहा है और पूरब के लोग चाहते हैं, उनकी रुचि ज्यादा होगी तो इधर से काट कर के वहां दे देंगे या हमारा कोटा और बढ़ा तो दे देंगे ।

श्री जगदीशप्रसाद पाण्डेय—

जो रुपया लघु उद्योग में दिया जाता है उसमें अधिकतर इसलिये नहीं इस्तेमाल हो पाता कि रा मैटीरियल नहीं मिल पाता तो उस रुपये की जगह रा मैटीरियल उन्हें दिया जाय, इसकी व्यवस्था मंत्री जी करेंगे ?

श्री राममूर्ति—

वैसे अध्यक्ष महोदय, आजकल रा मैटीरियल की बड़ी कमी है । जैसा मैंने कहा २५ सौ टन का कोटा मांगा था उसमें से १५२ टन मिला ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि पश्चिमी जिलों में जितने रहट बनते हैं वह पंजाब के अम्बाला डिस्ट्रिक्ट से फीड होते हैं जहां कि इसकी बड़ी-बड़ी मंडियां और कारखाने हैं और वहां काफी कोटा भी मिलता है, और जितना कोटा आप यहां देते हैं इन कम्पनियों को रहट बनाने के लिये वह सारा ब्लैक में बिक जाता है, रहट पंजाब से आकर यहां बिकते हैं और सस्ते पड़ते हैं ?

श्री राममूर्ति—

जैसा कि लिस्ट में माननीय सदस्य ने पढ़ा होगा, तीन चार फर्म ही ऐसी हैं जिन्हें दस टन या इससे ज्यादा मिला है, बाकी एक-एक दो-दो टन ही सबको मिला है और हमारे यहां से इसकी जांच भी की जाती है । मैंने जब वह सवाल आया तो चूंकि लफ्ज "बरेली" भी लिखा था तो इसकी जांच कराई कि कितना कोटा दिया गया और कहां माल सप्लाई हुआ । इसलिये यह सवाल कि ब्लैक मार्केटिंग में कोटा चला गया, ऐसा शुबहा नहीं होना चाहिए ।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

श्रीमन्, मेरा जिला कौन है, आप जानते ही हैं । तो रूरल मैन पावर में हम गायब हैं । जी० पी० शीट्स में और बाल्टियों में गायब हैं, सब चीजों में गायब हैं, तो क्या सामुदायिक विकास मंत्री बतायेंगे कि हरदोई जिले का क्या होना है ?

श्री राममूर्ति—

अध्यक्ष महोदय, कुछ चीजों में गायब हैं और कुछ में भरे पूरे हैं । नहरों के मामले में भरे पूरे हैं ।

श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़)—

जो फर्में रहट बनाने का काम करती हैं क्या माननीय मंत्री जी उन्हें टिन देने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति—

मैंने अर्ज किया कि इतनी डिमान्ड है इसकी और इतनी इसकी फर्में हैं । कोटा हमारे पास गवर्नमेन्ट आफ इंडिया से आता नहीं, तो दे कहां, से ? अगर कोटा आ जाय तो दिया जा सकता है ।

श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—

क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि रहट कितनी गहराई तक सफल होते हैं ?

श्री राममूर्ति—

३० फीट तक होता है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या मंत्री जी को मालूम है कि रहट बनाने में यू० पी० के अन्दर काफी ज्यादा खर्चा बैठता है, जबकि पंजाब में रहट सस्ते मिलते हैं, इसलिये यहां रहट बनाने वाले खुद न बनाकर पंजाब से लाकर यहां बेचते हैं और जो शीट उनको कोटे में मिलती है, वह ट्रंक बनाने वालों के काम आती है और ब्लैक में जाती है ? क्या आप इसकी जांच करायेंगे ?

श्री राममूर्ति—

मेरा ऐसा खयाल है कि जब कोई इन्डस्ट्री नई शुरू की जाती है तो उसमें दिक्कतें पैदा होती हैं, और कुछ खर्चा भी ज्यादा होता है । पंजाब में यह इन्डस्ट्री पहले शुरू हुई थी, इसलिये हो सकता है कि तुलनात्मक दृष्टि से वहां खर्चा कम होता हो । लेकिन यह सोच कर अगर हमारे यहां इंडस्ट्री शुरू ही न की जाय तो यहां की कभी इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती और हमारा प्रदेश हमेशा पंजाब पर निर्भर रहेगा । हम चाहते हैं कि हमारे यहां काम होना चाहिये और उम्मीद करते हैं कि यहां के लोग भी धीरे-धीरे एफिशियेन्ट होंगे और अच्छी चीज बनाएंगे ।

विकास क्षेत्र कपकोट के प्रमुख की मुअत्तली

*३३—श्री शारदा भक्तसिंह (जिला हरदोई) (अनुपस्थित) तथा श्री टम्बरेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह सही है कि विकास क्षेत्र कपकोट (जिला अल्मोड़ा) के क्षेत्र प्रमुख को कमिश्नर, कुमायूं एवं उत्तराखण्ड डिवीजन द्वारा निलम्बित किया गया है ? अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री राममूर्ति—

आयुक्त कुमायूं तथा उत्तराखण्ड डिविजन द्वारा विकास क्षेत्र कपकोट के प्रमुख को मुअत्तल किया गया था । उनके विरुद्ध गंभीर आरोप थे ।

विकास अधिकारी, कपकोट के विरुद्ध शिकायतें

*३४—श्री शारदाभक्तसिंह तथा श्री टम्बेश्वरप्रसाद (अनुपस्थित)—

क्या विकास क्षेत्र कपकोट (अल्मोड़ा) प्रमुख के सम्बन्ध में निर्णय देते हुये कमिश्नर ने उक्त क्षेत्र के वर्तमान बी०डी०ओ० के भी स्थानान्तरण का आदेश दिया था ? यदि हां, तो वह स्थानान्तरण क्यों रोक दिया गया ?

श्री राममूर्ति—

इस विषय में आयुक्त कुमाऊं द्वारा इस प्रकार के आदेश प्रसारित नहीं किये गये।

*३५—श्री शारदाभक्तसिंह तथा श्री टम्बेश्वरप्रसाद (अनुपस्थित)—

क्या यह सही है कि विकास क्षेत्र कपकोट (जिला अल्मोड़ा) के वर्तमान बी० डी० ओ० (क्षेत्र विकास अधिकारी) द्वारा की गई अनियमितताओं के खिलाफ अल्मोड़ा के साप्ताहिक पत्र 'नगराज' के दिनांक २ अक्तूबर,१९६३, दिनांक ११ मई, १९६४ तथा काशीपुर के पत्र 'बिगुल' दिनांक २२ जुलाई, १९६४ में शिकायतें छपी थीं ? यदि हां तो वे शिकायतें क्या हैं और सरकार ने उन पर कौन से कदम उठाये ?

श्री राममूर्ति—

अल्मोड़ा के साप्ताहिक पत्र 'नगराज' के दिनांक २८-१०-६३ और ११-५-६४ तथा काशीपुर के पत्र "बिगुल" दिनांक २२-७-६४ में क्षेत्र विकास अधिकारी, कपकोट (अल्मोड़ा) के विरुद्ध शिकायतें छपी थीं जिनकी जांच कराने पर शिकायतें तथ्यहीन पाई गईं।

जिला अस्पताल, गोंडा

*३६—श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिला अस्पताल में तीसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां। इसका ब्योरा निम्नलिखित है :—

वर्ष					आवासिक (इन्डोर)	अनावासिक (आउट डोर)
१९६१	..	..	..	..	२,०६४	४०,९०८
१९६२	..	..	..	..	२,२६८	३९,०१६
१९६३	..	..	..	..	२,५७०	३७,२३५
१९६४	..	..	..	..	२,७७८	४७,७८५

*३७—श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिला सरकारी अस्पताल में दवाइयों पर कितना रुपया प्रतिवर्ष सरकार दे रही है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

२५,६८० रु० प्रति वर्ष। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार अतिरिक्त अनुदान भी दिया जाता है।

*३८—श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुये सरकारी सहायता बढ़ाने की सम्भावनाओं पर वह विचार कर रही है? यदि हां, तो कितना? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुये सरकार आवश्यकतानुसार अतिरिक्त अनुदान देती रहती है।

भाग्यनगर विकास खण्ड में मुर्गी पालने के लिए सहायता

*३९—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ब्लाक भाग्यनगर (इटावा) तथा ब्लाक साहर (इटावा) के अन्तर्गत सन् १९६१, १९६२, १९६३, १९६४ में किन-किन व्यक्तियों को कितना कितना रुपया मुर्गी पालने के लिए अनुदान या तकावी के रूप में दिया गया है?

श्री राममूर्ति—

मुर्गी पालने के लिए भाग्यनगर विकास खण्ड में प्रसंगगत वर्षों में कोई तकावी नहीं दी गयी। वर्ष १९६१ में अनुदान भी नहीं दिया गया। १९६२, १९६३, १९६४ में दिये गये अनुदान की सूचना संलग्न है।

ब्लाक सहार की सूचना एकत्रित होने पर उत्तर दिया जायेगा।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ९०४–९०५ पर)

*४०—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (अनुपस्थित)—

क्या यह सच है कि उनमें कुछ व्यक्तियों ने इस दलील के साथ की उनकी मुर्गियां रोग से मर गयी हैं रुपया माफ करा लिया है?

श्री राममूर्ति—

भाग्यनगर ब्लाक में किसी भी व्यक्ति का रुपया माफ नहीं किया गया है।
ब्लाक सहार की सूचना एकत्रित होने पर उत्तर दिया जायेगा।

*४१—श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (अनुपस्थित)—

यदि हां, तो ये कौन-कौन से व्यक्ति हैं तथा उन्होंने कितना-कितना रुपया माफ करा लिया है और क्या रुपये माफ कराने के पहिले किसी उच्चाधिकारी ने उसकी जांच की थी?

श्री राममूर्ति—

भाग्यनगर ब्लाक के सम्बन्ध में यह प्रश्न ही नहीं उठता है।

ब्लाक सहार की सूचना एकत्रित होने पर उत्तर दिया जायेगा।

हसेरन विकास क्षेत्र में प्राइमरी पाठशालाओं के निर्माण के लिए अनुदान

*४२—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास क्षेत्र हसेरन, जिला फर्रुखाबाद द्वारा प्राइमरी पाठशालाओं के निर्माण हेतु डी० पी० सी० ग्रान्ट की मांग १९६२–६३ तथा १९६३–६४, १९६४–६५, में की गयी है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है?

*४३--क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास क्षेत्र, हसेरन, जिला फर्रुखाबाद के अन्तर्गत ग्राम सभा खरगपुर, बिलन्द, बायमपुर, सरगौली के सभापतियों को २,००० रुपया पाठशाला भवन निर्माण हेतु दिया जा चुका है? यदि हां, तो कब और क्या उपरोक्त सभापित भवन निर्माण करा रहे हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बंशीधर पांडेय--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री होरीलाल यादव--

मन्त्री जी, जहां और सूचनाएं एकत्रित कर रहे हैं, वहां यह भी सूचना एकत्रित करेंगे कि सवाल के बाद में, खरगपुर, बिलन्द के प्रधान ने ऐसी जगह पर स्कूल बनाना शुरू कर दिया है, जिसको न ग्राम सभा और न बी० डी० सी० ने पास किया है? पास की हुई जगह पर स्कूल नहीं बन रहा है और बी० डी० ओ० ने इमारत का शिलान्यास भी किया है, तो क्या मन्त्री जी उनको उस जगह स्कूल न बनाने के बारे में रोकने की कोशिश करेंगे?

(कोई उत्तर नहीं दिय गया)

[२४ मार्च, १९६५ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१--श्री ऊदल--

[हटा दिया गया]।

पिंडरा व बड़ा गांव चिकित्सालय

*२--श्री ऊदल--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पिंडरा डिस्पेंसरी, जिला वाराणसी के कितने कर्मचारी किस-किस पद पर कार्य कर रहे हैं और उनको कितनी तनख्वाह व महंगाई प्रतिमाह मिलती है? क्या उसे कुछ सरकार बढ़ाने पर विचार कर रही है?

श्री बंशीधर पांडेय--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*३--श्री ऊदल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बड़ा गांव वाराणसी राजकीय एलोपैथिक अस्पताल की इमारत अब तक न बनने का कारण क्या है और इस कार्य के लिए कितना रुपया रक्खा गया था?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

विकास खण्ड, ऊंचा गांव में जीप न होना

*४--श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकास खंडों में जीप गाड़ियां रखने के सम्बन्ध में वह क्या विचार कर रही है?

श्री राममूर्ति--

जब से आपत्कालीन स्थिति घोषित हुई है, केन्द्रीय सरकार ने नयी जीपें देना बन्द कर दिया है। इसलिए जो विकास खण्ड उस के बाद प्रथम प्रक्रम में आये हैं उन्हें पुराने विकास खण्डों में से, विशेषतया द्वितीय प्रक्रमोत्तर (Post Stage II) विकास खंडों में से, जीप वापस ले कर दी जा रही है।

*५—श्री मुमताज मुहम्मद खां (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विकास खंड ऊंचागांव (बुलन्दशहर) को, जो कि गेहूं की पैकेज स्कीम में सम्मिलित है उक्त विकास खंड की जीप को वापस दिलाने पर या कोई और जीप देने पर विचार करेगी जिससे कि उक्त योजना की सफलता में सहायता मिल सके? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम मूर्ति—

ऊंचा गांव द्वितीय प्रक्रमोत्तर (Post Stage II) विकास खण्ड हैं। वहां जीप वापस दिलाने की आपत्कालीन स्थिति में कोई सम्भावना नहीं है।

आगरा जिले में कुष्ट आश्रम

*६—श्री राम किशोर त्रिपाठी—

क्या यह बात सही है कि आगरा जिला में जिस कुष्ट आश्रम का शिलान्यास स्वर्गीय पं० नेहरू द्वारा किया गया था उसका स्थल परिवर्तन किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों और परिवर्तन का क्या कारण है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जी नहीं।

*७—श्री राम किशोर त्रिपाठी—

क्या यह बात सही है कि उक्त स्थल परिवर्तन से जापानी मिशन के प्रबन्ध संचालक ने आपत्ति की है कि दूसरी जगह इसे बनाने से इन्कार कर दिया है? यदि हां, तो क्या सरकार इसे पूर्व निश्चित स्थान पर ही बनाने की स्वीकृति देने जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

प्रश्न नहीं उठता। कुष्ट आश्रम पूर्व निश्चित स्थल पर ही बनाया जा रहा है।

*८—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त कुष्ट आश्रम कब तक बन जाने की आशा है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जापानी कुष्ट मिशन द्वारा उक्त कुष्ट आश्रम के उद्घाटन की तिथि २ अक्तूबर, १९६५ निश्चित की गयी है तथा भवन निर्माण कार्य चल रहा है। परन्तु अभी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि उक्त भवन कब तक पूर्ण रूप से तैयार हो सकेगा।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे, कि जब भवन बन जायगा, तो संचालन और मैनेजिंग मिशन द्वारा होगा या सरकार द्वारा?

डाक्टर राम नारायण पाण्डेय—

पांच साल तक मिशन द्वारा होगा।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

इस अस्पताल में कितने कुष्ट रोगियों के लिए व्यवस्था की गयी है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

यह तो अनुसन्धान और प्रशिक्षण के लिए है और केवल पांच या कुछ रोगी आवश्यकतानुसार रहेंगे।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट--

क्या मिशन से ऐसा ऐग्रिमेंट हुआ है कि पांच साल के बाद सरकार ले लेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

उसके बाद सरकार चलायेगी।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट--

मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई लिखित ऐग्रीमेंट हुआ है कि सरकार पांच साल के बाद चलायेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

जी हां, हुआ है।

श्री बालोजी अग्रवाल--

प्रश्न संख्या ८ के उत्तर में बताया है कि जापान सरकार ने उद्घाटन की तिथि २ अक्तूबर, १९६५ रखी है, लेकिन पता नहीं कब तक बन जायगा ? मैं पूछना चाहता हूं कि जो ठेकेदार से बनाने की तिथि तय हुई है, वह कौन सी है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

ठेकेदार, इन्जीनियर, सभी, इसी अवधि के अन्दर समाप्त करना चाहते हैं।

श्री ऊदल--

मन्त्री जी बतायेंगे, कि इस अस्पताल में जापान सरकार का कितना रुपया खर्च होगा, तथा देश की सरकार का कितना खर्च होगा ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

१७ लाख रुपया जापान सरकार का खर्च होगा, और इमारत के सम्बन्ध में हमारा खर्चा कुछ नहीं होगा।

श्री बालोजी अग्रवाल--

माननीय मन्त्री जी यह बता दें कि ठेकेदार को कौन सी तिथि तक बनाने का ठेका दिया गया है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

२ अक्तूबर के पहले ही खत्म करने की बात है।

टी० बी० क्लीनिकों के लिए डाक्टरों की ट्रेनिंग तथा सदर अस्पताल, गाजीपुर की मरम्मत

*९--श्री कमलासिंह यादव--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि टी० बी० क्लीनिक जो उत्तर प्रदेश में खुले हैं उनके लिए कितने डाक्टरों की ट्रेनिंग बंगलोर तथा आगरा में दी गयी है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

अभी तक उत्तर प्रदेश के विभिन्न राजकीय टी० बी० क्लीनिकों से १४ डाक्टरों को नेशनल टयूबरक्लोसिस इन्स्टीट्यूट, बंगलौर में प्रशिक्षित किया जा चुका है। आगरा में अभी टी० बी० कार्यकर्त्ताओं का प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।

*१०—श्री कमलासिंह यादव—

क्या यह सही है कि सरकार यू० एन० आई० सी० ई० एफ० के प्रोग्राम को कार्यान्वित करने के लिए डाक्टरों की ट्रेनिंग के बावजूद भी तैयार नहीं है? यदि हां, तो इसका कारण क्या है और यदि नहीं, तो सैंक्शन मिल जायगी?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जी नहीं। यू० एन० आई० सी० ई० एफ० के प्रोग्राम के अन्तर्गत जिन राजकीय टी० बी० क्लीनकों के कार्यकर्ता एन० टी० आई०, बंगलौर से प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं वहां उनके द्वारा एक्सरे तथा लेबोरेटरी का सामान दिया जाता है। यह कार्यक्रम उन टी० बी० क्लीनिकों में जहां कि कार्यकर्ता उक्त प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं तथा यूनिसेफ से सामान प्राप्त हो चुका है चल रहा है।

*११—श्री कमलासिंह यादव—

क्या यह सही है कि गाजीपुर जिले के सदर अस्पताल में आपरेशन थियेटर बहुत ही जर्जर अवस्था में है और वहां स्टाफ की बहुत ही कमी है? यदि हां, तो इस दिक्कत को किस प्रकार दूर किया जा रहा है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जी हां। आपरेशन थियेटर का प्लास्टर पुराना होने के कारण कुछ जगह छूट कर गिर गया है जिसकी मरम्मत के लिए ४०० रु० की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है। जहां तक स्टाफ का सम्बन्ध है, सिविल सर्जन, गाजीपुर द्वारा कुछ स्टाफ की मांग आयी है वह स्वास्थ सेवा निदेशक के विचाराधीन है।

श्री कमलासिंह यादव—

मन्त्री जी बतायेंगे कि यूनिसेफ प्रोग्राम को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने सैंक्शन कब दिये?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

सन् १९६२ से है।

श्री कमलासिंह यादव—

क्या यह सही है कि बंगलोर से ट्रेनिंग प्राप्त जो डाक्टर्स हैं, अभी तक उनको कोई सामान नहीं मिला है, और वह बेकार बैठे हुये हैं तथा जो टेक्निकल असिस्टेंट उन के हैं, वह आगरा में ट्रेनिंग के लिए भेजे गये थे, वह भी अभी वापस नहीं आये हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि जो बंगलौर से ट्रेनिंग लेकर आये हैं, उनको सामान कब दिया गया, और जो टेक्निकल असिस्टेंट द्वारा ट्रेनिंग के लिए गये थे, वह कब गाजीपुर वापस आ गये?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

उनको सामान मिल चुका हैं, और यह काम कर रहे हैं।

श्री कमलासिंह यादव—

मेरी सूचना है कि जो टेक्निकल असिस्टेंट आगरा गये थे, वह अभी नहीं आये हैं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी, यह जानना चाहते हैं कि कब से हुआ है?

श्री कमलासिंह यादव—

मेरी बात को सूचना मानकर मन्त्री जी जांच करायेंगे कि आज की तारीख तक वह टेक्निकल असिस्टेंट जो आगरा गये थे, नहीं आये हैं और सामान भी अभी तक गाजीपुर अस्पताल में नहीं मिला है, जिससे काम सुचारुरूप से नहीं चल रहा है?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जो आपने बताया है, उसकी जानकारी करायेंगे।

श्री कमलासिंह यादव—

मन्त्री जी बतायेंगें, गाजीपुर जिले का आपरेशन थियेटर बहुत पुराना और छोटा है, इसलिए वहां से मांग की गयी है कि एक नया और बड़ा आपरेशन थियेटर बनवाने के लिए इमदाद दी जाय, तो क्या मन्त्री जी इसके लिए इमदाद देने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

अभी तो उसकी मरम्मत ही करा रहे हैं, जैसे साधन उपलब्ध होंगे, प्रबन्ध करेंगे।

श्री कृष्णानन्द राय—

बंगलौर से ट्रेनिंग पाकर स्टाफ गाजीपुर टी० बी० क्लीनिक में पहुंच गया है, और यूनिसेफ सामान देने के लिए भी तैयार है, लेकिन टेक्निकल असिस्टेंट और ड्राइवर आदि की सैंक्शन आपके विभाग से नहीं पहुंची है, इस लिए सामान नहीं पहुंच पा रहा है। तो मन्त्री जी विभाग से उस सैंक्शन को भिजवा देंगे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

इस सम्बन्ध में जो सूचना माननीय सदस्य से अभी मिली है, उसके बारे में आज ही जांच करायेंगे। अगर यहां की कमी से ऐसा होता है तो उसको पूरा किया जायगा।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या माननीय मन्त्रीजी को जानकारी है कि सहारनपुर जिला अस्पताल में जो टी० बी० वार्ड खुला हुआ है वहां पर डाक्टर की नियुक्ति हुये एक साल हो गया है लेकिन और इन्तजाम न होने से वह खाली बैठा हुआ है, क्या माननीय मन्त्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

डाक्टर की जहां पर पोस्टिंग हो गयी उसके वहां खाली बैठने का तो कोई सवाल हीं नहीं उठता।

श्री ऊदल—

श्रीमन्, जिस संस्था के द्वारा यह अनुदान दिया जा रहा है वह ८० प्रतिशत रुपया देती है और २० प्रतिशत इस सरकार को वहन करना पड़ता है, जो डाक्टर की मोटर पेट्रोल वगैरह के रूप में होता है। उधर से तो रुपया मिल रहा है, लेकिन यह सरकार अपना प्रबन्ध नहीं कर पा रही है और दो साल से मामला ज्यों का त्यों लटका हुआ है। क्या माननीय मन्त्री जी इस मामले में शीघ्र विचार करके तुरन्त कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है। यूनिसेफ का एक पैटर्न है कि किसी क्लीनिक में इतने डाक्टर होंगे, इतने असिस्टेंट होंगे और दूसरा स्टाफ इस प्रकार होगा। जिन क्लीनिक में वे शर्तें पूरी हो गयी हैं वहां उन्होंने वह रुपया हमको दे दिया है, जहां कमी है वहां ग्रान्ट मिलने में देरी हो रही है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (जिला कानपुर)—

क्या माननीय मन्त्रीजी बतायेंगे कि चूंकि उत्तर प्रदेश में इस बीमारी का बहुत प्रकोप है इस लिए जैसा इन्स्टीट्यूशन बंगलौर में है, वैसा कोई अपने प्रदेश में खोलने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

इस सम्बन्ध में मैं यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि अब हमारे यहां के डाक्टरों को बंगलौर जाने की आवश्यकता न होगी । बंगलौर की तरह का एक सेंटर आगरा में है, जहां उन लोगों को शिक्षा दी जायगी । हमारे यहां के ही नहीं दूसरे प्रदेशों के लोग भी वहां ट्रेनिंग लेने के लिए आयेंगे ।

श्री लखीसिंह—

क्या माननीय मन्त्री जी इस बात को देखते हुये कि यह बीमारी और पकड़ रही है और मथुरा क्लीनिक में कोई भी शैया नहीं है, क्या वहां पर शैयाओं का प्रबन्ध करनेकी कृपा करेंगे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जितने साधन उपलब्ध होते जा रहे हैं, हम करते जा रहे हैं और बड़ी तेजी से कार्य हो रहा है ।

श्री परमाईलाल (जिला हरदोई)—

क्या माननीय मंत्री जी हरदोई में टी० बी० क्लीनिक के लिये डाक्टर और वार्ड शीघ्र देने की कृपा करेंगे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां, जरूर विचार करेंगे ।

श्री कमलासिंह यादव—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि गाजीपुर में टी० बी० की बीमारी ज्यादा फैल रही है और वहां पर इनडोर पेशन्ट्स के रहने का कोई इन्तजाम नहीं है, डाक्टर आ गया है लेकिन सरकार की तरफ से मोबाइल यूनिट का कोई प्रबंध नहीं है, क्या माननीय मंत्रीजी उसका जल्दी से इन्तजाम करेंगे ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

अध्यक्ष महोदय, गाजीपुर के लिये तो पहले ही कह चुका हूं कि हम उसकी देखभाल करा लेंगे और उसका प्रबंध किया जायगा ।

बदायूं जिला परिषद् में अभियन्ता की नियुक्ति पर आपत्ति

*१२—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला परिषद् बदायूं के अध्यक्ष ने परिषद् के अस्थायी इंजीनियर की नियुक्ति में सरकारी निदेशों की अवहेलना की है जिससे परिषद् ऐक्ट के नियमों का उल्लंघन भी हुआ है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री बंशीधर पांडेय—

जिलाधीश, बदायूं से कहा गया था कि वह जिला परिषद्, बदायूं, को यह सुझाव दें कि वह श्री बाबू राम गर्ग, ओवरसियर सिंचाई विभाग, की नियुक्ति अभियन्ता के पद पर कर लें । परन्तु जिला परिषद् ने अपने एक ओवरसियर को अभियन्ता के पद पर नियुक्त कर लिया है और सरकार से अनुभव की शर्त से छूट देने की प्रार्थना की है जिस पर विचार किया जा रहा है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि बाबू राम गर्ग की शैक्षिक योग्यता भी ज्यादा है और उनका अनुभव भी ज्यादा है और दूसरे जिन सज्जन की नियुक्ति की गई है उनकी शैक्षिक योग्यता भी कम है और अनुभव भी कम है, ऐसी व्यवस्था में पक्षपात न हो इसलिये क्या मंत्री जी फिर से अध्यक्ष, जिला परिषद् को लिखेंगे कि वह सही आदमी को निष्पक्ष होकर अप्वाइंट करें ?

श्री बंशीधर पांडेय—

यह बात सही है कि जिन का अप्वाइंटमेंट किया गया है उनका जो यह दस साल का अनुभव होना चाहिये, वह नहीं है लेकिन यह भी सत्य है कि क्षेत्र समिति और जिला परिषद् ऐक्ट में अध्यक्ष को अस्थायी नियुक्ति एक साल तक की करने का अधिकार है लेकिन इंजीनियर्स, अकाउन्टेन्ट और असेसिंग आफिसर्स का एक सेन्ट्र ल केडर बनाने की घोषणा की गई है और उसके बारे में नियम पब्लिक सर्विस कमीशन के विचाराधीन है, अभी स्वीकृति नहीं दी गई है और सब चीजों को मद्दे-नजर रखकर विचार किया जायगा ।

स्वास्थ्य सेवा निदेशक डाक्टर डी० एन शर्मा के विरुद्ध आरोप

*१३—श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

दिनांक २ सितम्बर, १९६४ के प्रश्न संख्या २४ के क्रम में क्या यह सही है कि स्वयं मंत्री जी ने द्वितीय सत्र १९६३ के चौथे बुधवार के दिनांक १८ दिसम्बर, १९६३ के प्रश्न संख्या १४ के पूरक प्रश्न के उत्तर में दिनांक २५ मई, १९६३ के पत्र की जांच कराना स्वीकार किया है और उक्त प्रश्न २४ के उत्तर में उक्त २५ मई, १९६३ के पत्र की जांच न कराना स्वीकार किया है ? यदि हां, तो फिर दो विपरीत उत्तरों की मंशा क्या है ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

जी हाँ, इस त्रुटि के लिये खेद है ।

जैसा कि प्रश्न संख्या २४ के उत्तर में कहा गया है, ३ व ४ मार्च, १९६३ तक प्राप्त शिकायतों की जांच की गई थी । चूंकि सरकार इस बात से सहमत थी कि उपर्युक्त शिकायतों में लगाये गये आरोप निराधार थे। अतः २५–५–६३ के शिकायती पत्र पर कोई दूसरी जांच नहीं करायी गई थी ।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ३–४ मार्च, ६३ को किन आरोपों की जांच की गई और किस आधार पर वह आरोप निराधार पाये गये ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

यह ४–५ पन्ने की है, मैं रिपोर्ट पढ़े देता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

उसे माननीय सदस्य कृपया देख लें ।

श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब ३–४ मार्च सन् ६३ तक की शिकायत के आरोपों के खिलाफ २५ मई, १९६३ के पत्र के आरोप थे ? भूतपूर्व मंत्रीजी ने आदेश दिये थे कि सख्ती के साथ निष्पक्ष जांच की जाय ? उन आरोपों की जांच न करना और सरकार द्वारा उन्हें भी बिना जांच निराधार मान लेने का मकसद क्या है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

अगर आप का आदेश हो तो मैं भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी का पत्र सुना दूं.....

श्री अध्यक्ष—

आप, कैथवार जी, पहले वह देख लें और उसके बाद प्रश्न कर लें ।

नोट—तारांकित प्रश्न १३ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*१४–१५—श्री गिरवर प्रसाद (जिला एटा)—

[आठवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*१६–१७—श्री शुगनचन्द मजदूर—

[आठवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*१८—श्री देवदत्त मिश्र—

[आठवें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

*१९–२०—श्री हरीशकुमार गंगवार—

[सांतवे शुक्रवार के लिए प्रश्न संख्या २२–२३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

चमोली जिले में मेडिकल कालेज स्थायी करने का सुझाव

*२१—श्री योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी (जिला चमोली)—

इस बात को देखते हुए कि काफी संख्या में डाक्टर उपलब्ध नहीं हैं, क्या सरकार चमोली जिले में एक मेडिकल कालिज स्थापित करने की कृपा करेगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं ।

*२२—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)

[हटा दिया गया।]

मुरादाबाद जिले में सिविल मुलाजमीन के लिए मेडिकल अनुदान

*२३—श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या स्वाथ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद जिले के सिविल मुलाजिमीन के लिए १९६२–६३ और १९६४ में मेडिकल हेल्थ के लिये कितना रुपया दिया गया ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

१९६२–६३ में रु० ९,०००.०० और ६३–६४ में रु० १०,४००.०० की धनराशि दी गयी।

*२४—श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या स्वांथ्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेगें कि यह धनराशि सब खर्च हो गयी या कुछ बाकी है भी बची है ? यदि बाकी बची है, तो क्यों ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

१९६२–६३ में रु० ११५.४३ और १९६३–६४ में रु० १६८.६१ की धनराशि बची। बाकी रकम इस कारण बची कि उसको व्यय करने की आवश्यकता नहीं पड़ी।

बसनी सहकारी संघ तथा रतनपुर सहकारी समिति के लेखे में गड़बड़ी

*२५—सर्वश्री सुरजनराम विशारद, ऊदल तथा झिलमिटराम (जिला आजमगढ़)—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेगे कि बसनी सहकारी संघ ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी में ४० हजार रु० का गवन सुपरवाइजर आदि ने कर लिया है और सदस्यों के फर्जी हस्ताक्षर करके रुपया ले लिया है और इसी संघ की सोसाइटी रतनपुर में भी गबन फरर्जी दस्तखत करके किया गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी और क्या सहकारिता मंत्री को वहां के किसानों ने सन् १९६४ में कोई प्रार्थना-पत्र भी भेजे हैं ?

श्री बनारसीदास—

बसनी सहकारी संघ ऋण का वितरण नहीं करता, अतः फर्जी हस्ताक्षर करके रुपया ले लेने का प्रश्न नहीं उठता। इसमें ११,२२६ रुपये की गड़बड़ी खाद बिक्री के सम्बन्ध में अवश्य मालूम हुई है जिसके सिलसिले में एक सुपरवाईजर सस्पेंड कर दिया गया है और सहायक विकास अधिकारी (सह०) बड़ा गांव द्वारा जांच की जा रही है।

रतनपुर सहकारी समिति में गबन की कोई सूचना अभी तक विभाग में प्राप्त नहीं हुई है फिर भी समिति का निरीक्षण कराया जा रहा है जिससे यदि कोई गड़बड़ी हो तो प्रकाश में आ जाय। इस सम्बन्ध में कोई शिकायती पत्र किसानों से १९६४ में सरकार को प्राप्त नहीं हुआ।

*२६—श्री मदनपालसिंह (जिला हमीरपुर)—

[हटा दिया गया]

*२७-२८—श्री मदनपालसिंह—

[आठवें बुधवार के लिए स्थगित किये गये।]

*२९-३१—श्री विजय सिंह (जिला जालौन)—

[सातवें शुक्रवार के लिए प्रश्न संख्या १७-१९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

भुवाली सेनेटोरियम के मजदूर की मृत्यु की जांच

*३२—श्री देवेन्द्रसिंह (जिला नैनीताल)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक १८ अगस्त, १९६४ को सेनेटोरियम भुवाली, जिला नैनीताल में एक कर्मचारी श्री हयात सिंह की संदिग्धावस्था में मृत्यु हुयी थी? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या-क्या कार्यवाही की है?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी नहीं। इस सम्बन्ध में की गयी जांच के अनुसार श्री हयात सिंह नामक भुवाली सेनेटोरियम के सहकारी विभाग के मजदूर की मृत्यु विष पान से हुई पायी गई। यह विष पान कब और कैसे हुआ इसकी जांच सी० आई० डी० द्वारा हो रही है।

आजमगढ़ जिले में जनशक्ति योजना

*३३—श्री दौलतलाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनशक्ति योजना के अनुसार आजमगढ़ जिले के कौन-कौन सी योजनायें कितनी-कितनी धनराशि की स्वीकृत हुई हैं? स्वीकृत धनराशि में से कितनी धनराशि किन योजनाओं में खर्च की जा चुकी है?

*३४—आजमगढ़ जिले के जनशक्ति योजना किन-किन विकास खंडों में प्रारम्भ की गई हैं?

श्री राममूर्ति—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

कामताप्रसाद के विरुद्ध अध्यक्ष, अन्तरिम जिला परिषद्, आजमगढ़ का पत्र

*३५—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या विकास मंत्री दिनांक १० फरवरी, १९६५ के तारांकित प्रश्न संख्या ३८ के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि जांच करने वाले अधिकारी ने शिकायत करने वाले व्यक्ति से बयान आदि लिये कि नहीं? यदि लिये हैं तो वह बयान क्या है तथा क्या कोई साधारण अनियमितता पाई गई है?

श्री राममूर्ति—

जांच करने वाले अधिकारी ने शिकायत कर्ता (श्री राम कुंवर सिंह) से आरोपों के विषय में बातचीत की परन्तु कोई लिखिति बयान नहीं लिया। परिषद् के बगले के किराये का नियमित रूप से भुगतान न होने में एक साधारण अनियमितता जरूर पाई गई, जिसके बारे में परिषद् द्वारा वसूली की आवश्यक कार्यवाही की जा रहीं है।

*३६—३८—श्री भीमाप्रसाद (जिला आजमगढ़) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

[आठवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

ललितपुर सब-डिवीजन में डाक्टर के बिना अस्पताल

*३९—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ललितपुर सब-डिवीजन (जिला झांसी) नगर-पालिका और टाउन एरिया केन्द्रों को छोड़कर देहात क्षेत्र की तीन लाख से ऊपर जन संख्या में तीन अस्पताल १—बार, २—गौना, ३—जखौरा में हैं ? इनमें से किस अस्पताल में कितने वर्षों से डाक्टर नहीं हैं ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां । बार चिकित्सालय दिनांक ११-८-६२ से, गौना चिकित्सालय दिनांक २७-९-१९६३ से तथा जखौरा चिकित्सालय दिनांक ९-६-१९६० से बिना चिकित्सक के हैं ।

*४०—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—

क्या सरकार को इसकी भी जानकारी है कि बार और गौना का अस्पताल लगभग २० वर्षों से कायम है तथा जखौरा अस्पताल जब से बना या खुला तबसे आज तक कभी डाक्टर पहुंचा नहीं है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

जी हां । जखौरा अस्पताल जबसे खुला है तब से वहां पर चिकित्सक नहीं पहुंचा है ।

*४१—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—

क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुये कि बार, जखौरा ब्लाक का केन्द्र है, तथा भटवरा ब्लाक में केवल गौना अस्पताल है और झांसी से ८० मील दूर है, वहां के निवासियों के कष्ट को दूर करने हेतु शीघ्र डाक्टर भेजने की कृपा करेगी ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

डाक्टरों के उचित संख्या में उपलब्ध होने पर उक्त चिकित्सालयों में डाक्टर भेजने की व्यवस्था की जायेगी ।

*४२—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

[सातवें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या २० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*४३—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

[छठे गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ६५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*४४-४५—श्री बृजबिहारी—

[आठवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

कुरावली ब्लाक में सहायक विकास अधिकारी

*४६—श्री बृजेश्वर सहाय (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ब्लाक कुरावली, जिला मैनपुरी में ए० डी० ओ० कौन-कौन हैं और कितने-कितने दिनों से वहां हैं ?

श्री राममूर्ति—

विकास क्षेत्र कुरावली में निम्नलिखित सहायक विकास अधिकारी, उनके नाम के सामने क्रमशः अंकित तिथि से हैं :—

नाम सहायक विघटन अधिकारी	तिथि जब से वे उक्त विकास क्षेत्र में हैं
१—श्री साहब राम यादव, स० वि० अ० (कृषि) ..	२–८–५९ से
२—श्री शिवराज सिंह, स० वि० अ० (सह०)	१–७–६४ से
३—श्रीमती हंसमुखी देवी, स० वि० अ० (महिला) ..	८–८–६१ से
४—श्री राम कुमार गुप्ता, स० वि० अ० (पंचायत) ..	७–११–६४ से
५—पी० सी० जैन, पशु चिकित्सक	२१–६–६३ से

*४७–४८—श्री बृजेश्वर सहाय—

[छठे गुरुवार के लिये प्रश्न संख्या ६९–७० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*४९—श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)—

[सातवें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या २१ के अन्तर्गत स्थानन्तरित किया गया ।]

*५०—श्री मैनेजरसिंह—

[आठवें बुधवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*५१—श्री चन्द्रबलीसिंह—

[हटा दिये गये ।]

*५२–५३—श्री चन्द्रजीत यादव—

[आठवें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

अतारांकित प्रश्न

[फतेहपुर जिले में ब्लाक कर्मचारी]

१—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

९ सितम्बर, १९६४ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न १ के उत्तर के संदर्भ में क्या यह सही है कि प्रश्न से सम्बन्धित कर्मचारियों की निर्धारित योग्यता इंटर, हाई स्कूल व जूनियर हाई स्कूल है और चपरासियों के पदों की कोई योग्यता निर्धारित नहीं है और रिकार्ड है कि सेवा योजन कार्यालय, फतेहपुर में ऐसे सैकड़ों हरिजनों के नाम रजिस्टर्ड हैं ? यदि हां, तो फिर ६७२ स्थानों में से १२० हरिजनों के बजाय ६१ ही हरिजन रख कर सेवायोजन कर्यालय, फतेहपुर में योग्य हरिजनों के न होने के उत्तर का आधार क्या है ?

श्री राममूर्ति—

यह सत्य नहीं है कि प्रश्न संख्या १ से सम्बन्धित सभी कर्मचारियों की निर्धारित योग्यता इंटर, हाईस्कूल, जूनियर हाईस्कूल है । यह सही है कि चपरासियों के पद के लिये कोई शैक्षिक योग्यता निर्धारित नहीं है । प्रश्न से सम्बन्धित सभी कर्मचारियों की नियुक्तियां १९६३ से पूर्व हुई हैं । ६७१ (न कि ६७२) पदों में ३५५ पदों की नियुक्तियां राज्य स्तर तथा मंडल स्तर से

हुई हैं । अतः इन नियुक्तियों के लिये जिला सेवा योजन कार्यालय, फतेहपुर के माध्यम से होने का कोई प्रश्न नहीं उठता । शेष ३१६ पदों में से १९० पदों की ही नियुक्तियां जिले में सेवा योजन कार्यालय की स्थापना से पूर्व की जा चुकी थीं । दिसम्बर, १९६० में सेवा योजन कार्यालय की स्थापना के पश्चात् १९६३ तक उस माध्यम से १२६ स्थानों की पूर्ति की गई जिनके लिये सेवा योजन कार्यालय से ५३५ नाम भेजे गये । ८७ हरिजनों के नाम प्राप्त हुये जिनमें से नियुक्त किये गये हरिजनों की संख्या २२ है । वर्ष १९६० से १९६३ तक प्रत्येक पद के लिये निर्धारित योग्यता रखने वाले रजिस्टर्ड हरिजन अभ्यार्थियों की संख्या जिला सेवा योजन कार्यालय, फतेहपुर से उपलब्ध न हो सकी ।

उपलब्ध रिकार्ड से विदित होता है कि समय-समय पर पदों के लिये जो नाम सेवा योजन, फतेहपुर से प्राप्त हुये उनमें पद हेतु उपयुक्त पाये गये अभ्यार्थियों की नियुक्तियां की गईं ।

प्रश्न में ६७२ स्थानों के बजाय ६७१ पदों की पूर्तियां की गई । जिनमें से ६२ हरिजन अभ्यर्थी हैं ।

गांव सभा, रैथाना में गबन

२—श्री देवदत्त मिश्र—

क्या विकास मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि उन्नाव जिलान्तर्गत सिकन्दरपुर कर्म विकास क्षेत्र की गांव सभा रैथाना की आडिट रिपोर्ट में हिसाब-किताब में गबन पाया गया है ? यदि हां, तो गांव सभा के प्रधान व उक्त सम्बन्धित व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

श्री राममूर्ति—

जी हां । जिला उन्नाव की गांव सभा रैथाना की आडिट रिपोर्ट में हिसाब-किताब में गबन पाया गया । इसके लिये गांव सभा प्रधान के विरुद्ध परगनाधीश उन्नाव द्वारा पंचायतराज ऐक्ट की धारा ९५(१) छ के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है ।

३—श्री देवदत्त मिश्र—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि उक्त गांव का प्रधान अवैध रूप से गांव की चरागाह की भूमि के पट्टे लेखपाल तथा अन्य अधिकारियों की सहायता से कर रहा है ? क्या सरकार शीघ्रातिशीघ्र जांच कराकर इस तरह से अवैध पट्टे को नीलाम करने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति—

प्रधान के विरुद्ध इस प्रकार की एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसकी जांच सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा की जा रही है । आरोप प्रमाणित होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

४–५—श्री कल्याणचन्द मोहिले तथा श्री सालिगराम जैसवाल—

[छठे शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या १४–१५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

मथुरा जिले में हैजा

६—श्री लखीसिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेगी कि मथुरा जिले में चेचक, हैजा एवं फ्लू से कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

पिछले एक वर्ष में मथुरा जिले में चेचक एवं फ्लू से मृत्यु होने की कोई सूचना नहीं है । इसी समय में ५१ व्यक्तियों की हैजा से मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई है ।

मथुरा जिले में चेचक की रोकथाम

७—श्री लखीसिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि चेचक उन्मूलन पर मथुरा जिले में कितना रुपया खर्च किया जाता है और इसके केन्द्र कहां-कहां हैं ? क्या इस विभाग में महिला अधिकारी भी हैं ? यदि हां, तो उनके आवास का सरकार ने गांवों में कोई प्रबन्ध किया है ?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

इस समय मथुरा जिले में चेचक उन्मूलन योजना नहीं चल रही है और न इसके अन्तर्गत कोई केन्द्र ही है। परन्तु साधारणतया स्वास्थ्य विभाग चेचक की रोकथाम का सदा की भांति कार्य करता है। पिछले तीन वर्षों में इस हेतु निम्नलिखित धन का व्यय हुआ :

		रु०
१९६२-६३	..	७०,२०५
१९६३-६४	..	५३,९४७
१९६४-६५	..	६,८३६
	योग ..	१,३०,९८८

उक्त अवधि में एक महिला अधिकारी भी कार्य कर चुकी हैं। क्योंकि इनका प्रधान कार्यालय नगर क्षेत्र में ही था और वे नगर क्षेत्र ही में महिलाओं के बीच कार्य करती थीं, अतः गांवों में उनके आवास का प्रबन्ध करने का प्रश्न नहीं उठता।

तेलियानी ब्लाक के ए० डी० ओ०, कम्पोस्ट की थाना कोतवाली में रिपोर्ट

८—श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या उत्तर प्रदेश सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या यह बात सही है कि दिनांक १ जनवरी, १९६५ को करीब ४ बजे अपराह्न, जिला फतेहपुर के तेलीयानी ब्लाक के खंड विकास अधिकारी ने उक्त ब्लाक के ए० डी०ओ०, कम्पोस्ट को कार्यालय में बन्द करके बुरी तरह पीटा। जिस पर उसने थाना कोतवाली, फतेहपुर में उसी दिन करीब ५ बजे शाम को रिपोर्ट की, अपनी चोटों का डाक्टरी मुआइना सरकारी अस्पताल फतेहपुर में कराया और जिला नियोजन अधिकारी को उसी रात एक तार दिया ? यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट, डाक्टरी मुआइने और तार की प्रतिलिपि भी सदन की मेज पर रखी जायेगी ?

श्री राममूर्ति—

सहायक विकास अधिकारी (कम्पोस्ट) द्वारा कोतवाली में लिखाई गई रिपोर्ट, उनके तार, तथा डाक्टरी मुआइना की एक-एक प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत है। स्थानीय जांच से ऐसा पता नहीं चल सका कि मारपीट हुई।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ९०६–९०७ पर)

९—श्री दीपनारायणसिंह—

क्या उत्तर प्रदेश सरकार यह भी बतलाने की कृपा करेगी कि क्या यह भी सत्य है कि उक्त खंड विकास अधिकारी व उसके साथी अधीनस्थ कर्मचारियों ने पुनः दिनांक २ जनवरी, १९६५ को उक्त ए० डी० ओ० (कम्पोस्ट) को जान से मार डालने की नीयत से खदेड़ा ? क्या इस सम्बन्ध में कोई दरख्वास्त पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर व अन्य अधिकारी के पास उक्त ए० डी० ओ० ने दी ? यदि हां, तो वह क्या है और उस पर तथा दिनांक १ जनवरी, १९६५ की रिपोर्ट के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राममूर्ति—

यह सत्य है कि खंड विकास अधिकारी व उनके अधीनस्थ कर्मचारियों ने २ जनवरी, १९६५ को कम्पोस्ट निरीक्षक का पीछा किया परन्तु यह सत्य नहीं है कि उन्हें जान से मार डालने की नीयत से खदेड़ा। इस घटना की रिपोर्ट ए० डी० ओ० (कम्पोस्ट) ने किसी अधिकारी को नहीं की। दिनांक १ जनवरी, १९६५ को जो रिपोर्ट उन्होंने कोतवाली में दर्ज कराई वह भारतीय दंड विधान की धारा ३२३ के अन्तर्गत दर्ज की गई, जिस पर पुलिस ने non cognizable offence होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की। विभागीय जांच से ज्ञात हुआ कि खंड विकास अधिकारी दिनांक १ जनवरी, १९६५ को दोपहर के बाद अपने कार्यालय पर नहीं थे तथा खंड के अन्य कर्मचारियों ने कोई मार-पीट नहीं की।

१०—श्री दीपनारायणसिंह—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि उपरोक्त दिनांक १ जनवरी, १९६५ और २ जनवरी, १९६५ की घटनाओं के सम्बन्ध में उक्त ए० डी० ओ० कम्पोस्ट को बिना किसी चार्ज के निलम्बित कर दिया गया है और उन कर्मचारियों के विरुद्ध जिन्होंने उपरोक्त घटना अपनी आंखों से देखी है, अनुशासन सम्बन्धी नोटिस प्रसारित की है? क्या सरकार उक्त घटनाओं को अत्यन्त गम्भीर मानकर सी० आई० डी० अधिकारियों व उच्च स्तर के प्रान्तीय अधिकारियों से जांच करा कर सही अपराधियों को दण्डित करवाने की कृपा करेगी?

श्री राममूर्ति—

यह सत्य नहीं है कि कम्पोस्ट निरीक्षक को १ जनवरी, १९६५ और २ जनवरी, १९६५ की घटनाओं के सम्बन्ध में निलम्बित किया गया है। उनके निलम्बित करने के अन्य कारण हैं। यह भी सत्य नहीं है कि इस सम्बन्ध में किसी अन्य कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासन सम्बन्धी नोटिस प्रसारित किये गये हैं।

कोई और कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

११-१२—श्री चन्द्रबलीसिंह—

[हटा दिये गये।]

सहकारी औषधि निर्माण शाला, रानीखेत

१३—श्री झारखण्डेराय—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहकारी औषधि निर्माण शाला (रानीखेत) अल्मोड़ा की उसकी संस्थागत दिवस से सरकार की ओर से किस-किस प्रकार की कौन-कौन सहायता की गई है?

श्री बनारसीदास—

सहकारी औषधि निर्माणशाला के स्थापना काल (वर्ष १९५८) से इस समय तक राज्य सरकार से किसी भी प्रकार की सहायता नहीं दी गई है।

१४—श्री झारखण्डेराय—

क्या सरकार को इस बात का पता है कि उसकी बहुत कीमती और कारगर मशीनें बेकार पड़ी हैं?

श्री बनारसीदास—

जी हां।

१५—श्री झारखण्डेराय—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उसके कच्चे माल की सप्लाई और बने माल की खपत के लिये बाजार मुहैया करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बनारसीदास—

इस सिलसिले में सरकार ने इस संस्था को कोई प्राथमिकता या सुविधा नहीं दी है ।

वाराणसी जिले को टीन का कोटा

१६—श्री ऊदल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी जिले में नियोजन विभाग द्वारा सन् ६३-६४ तथा ६४-६५ में जनवरी तक कितने टन पनालीदार टीन का कोटा कृषि कार्य के लिये किन-किन लोगों को दिया है, उनके नाम तथा पते क्या हैं तथा इन दो वर्षों में नियोजन विभाग वाराणसी को कितने टन का कोटा दिया गया है ?

श्री राममूर्ति—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री काशीनाथ मिश्र द्वारा उठाया गया व्यवस्था का प्रश्न

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि सोमवार को पहले दिन जब मैंने एक विशेषाधिकार का सवाल माननीय हरगोविन्द सिंह के विरुद्ध उठाया था तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने कह दिया कि वह अध्यक्ष महोदय की फाइल में है । जब वे आयेंगे तो बताया जायगा । कल मैं हाई कोर्ट में रिट दाखिल करने गया था और आज मैं उपस्थित हूं । मैं प्रार्थना करता हूं कि वह आज पढ़ दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

जहां तक उसका संबंध है मैंने आपकी अनुपस्थिति के कारण अस्वीकार नहीं किया है । मैंने आदेश लिख दिया है आप देख लें ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, मुझे नहीं मालूम कि यह सदन कैसे चलेगा ।

श्री अध्यक्ष—

वह मैंने कल ही दिया है ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, एक मौलिक बात यह है कि कोई एक सवाल मेम्बर की हैसियत से मैं करता हूं और आप एक आफिसर की रिपोर्ट के आधार पर खंडित कर देते हैं । माननीय कैथवार ने एक चीज कही . . . . . .

श्री अध्यक्ष—

यह हो गया है । मैं एक बात बता दूं । यह प्रश्न कल उठा था और उस पर व्यवस्था दे दी गयी है ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, एक बात जो माननीय कैथवार जी ने कही उसका अफसर की रिपोर्ट के आधार पर खंडन किया गया। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि यह घटना हुई है और यह कहा कि क्या माननीय मंत्री जी इसकी विशेष जांच करेंगे, पर उस पर भी मंत्री जी ने कहा है कि इसकी जांच कराने की जरूरत नहीं समझता हूं। तो श्रीमन्, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि क्या यह सही है कि जो मंत्री जी अपने अफसर की रपट के आधार पर कहते हैं वह सही है या वह सही है जो माननीय सदस्य के ऊपर घटना घटी है ?

श्री अध्यक्ष—

कल मैंने इस संबंध में जो व्यवस्था देनी थी, दे चुका हूं। रहा यह कि एक बात आपकी तरफ से कही जाती है कि इस प्रकार से जांच हो, सरकार यह कार्यवाही करे, पर सरकार इस प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझती।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, आपने जो बात कही है वह नहीं है। मैंने एक निश्चित बात कही है और निश्चित रूप से उसका उत्तर आना चाहिये। जांच की बात नहीं है। मैं यह कहता हूं कि यह टेबिल है, मंत्री जी कहते हैं कि टेबिल नहीं है। इसका निर्णय कैसे होगा ? इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष—

कल मैंने जो व्यवस्था दी, उसे देखें तो आपको मालूम हो जायगा।

लखनऊ में उपल वृष्टि के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ के अन्तर्गत जो सूचनायें मेरे पास आयीं हैं .....

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, मैंने एक कामरोको प्रस्ताव दिया था। श्री राजनारायणसिंह अनशन कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

कामरोको प्रस्ताव नहीं है। नियम ५२ के संबंध में माननीय सुखलाल जी का है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस पूरे लखनऊ जिले में भारी वर्षा एवं उपल वृष्टि से रबी की फसल को बहुत हानि हुई है। यह मैंने माननीय माल मंत्री के पास भेज दी है और जब वे वक्तव्य देंगे तो इस पर भी वक्तव्य दे देंगे।

जिला बहराइच में गेहूं का गलत बीज दिये जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ की सूचना एक और है जो माननीय मंगल प्रसाद आर्य, राम अधार कनौजिया, चौधरी हसीब खां और प्रेम सिंह की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिला बहराइच में सरकारी बीज भंडारों से जिले के कृषकों ने जो गेहूं का बीज लेकर बोया था, गेहूं की बालियां ठीक निकलीं परन्तु अब गेहूं के दाने काले होकर सिमटे जा रहे हैं। यह भी मैंने माननीय कृषि मंत्री जी के पास भेज दिया है जब इस संबंध में वे वक्तव्य देंगे, इस पर भी वक्तव्य दे देंगे।

एक माननीय काशीनाथ जी का आया जिसे मैंने अस्वीकार कर दिया है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

कन्हैया लाल मिश्र एडवोकेट जनरल का है जो बहुत जरूरी है । वह इलाहाबाद में गड़बड़ी कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

मैं इस तरह से नहीं सुनूंगा । यह होने लग जायगा तो मेरे पास ५ प्रश्न और आये हैं सब पर इसी तरह से भाषण होने लग जायेंगे । जो निर्णय है वह लिख दिये गये हैं, उसे आप देख लीजियेगा । अगर आप समझते हैं कि कारण अपूर्ण हैं तो आप मुझ से बातचीत कर लीजियेगा और मैं आपकी बात सुनूंगा ।

शिक्षकों द्वारा अनशन करने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब एक माननीय रामसुन्दर पांडेय, माननीय उग्रसेन, माननीय केशरीप्रसाद पांडेय, माननीय गयाप्रसाद, माननीय राधेश्याम शर्मा, माननीय होरीलाल यादव और माननीय शिवनाथसिंह का है । यह माननीय राजनारायणसिंह के अनशन पर है जो उन्होंने कल सायंकाल से शायद शुरू किया है लिखते हैं, "७ पौंड वजन घट गया है एक रात्रि में" । अध्यापक वर्ग का जो आन्दोलन चल रहा है उससे संबंधित है । तो मूल प्रश्न अध्यापकों की मांग और उनकी पूर्ति न होने से संबंधित है ।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

प्रश्न वास्तव में यह है कि राजनारायण जी ने सबसे पहले मुख्य मंत्री को एक तार दिया, फिर ९ तथा २२ तारीख को पत्र लिखे, लेकिन कोई जवाब उनको नहीं मिला । इस कारण उन्होंने भूख हड़ताल की है । अगर उनको जवाब दे दिया गया होता तो वह शिक्षकों को समझाते और अनशन न करते । इस प्रकार सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ।

नार्दन इंडिया पत्रिका में प्रकाशित विधान सभा की कार्यवाही से सम्बद्ध त्रुटि के विषय में प्राप्त पत्र की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक सूचना यह देनी है कि कल नार्दर्न इंडिया पत्रिका में यह छप गया है कि मोशन अगेन्स्ट होम मिनिस्टर्स रिमार्क अपोजीशन वाक आउट उसमें छप गया है । होम मिनिस्टर मिस्टर हुकुम सिंह स रिमार्क यह गलत छप गया है । मिस्टर किदवई जो एडिटर हैं उन्होंने लिख कर भेजा है कि गलती से हुकुम सिंह का नाम छप गया है और उसको दुरुस्त कर दिया गया है ।

शिक्षकों द्वारा अनशन करने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना (क्रमागत)

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना है कि सोमवार को जब मुख्य मंत्री यहां बैठी हुई थीं तो उस समय अध्यापकों के अनशन के संबंध में प्रश्न उठाया गया था कि उनकी मांगों के बारे में सरकार क्या करने जा रही है ? उस समय उत्तर देते हुए उन्होंने कहा था कि शिक्षा मंत्री कैलाश प्रकाश दिल्ली गये हुए हैं, आने पर विचार हो सकेगा । तो मेरा निवेदन है कि अब स्थिति भयानक हो गयी है, शिक्षकों ने सामूहिक अनशन शुरू कर दिया है । दूसरी

ओर सरकार की तरफ से बार-बार कहा जाता है कि वह परीक्षाओं को भली प्रकार चला रही है, लेकिन उसमें गड़बड़ी हो रही है, नकल हो रही है और ठीक तरह से चल नहीं पा रही है । तो मैं चाहता हूं कि सरकार इस विषय में सूचना दे क्योंकि अब श्री कैलाश प्रकाश जी आ गये होंगे ।

श्री अध्यक्ष—

इस संबंध में माननीय राम सुन्दर पांडेय ने भी मेरा ध्यान आकर्षित किया था । वह भी यही बात कह रहे थे । इन परिस्थितियों में विशेष कर जब कि मुख्य मंत्री ने यह कह दिया था कि शिक्षा मंत्री नहीं हैं, आ जायेंगे तो विचार हो सकेगा . . . .

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, आपने आज अखबार में पढ़ा होगा कि अध्यापक वर्ग कौंसिल हाउस के सामने अनशन कर रहा है । जो २९ मार्च को प्रदेश के हर जिले के केन्द्रों पर अनशन करेंगे और २८ तारीख को अध्यापक संघ की कार्यकारिणी समिति की बैठक इस पर विचार करने जा रही है कि २९ मार्च के अनशन का क्या रूप होगा ? इस प्रकार ऐसी परिस्थिति पैदा हो गयी है कि जिससे साथी राजनारायण भी अनशन कर रहे हैं । अगर सरकार की हठवादिता जारी रहेगी, जिसको इधर के लोग नहीं चाहते हैं कि अपने प्रदेश में ऐसी कोई घटना घटित हो जाय, इसलिये हमारा फर्ज हो जाता है कि सरकार को आगाह करें कि अपने प्रदेश में ऐसी घटना न घटे, जिसे कोई नहीं चाहता है । आप बैठ कर ठंडे दिल से सोचें और मैं चाहता था कि नई परिस्थिति पैदा हो गई है ।

श्री अध्यक्ष—

अब अगर आप मेरी बात सुन लेते तो शायद आपको कहने की आवश्यकता न होती । मैं कह रहा था कि दोनों इस समय नहीं हैं । उनके आने पर स्थिति पर प्रकाश डाला जा सकता है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपको निश्चित पता है कि कल माननीया मुख्य मंत्री और शिक्षा मंत्री यहां रहेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

मेरा खयाल है कि कल सामान्य प्रशासन पर बहस होगी तो शायद वे कल वापस आ जायंगी ।

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, जो अनशन का प्रचार किया जा रहा है . . . . . .

श्री अध्यक्ष—

मैंने खारिज कर दिया है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

श्रीमन्, उपनेता सदन से कह दें कि वे दूसरा शिक्षा मंत्री नियुक्त कर दें ।

श्री अध्यक्ष—

यह बातें हो रही हैं, यह गलत तरीका है और यह नहीं होना चाहिये ।

श्री रामायण राय—

श्रीमन्, यह जो प्रचार हो रहा है . . . . . .

श्री अध्यक्ष—

यह मैं मानता हूं । मैंने इसी आधार पर खारिज कर दिया है । उनका प्रश्न यह है कि मुख्य मंत्री ने कुछ कहा था । इस पर वे जानना चाहते हैं कि सरकार बयान देगी या नहीं । मैं कहता हूं कि जब वह आ जायेंगी तो प्रश्न आ जायेगा ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

मैं केवल बयान से संतुष्ट नहीं होऊंगा । आप बहस कराइये ।

श्री अध्यक्ष—

इस समय कुछ नहीं हो सकता है जब वे आ जायेंगे तो देखा जायगा ।

उच्चतम न्यायालय की रिफरेंस संख्या १ पर राय के विषय पर चर्चा हेतु समय निर्धारण

श्री अध्यक्ष—

जुडीशियरी और लेजिस्लेचर के संबंध में मेरे पास कई सूचनायें आई हैं और माननीय कमलासिंह यादव का एक प्रस्ताव भी आया है कि इस पर विचार होना चाहिये । खयाल यह था कि जो हाल में श्री केशवसिंह के संबंध में निर्णय हुआ है, कदाचित् हमारे सभी जो वाद विवाद के प्रश्न थे उससे सुलझ जायेंगे, लेकिन अब विचार करने पर मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि जो हमारा प्रश्न है वह पूर्णतया उससे हल नहीं हुआ है । अतः मैं समझता हूं कि इस पर जो माननीय सदस्यों की मांग है कि उस पर चर्चा हो, उसका आदर करते हुये मैं ३० और ३१ को इसके ऊपर विचार-विमर्श के लिये समय निश्चित करता हूं कि इस दिन सदन में विचार हो ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमान्, केशवसिंह के मामले में अब हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं । अतः हमारे विचार से जब हम सुप्रीम कोर्ट से वापस आ जायें तो आप इस पर बहस करायें ।

श्री अध्यक्ष—

आप लिख कर भेज दें तब विचार होगा । आप जब जायेंगे तब देखा जायेगा, अभी तो आप जा नहीं रहे हैं ।

विविध विषय

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक बड़ा विनम्र निवेदन है, मैं माननीय चन्द्रबली जी के बारे में कहना चाहता हूं, जिसके संबंध में मैं पहले भी कह चुका हूं कि हम सब इस पर विचार करें और मामला सुलझ जाये । इतने दिन तो अब उनकी सजा के बहुत हो चुके हैं ।

श्री अध्यक्ष—

देखें, इस मामले में, नेता सदन या उपनेता सदन से बातचीत करके मालूम कर लें, उसके उपरांत यह प्रश्न यहां आ सकता है, इस तरह से सीधे यहां लाना मैं उचित नहीं समझता हूं । आप पहले बातचीत, वार्ता कर लें, तब यह प्रश्न सदन में आ सकता है ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, मेरी जानकारी में एक बात आयी है कि कल कोई गजटेड हाली डे है, किन्तु यहां नहीं है । आप इसके बारे में मालूम कर लें कि वास्तव में कल क्या गजेटेड हाली डे है और सब जगह आफिस बन्द हैं, मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बात पर ध्यान दें और . . .

श्री अध्यक्ष—

यह तो हमारे और आपके अधिकार की बात है कि हम बैठ सकते हैं ।

वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय की शिष्ट परिषद् में कार्य करने हेतु ३ सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय की शिष्ट परिषद् में कार्य करने के लिये, वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ की धारा १९ की उपधारा (१) की मद (१७) के अनुसार विधान सभा के तीन सदस्यों का निर्वाचन करे ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय की शिष्ट परिषद् में कार्य करने के लिये, वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ की धारा १९ की उपधारा (१) की मद (१७) के अनुसार विधान सभा के तीन सदस्यों का निर्वाचन करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष—

अब इसके लिये जो तिथियां नियुक्त हो चुकी हैं, अन्य निर्वाचनों के लिये, वही तिथियां मैं घोषित करता हूं । नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति की अन्तिम तिथि २९ मार्च, नाम निर्देशन पत्रों का सूक्ष्म परीक्षण १ अप्रैल, नामों की वापसी की अन्तिम तिथि ५ अप्रैल तथा निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो उसके लिये तिथि और समय—८ अप्रैल, १९६५ को विधान भवन के कमरा नं० ५० में १२ बजे से ४ बजे तक।

उत्तर प्रदेश लोक धन (देयों की वसूली) विधेयक, १९६५

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश लोक धन (देयों की वसूली) विधेयक, १९६५ को पुरःस्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, मैं इसका विरोध करता हूं । माननीय मंत्री जी ने जो पढ़ा है उसमें उन्होंने गवर्नर की सिफारिश का नाम नहीं लिया है और न आपकी आज्ञा मांगी है । शायद इस पर गवर्नर महोदय की आज्ञा नहीं मिली है.....

श्री हुकुमसिंह विसेन—

पढ़ने से रह गया होगा, इसे समझ लिया जाये ।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, जहां तक इस विधेयक का संबंध है यह धन विधेयक है । यह आर्टिकिल १९९ के अन्तर्गत आ जाता है, अतः यह धन विधेयक समझा जा सकता है । इस आर्टिकिल में यह दिया हुआ है, उसके 'ख' की ओर मैं आपका ध्यान दिलाता हूं और च—२ की ओर भी—"राज्य द्वारा धन उधार लेने का, अथवा राज्य द्वारा लिये गये अथवा लिये जाने वाले किन्हीं वित्तीय आभारों से सम्बद्ध विधि के संशोधन करने का विनियमन ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कमलासिंह यादव]

अब मैं उसके भाग (च) की ओर इशारा कर रहा हूं । उसमें है—"(च) राज्य की संचित निधि के या राज्य के लोक लेखे मध्ये धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या निकासी करना ।"

यही अनुच्छेद ११० के अन्तर्गत दिया हुआ है । अगर उसको भी पढ़ें तो उसके (च) में भी यही बात दी हुई है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं एक बात जानना चाहता हूं कि क्या आपने १९९ का खंड (ख) पढ़ा है ?

श्री कमलासिंह यादव—

जी हां, उसके खंड (ख) और (च) को भी मैंने पढ़ा है ।

श्री अध्यक्ष—

तो उसमें यह किस तरह से आता है ?

श्री कमलासिंह यादव—

अभी मैं क्लियर करता हूं । अब मैं २६६ की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं :—

"२६६—(१) अनुच्छेद २६७ के उपबन्धों के, तथा कुछ करों और शुल्कों के शुद्ध आगम के राज्यों को पूर्णतः या अंशतः सौंपे जाने के बारे में इस अध्याय के उपबन्धों के, अधीन रहते हुये भारत सरकार द्वारा प्राप्त सब राजस्व, राज हुंडियों को निकाल कर, उधार द्वारा और अर्थोपाय पेशगियों द्वारा लिये गये सब उधार तथा उधारों के प्रतिदान में उस सरकार को प्राप्त सब धनों की एक संचित निधि बनेगी जो 'भारत की संचित निधि' के नाम से ज्ञात होगी तथा राज्य की सरकार द्वारा प्राप्त सब राजस्व, राज-हुंडियों को निकाल कर, उधार द्वारा और अर्थोपाय पेशगियों द्वारा लिये गये सब उधार, तथा उधारों के प्रतिदान में उस सरकार को प्राप्त सब धनों की एक संचित निधि बनेगी जो 'राज्य की संचित निधि' के नाम से ज्ञात होगी ।"

यह मैं इसलिये कहता हूं कि हम इसको साबित कर दें कि संचित निधि का प्रश्न इसमें उठता है तो गवर्नर की सिफारिश का प्रश्न इसमें आयेगा और गवर्नर की सिफारिशें इसमें नहीं मिली हैं ।

श्री अध्यक्ष—

गवर्नर की सिफारिश के लिए कौन-सा अनुच्छेद आपने बताया ?

श्री कमलासिंह यादव—

वह तो २०७ है । मैं उस पर अभी आ रहा हूं । उस में यह दिया है—"२०७—(१) अनुच्छेद १९९ के खंड (१) के (क) से (च) तक उपखंडों में उल्लिखित विषयों में से किसी के लिए उपबंध करने वाला विधेयक या संशोधन राज्यपाल की सिफारिश के बिना पुरःस्थापित या प्रस्तावित न किया जायेगा ।"

अब मैं श्रीमन्, यह बताना चाहता हूं कि संचित निधि से इसका क्या संबंध है । आपका ध्यान १९६५–६६ के बजट के पृष्ठ १६६ की ओर ले जाना चाहता हूं जिसमें राज्य की कुल ऋणग्रस्तता दिखाई गई है और उसके साथ-साथ अनुदान संख्या ५५ जिसका शीर्षक है "ब्याज वाले ऋण और अग्रिम" । इसमें कायदा यह है कि विदेशों से सरकार रुपया कर्ज लेती है इंडस्ट्रीज के विकास कार्यों को डेवलप करने के लिए तो उसका इंटरेस्ट देना पड़ता है । वह रुपया केंद्रीय सरकार कर्ज पर लेती है और फिर इंटरेस्ट के ऊपर वह स्टेट गवर्नमेंट्स को देती है और स्टेट गवर्नमेंट जब रुपया देती है तो कंसोलिडेटेड फंड में वह रुपया आता है । उसके बाद यह स्टेट गवर्नमेंट उस रुपये को किसानों को या इंडस्ट्रियल परपज के लिए या विकास के लिए जो

लोग चाहते हैं, उनको ऋण के रूप में देती है और उनसे वह इंटरेस्ट लेती है। तो आपके सामने सवाल वसूली का कहा जा सकता है क्योंकि वह रुपया सब लोगों से वसूल होने वाला है। लेकिन वास्तव में यह वसूली का सवाल नहीं है यह कंसालिडेटेड फंड के रुपये की वसूली का सवाल है।

बजट के साथ एक परिचय-पत्र दिया है। उसके पृष्ठ २ के (४) में दिया है कि इसके संहत तीन मुख्य भाग हैं। राजस्व लेखा, पूंजी लेखा और ऋण जिसमें लोक ऋण और अग्रिम ऋण सम्मिलित हैं। अब मैं ऋण के लिए बताना चाहता हूं जिस में यह लिखा है कि "इस भाग में सरकार द्वारा लिए गये ऋण होते हैं—पूर्णतः आस्थायी प्रकार के ऋण जिन्हें आल्पकालिक ऋण कहा जाता है (जैसे ट्रेजरी बिल और अर्थोपाय संबंधी अग्रिम) तथा अन्य प्रकार के ऋण जो स्थायी ऋण कहे जाते हैं और सरकार द्वारा दिये गये ऋण अग्रिम इसके अतिरिक्त इनमें सरकार द्वारा दिये गये ऋणों की अदायगी और अग्रिमों की वसूली भी सम्मिलित होती है" सरकार द्वारा जो ऋण बांटे जाते हैं किसानों को उसमें उसकी अदायगी और वसूली भी सम्मिलित है। अगर आप अदायगी या वसूली के लिए कानून बनाने जा रहे हैं तो जरूर उससे संबंधित है। जो रुपया सरकार द्वारा बांटा गया है किसानों को, उसकी वसूली के लिए यह कानून बनाया जा रहा है तो जो मैंने पढ़ा है वह इसी से संबंध रखता है और उसमें यह ऋण की अदायगी और अग्रिम की वसूली भी सम्मिलित है। इस तरह से श्रीमन्, जो रुपया कंसोलिडेटेड फंड में केंद्रीय सरकार से आया वह रुपया कंशोलिडेटेड फंड में जमा हुआ और वह यहां के किसानों में बांटा गया तो उसका एकाउन्ट उसमें रखा गया कि इतना रुपया दिया गया और तब वह किसानों से इंटेरेस्ट के साथ रुपया वसूल होगा तो फिर वह कंसोलिडेटेड फंड में जायगा। तो इस तरह से कंसोलिडेटेड फंड से यह रुपया निकाला जाता है और वसूली के बाद उसी कंसालिडेटेड फंड में रखा जाता है, तो श्रीमन्, १९९(च) में यह दिया है कि "राज्य की संचित निधि से या राज्य के लोक ऋण के माध्यम से धन प्राप्त करना।" तो इसके संबंध में कोई भी आप कानून बनायें कंसोलिडेटेड फंड का सवाल आता है।

श्री अध्यक्ष—

कंसोलिडेटेड फंड से लोन दिया गया और यह लोन जब वसूल होगा तो कंसोलिडेटेड फंड में जायगा, यह सवाल है।

श्री कमलासिंह यादव—

दूसरा सवाल यह है जैसा कि इस विधेयक का नाम रखा गया, उत्तर प्रदेश लोक धन (देयों की वसूली) विधेयक, १९६५, तो यह विधेयक लोक ऋण से संबंध रखता है। गवर्नमेंट एक तरीके से लोक ऋण लेती है, भारत सरकार से ले या पब्लिक से ले। यह एक परमानेन्ट डेट है। परमानेन्ट डेट जो होता है वह प्रायः ६ प्रकार का होता है। इसमें दिया हुआ है कि वह एक तो बाजार ऋण होता है जैसे उत्तर प्रदेश ऋण, १९४४, १९५२, १९६० आदि। दूसरा हेडिंग है भारत सरकार से ऋण, यानी जो प्रदेशीय सरकार भारत सरकार से लेती है। तीसरा है स्वशासित निकायों से ऋण, चौथा है अल्पकालिक ऋण, पांचवां है अनिज बंध ऋण और जब सरकार ऐसा ऋण लेती है तो वह रुपया उसे कंसालिडेटेड फंड में जमा करना पड़ता है और जब तक उसके लिए लेजिस्लेचर की सेंक्शन न मिले वह उसे निकाल नहीं सकती। कंटिजेंसी के लिए तो गवर्नर को पावर है, उसमें वह रुपया डाल या निकाल सकता है, लेकिन जहां तक कंसालिडेटेड फंड का ताल्लुक है उसमें सरकार बिना लेजिस्लेचर की सेंक्शन के रुपया निकाल नहीं सकती। इसलिए चूंकि सरकार इंटरेस्ट पर रुपया लेती है और इंटरेस्ट पर ही वह रुपया किसानों को बांटती है इसलिए वह उनसे बांड भी लिखवाती है, सेक्योरिटी भी लेती है और यह ऋण अनुदान और ऋण दोनों रुपयों में दिया जाता है। इंडस्ट्री के लिए, विकास के लिए जो रुपया दिया जाता है वह फारेन कंट्रीज से या भारत सरकार से प्राप्त किया जाता है और इंटरेस्ट पर लिया जाता है। चूंकि इंटरेस्ट पर रुपया लिया जाता है इसलिए अधिक इंटरेस्ट पर यह रुपया दिया जाता है।

[श्री कमलासिंह यादव]

इस के लिए बजट में साफ किया गया है कि ऐसी राशियों की या ऐसे ऋण की वसूली जिसमें इस के अतिरिक्त सरकार द्वारा दिये गये ऋणों की अदायगी और अग्रिम की वसूली भी सम्मिलित है। इसका मतलब यह हुआ कि यह कानून देखने में बड़ा सिंपुल मालूम पड़ता है और इससे लगता है कि सरकार कुछ करने नहीं जा रही है और राजस्व मंत्री जी यही कहेंगे कि यह छोटा और सीधा सा बिल है और इसमें बकाया को राजस्व की तरह वसूल करने का अधिकार लिया जा रहा है, लेकिन मैं राजस्व मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जिस रुपये की वसूली वह इसके द्वारा करने जा रहे हैं वह कंसालिडेटेड फंड से दिया गया है और इंटरेस्ट के साथ दिया गया है इसलिए कंसालिडेटेड फंड से जब वह डील करेंगे उस वक्त यह आवश्यक हो जायगा कि इसमें गवर्नर की सिफारिश जरूर हो।

एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं। प्रक्रिया नियमावली के नियम १३० की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इसमें धन विधेयक के साथ एक ज्ञापन पत्र का होना भी आवश्यक होता है। इस बिल के साथ वह ज्ञापन पत्र भी नहीं है। यह बिल संचित निधि से संबंधित है और इसलिए बिना गवर्नर महोदय की सिफारिश के यहां नहीं आ सकता। चूंकि गवर्नर महोदय की सिफारिश आप के पास नहीं है इसलिए इस बिल को मंत्री जी को वापस लेना चाहिए। सिफारिश आने के बाद ही वे इसे सदन में प्रस्तुत करें और तब इस पर विचार होना चाहिए। इस पर आप अपने आदेश दें ताकि यह कहने को न रह जाय कि यह भूल में हो गया।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अध्यक्ष महोदय, कमलासिंह जी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। यह मनी बिल है और इसके लिए मैं आपका ध्यान संविधान के आर्टिकिल १९९ के खंड ४ की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। अगर यह मनी बिल है तो उस के लिए गवर्नर की कंसेंट चाहिए और वह चूंकि नहीं है आपके सामने इसलिए यह बिल मंत्री जी सदन में पुरःस्थापित नहीं कर सकते।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

अध्यक्ष महोदय, मैं इतने विस्तार में बहस नहीं कर सकता। हम मिनिस्टरों की एक जिम्मेदारी होती है। एक लीगल डिपार्टमेंट होता है और उसकी एडवाइस पर हम लोग अमल करते हैं इन कानूनी मामलात में। हमको तो ऐडवाइस मिली है कि यह मनी बिल नहीं है। जैसा कि हमारे भाई कमलासिंह ने कहा इसमें तो आमतौर से शिकायत हुआ करती है कि बड़े बड़े कारपोरेशंस से बड़े-बड़े लोग कर्ज लिया करते हैं और अदा नहीं करते हैं। उन्हें पकड़ने के लिए यह मालगुजारी की तरह वसूल करने के लिए प्रयास है। इसमें जितनी डिले कर दी जायगी, आब्जेक्शंस उठाये जायेंगे उतना ही उनका फायदा होगा। मैं उनको फायदा नहीं पहुंचाना चाहता।

श्री काशीनाथ मिश्र—

बिल तो सही है, उससे हम सहमत हैं, लेकिन प्रोसीजर गलत है, यह हम लोगों को ऐतराज है।

श्री कमलासिंह यादव—

इजाजत हो तो एक बात कहूं? माननीय मंत्री जी ने कहा कि लीगल डिपार्टमेंट से राय ली है। मैंने जब पहले पढ़ा था तो मालूम हुआ कि यह तो एक इन्नोसेंट बिल है, लेकिन जब डीप स्टडी की तो मालूम हुआ कि इसमें गवर्नर की सिफारिश की जरूरत है, बगैर उसके इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। जिस रूप में मैंने रखा है, आप एप्रीशिएट करेंगे कि यह महत्वपूर्ण चीज है, अगर आप इसे पास भी कर देंगे तो नतीजा यह होगा कि इसी आधार पर यह अदालत

में खत्म हो जायगा। अभी नैनीताल वाला बेदखली का था, उसके संबंध में जो कुछ हुआ उससे हमें अफसोस ही रहा। जब स्ट्रक्चर पास होता है कानून में अदालत द्वारा तब इस सरकार और इसके लीगल डिपार्टमेंट की आंखें खुलती हैं यह मैं बराबर देख रहा हूं कि यहां तो इतनी जल्दी है कि दो मिनट में मंत्री जी पास कराना चाहते हैं, हम लोगों की बात सुनना नहीं चाहते और अपने लीगल डिपार्टमेंट की सिफारिश के आधार पर जहां पर लोग सिफारिश के आधार पर भरे गये हैं ऐसे ही बिल ले आते हैं। अगर वहां काम्पीटेंट हैंड्स होते तो जो स्ट्रक्चर हमेशा सुनने में आता है ...

श्री अध्यक्ष—

इससे आपकी बहस को बल नहीं मिलता कि कौन काम्पीटेंट है या नहीं है। आपकी बहस काम्पीटेंट होनी चाहिए, तर्कपूर्ण होनी चाहिए। उनको आप छोड़ दीजिए।

श्री कमलासिंह यादव—

मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी कंसल्ट किया, उन्होंने कहा कि यह जो रुपया बांटा जाता है वह कंसालिडेटेड फंड में से होता है और जब वसूली होती है तो फिर वहीं जायगा, तो यह धारा १९९ के (च) में निश्चित आती है। इसमें जल्दी क्या है, कल सोच-समझ कर ले आवें। तो आप इस पर ध्यान देकर कल आदेश दें तो कोई ऐसी बात नहीं है।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

आज स्थगित कर दें, फिर दो दिन बाद आ सकता है।

श्री अध्यक्ष—

वह तो नहीं मान रहे हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

हमारी दिक्कत है कि मुआहिदा होता है, अगर नहीं देंगे तो बतौर मालगुजारी के वसूल करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

उनका कहना है कि क्या आपका ध्यान आकर्षित किया गया या नहीं कि यह धन विधेयक है या नहीं और आपको यह इनफार्मेशन अपने लीगल डिपार्टमेंट से मिली है कि यह धन विधेयक नहीं है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं जिस रूप में कह रहा हूं उस आधार पर मैं फिर पूछ रहा हूं कि वह धन विधेयक होता है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जायं। अनुच्छेद १९९(१) को अगर पढ़ा जाय तो उसमें यह है "इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए कोई विधेयक धन विधेयक समझा जायेगा यदि उस में निम्नलिखित विषयों में से सब अथवा किसी से संबंध रखने वाले उपबन्ध ही अन्तर्विष्ट हैं" मतलब यह है कि यदि कोई विधेयक हो और उस विधेयक में १९९ अनुच्छेद में जो उपबन्ध हैं, वैसे कोई प्राविधान विधेयक में किया गया हो, तो वह धन विधेयक होगा। कोई भी उपबन्ध किसी विधेयक से यदि इस प्रकार का होगा कि जिसका उल्लेख अनुच्छेद १९९ में हुआ है, तो वह धन विधेयक समझा जायगा।

[श्री अध्यक्ष]

अनुच्छेद १९९ (च) में लिखा हुआ है कि "राज्य की संचित निधि के या राज्य के लोक लेखे मध्ये धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या निकासी करना"। तो कोई भी ऐसा विधेयक जिसमें उपबन्ध यह हो जिसके द्वारा राज्य सरकार इस प्रकार से धन संचित कोष के लिए वसूल करे, तो वह धन विधेयक होगा, यह है इसका मतलब। प्रश्न हमारे सामने इतना रह जाता है कि क्या इस विधेयक में धन प्राप्त करने के लिए कोई प्राविधान है? जहां तक मैं समझा हूं, वह यह है कि जिनको सरकार ने ऋण दिया है उनके व सरकार के बीच जो संविदा (कांट्रेक्ट) है वह यह है कि यदि ऋणी रुपया न दे, तो ऋण मालगुजारी की तरह वसूल किया जायगा। उस शर्त के संबंध में यह शंका उत्पन्न हो गयी है कि वह कानून की दृष्टि से ठीक नहीं है, अवैध है और उस शर्त के अनुरूप कार्यान्वयन नहीं हो सकता। इसलिए यह कहते हैं कि जो शर्तें हमारे संविदा में प्रस्तुत हैं उनकी कानून द्वारा पुष्टि हम करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस विधेयक में इस तरह का कोई उपबन्ध नहीं है जो वसूली करने के हों, या जनता के ऊपर इस तरह का टैक्स बांधने आदि का हो। जब इस तरह का रुपया प्राप्त करने का कोई प्राविधान यदि किसी विधेयक में हो, तो वह धन विधेयक कहलायेगा। अगर उसमें केवल यह है कि जो संविदा (कांट्रेक्ट) जो हमारा है, वह निष्फल न हो जाय, उस की पुष्टि के लिए विधेयक हो, उसमें धन प्राप्त करने के लिए कोई बात न हो, तो वह धन विधेयक नहीं हो सकता।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, आप कृपया विधेयक के खंड ३ को और देख लें, उसमें यह सब दिया हुआ है कि कैसे वसूल होगा, क्या होगा, मैं इसे आपके पास भेज दूं, आप पढ़ लें।

श्री अध्यक्ष—

जो शंका उठाई गयी है कि यह विधेक अगर स्वीकार हो गया और अधिनियम बन गया तो कानून की दृष्टि से निष्प्रभाव हो जायगा, उसके संबंध में अनुच्छेद १९९ के खं० (३) में यह है— "यदि यह प्रश्न उठता है कि विधान परिषद् वाले किसी राज्य के विधान मंडल में पुरःस्थापित कोई विधेयक धन-विधेयक है या नहीं तो उस पर उस राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा।" तो अगर आपके तर्क के अन्तर्गत यह धन विधेयक हो, तब भी मुझी को उस पर निर्णय देने का अधिकार दिया गया है...

श्री कमलासिंह यादव—

आपका निर्णय तो श्रीमन्, न्यायपूर्ण होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

सरकार कहती है कि हमने कानूनी राय ले ली है। तो अब यह ठीक है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

किसी कानून-वेत्ता से राय नहीं ली है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक धन (देयों की वसूली) विधेयक, १९६५ को पुरःस्थापित करने के हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मैं उत्तर प्रदेश लोक धन (देयों की वसूली) विधेयक, १९६५ को पुरः स्थापित करता हूं।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ९०८–९१० पर)

१९६५-६६ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १—वृहत्-जोतकर, अनुदान संख्या २—भू-राजस्व (मालगुजारी) तथा अनुदान संख्या ४०—दुर्भिक्ष सहायता

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १—वृहत् जोतकर के अन्तर्गत ३,८७,००० रुपये की मांग सन् १९६५-६६ के लिए स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश के यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या २—भू-राजस्व (मालगुजारी) के अन्तर्गत ९,७७,५३,३०० रुपये की मांग सन् १९६५-६६ के लिए स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४०—दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत ४६,४८,२०० रुपये की मांग सन् १९६५-६६ के लिए स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, एक अंग्रेजी की कहावत है कि "सैल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन" इसलिए मैंने यह हमेशा से तय कर रक्खा है कि जब बजट पेश करूं तो अपनी करनी अपने मुंह से वर्णन करूं, यह ठीक नहीं है, क्योंकि हमें तो अच्छा ही दिखाई पड़ता है। अपनी गलती अपने को महसूस नहीं होती। (व्यवधान) इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि सीमित समय चार-पांच बजे खत्म हो जाता है और हम चाहते हैं कि हम ऐसा न करें कि घंटा या डेढ घंटे का समय ले लें और जो इस पर बोलना चाहते हैं उनको काफी समय न मिले।

एक सदस्य—

समय बढ़ा दीजिए।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

यह क्या कि हर बात में समय बढ़ाइये। मुख्तसर में काम करना सीखिए। यह तो अनाड़ियों का काम है कि समय बढ़ा दीजिए। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आप लोग बड़े समझदार हैं, जिनमें मैनेजरसिंह जैसे प्रतिभाशाली आदमी मौजूद हैं। हमने बजट का साहित्य बांटा है और इसकी कार्यवाही भी बांटी है। इसमें कोई ऐसा सदस्य नहीं जो कि काबिल नहीं। सब ज्यादा तजुंबेकार हैं सबने पढ़ा है और सब अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हैं। हम मेम्बर्स की इज्जत हमेशा करते हैं। सबने पढ़ा होगा और लिखा होगा और एक आलोचक के दृष्टिकोण से पढ़ा होगा। बहुत से सुझाव भी आयेंगे, लेकिन एक बात है कि इधर-उधर की बातों में बहक करके वक्त न खराब किया जाय। हमें आप रचनात्मक सुझाव दीजिए। और जो शिकायतें हैं वे बता दीजिए ताकि हम उनसे कुछ फायदा उठा सकें। मैं यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि मेरी यह हमेशा कोशिश रही है कि कोई त्रुटि हममें हो और अगर हम मुतमईन हो जायं तो उसे हम जरूर दूर करने की चेष्टा करेंगे। जो सुझाव काबिलेगौर होंगे उन सब पर हम गौर करेंगे। लेकिन जिनको हम समझेंगे कि यह ठीक हैं उन पर अमल भी करने की चेष्टा करेंगे और मैं माफी चाहता हूं जिनको हम ऐसा नहीं समझेंगे उन पर ज्यादा वक्त नहीं खराब करेंगे और न पब्लिक मनी खराब करेंगे। तो मैं समझता हूं कि हमारे तमाम मित्रगण इधर भी और उधर भी सब अपने अमूल्य वक्त का सदुपयोग करेंगे और हमको अपने सुझाव देंगे जिनसे हमें रोशनी मिलेगी

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

ताकि हम उसका फायदा उठा सकें। मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है। मैं आशा करता हूं कि इन सब बातों के होते हुए भी और आलोचना होते हुए भी आखीर में आप लोग इसे स्वीकार करेंगे।

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या १—बृहत जोत कर, अनुदान संख्या २—भू-राजस्व (मालगुजारी) और अनुदान संख्या ४०—दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदानों की राशियां घटाकर एक-एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मैं यह सोच रहा था कि सदन के उपनेता और प्रान्त के वयोवृद्ध मन्त्री जिनकी उम्र भी शायद ७५ वर्ष के लगभग है....

(व्यवधान)

७२ सही, मैंने अनुमान से कहा था तो मैं यह सोचता था कि वह अपने भाषण में कुछ अपने कार्यक्रमों और अपनी नीतियों की चर्चा करेंगे क्योंकि उनके इसी रेवेन्यू विभाग के ऊपर हमारे प्रदेश की सारी आर्थिक स्थिति निर्भर है। हमारी सरकार का पूरा खर्चा बहुत दिनों से, ब्रटिश राज्य से और उससे पहले के राज्यों के समय से भी इसी के ऊपर चलता आ रहा है। तो मैं सोचता था कि मन्त्री जी कुछ ऐसी बातें बतायेंगे जिससे मैं किसी नतीजे पर पहुंच सकूंगा, लेकिन वह उन्होंने नहीं बताया। फिर भी मैं इस कटौती के प्रस्ताव में व्यक्तिगत आलोचना न करता हुआ सरकार की सामान्य नीतियों के ऊपर ही अपने विचार प्रकट करने का प्रयास करूंगा। माल विभाग से सन् ४६–४७ में ७ करोड़ के लगभग की आय थी और आज इस ६५–६६ की मांग में करीब २१ करोड़ से कुछ ऊपर और २२ करोड़ से कुछ नीचे यह है। ६३–६४ में यह २५ करोड़ के लगभग थी। इस तरह ६३–६४ के मुकाबिले में ६५–६६ में यह राशि घटी है और करीब ९ करोड़ या १० करोड़ खर्चा उसमें है। एक तो यह विचार करने योग्य है कि जो मांग है उसमें से करीब ५० परसेन्ट उसकी वसूली में खर्चा होता है। हमने जमींदारी प्रथा खत्म की, उसके बाद पुरानी जो नौकरशाही थी, उसमें भी परिवर्तन किया, हमने पटवारियों को हटाकर के लेखपाल बनाए और जमींदार खत्म करके भूमिधर बनाए। इसके बाद हमने चाहा कि हम अपने प्रदेश के अन्दर एग्रीकल्चर की एकोनामी को बढ़ाएं। प्रदेश के अन्दर ऐग्रीकल्चर फार्मिंग बढ़े, ताकि हमारा प्रदेश अन्न के सम्बन्ध में स्वावलम्बी और आत्मनिर्भर हो जाय, लेकिन इन १७ वर्षों के अन्दर हमारे प्रदेश को उपज के द्वारा खाद्यान्न में आत्म निर्भर नहीं बनाया जा सका। अभी पिछले दिनों प्रदेश को भुखमरी का सामना करना पड़ा। इस लखनऊ में और माननीय मंत्री जी के इलाके में भी बहुत सी घटनायें इस तरह की सुनने को मिलीं, समाचार-पत्रों से, व्यक्तियों से और सदन में भी यह चर्चा सुनने को मिली कि लोगों को भूखों मरना पड़ा।

हमारा प्रदेश संसार की सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक रहा है, और उसमें पूरे संसार को मानवीय अधिकारों के प्रति आह्वाहन किया है। उस प्रदेश की खेती की उपज गिरती जा रही है, जबकि पहले सबसे अधिक पैदावार यहां होती रही है। निरन्तर १७ वर्षों से दूसरे प्रदेशों के मुकाबिले यहां का उत्पादन गिरा है। १९५२ तक लम्बरदार लगान वसूल करके सरकार को देते थे, और एक आना प्रति रुपया वह अपने पास रखते थे, आज अमीन तथा अन्य सैकड़ों कर्मचारी इस काम को करते हैं, जिनका खर्चा १० करोड़ हो गया है। २२ करोड़ की मालगुजारी में से १० करोड़ तो ऐसे ही निकल जाता है। मेरी राय में यह उचित नहीं है, हालांकि मैं जमींदारी प्रथा से सहमत नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि पहले जो मध्यवर्ती लम्बरदार किसान से लगान वसूल करके सरकार को देते थे, और कभी-कभी किसान द्वारा लगान न देने पर अपनी जेब से ही जमा कर देते थे, उस तरीक से सरकार की मालगुजारी कम खर्चे में वसूल हो जाती थी। माननीय मन्त्री जी जमींदार रहे हैं, उनको यह सब मालूम होगा।

(इस समय १२ बजकर ५६ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री कृष्णानन्द राय, पीठासीन हुए।)

लगान दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है। अंग्रेजों के जमाने में जो किसान की हालत थी मैं नहीं कहता कि किसान की हालत आज पहले से खराब है, लेकिन इतना जरूर है कि भूमिहीन और छोटे-छोटे किसान जिनके पास दस एकड़ से कम भूमि है, वह आज इतना नहीं पैदा कर पाते कि सरकार को लगान देने के बाद अपने बच्चों को अच्छी तरह से खिला सकें, उनकी शिक्षा तथा स्वास्थ्य का उचित प्रबन्ध कर सकें। उंगलियों पर कुछ काश्तकार गिने जा सकते हैं, जिनकी हालत अच्छी है, जिन्होंने दसगुना जमा करने के बाद स्वयं अपने आप खेती की, जिससे उनका उत्पादन बढ़ा और प्रतियोगिताओं में भी उन्हें इनाम मिले हैं, जो लोग बड़े-बड़े फार्म करने वाले हैं, वे जरूर खुशहाल हुए हैं, लेकिन दस एकड़ से कम वाला किसान उसी दशा में है, बार-बार लोक सभा में और विधान सभा में जो लोकतन्त्रीय समाजवादी विचार धारा के लोग हैं और जो सोशलिस्टक स्टेट को मानने वाले हैं, उन्होंने मांग की है कि खेती पर लगान उसी तरह से होना चाहिए, जिस तरह व्यापारियों से इन्कम टैक्स लिया जाता है। आप जानते हैं कि पांच हजार से कम आमदनी वाले को इन्कम टैक्स नहीं देना पड़ता, उसके ऊपर जैसे-जैसे आमदनी बढ़ती है, कर निर्धारण का तरीका भी बढ़ता चलता है और ९० प्रतिशत तक असेसमेन्ट होता है, यानी दो लाख जिसकी आमदनी है, उससे एक लाख ८० हजार टैक्स के रूप में ले लिया जाता है। सामन्तवादी विचारधारा क लोग जमींदारी खात्मा से जरूर नाराज हैं, लेकिन दूसरी तरफ उद्योगपतियों पर सही माने में टैक्स लगाया जाय। जो कदम उठाए गए हैं उससे अपने प्रदेश को बहुत जल्दी तरक्की के रास्ते पर ले जा सकते हैं। मैं चाहूंगा कि मालगुजारी का तरीका इन्कमटैक्स की तरह होना चाहिए। आठ-दस या पचास एकड़ वाले जो किसान हैं तथा उनके परिवार की संख्या देखकर उनसे लगान लिया जाय और जो बड़े-बड़े किसान हैं उनसे ज्यादा लगान लिया जाय, बल्कि मैं तो यह चाहूंगा कि छोटे किसानों पर टैक्स बिल्कुल माफ कर देना चाहिए या मालगुजारी खत्म करके उत्पादन कर के रूप में बड़े, उत्पादकों से लिया जाय, और कम उत्पादन करने वालों पर माफ कर दिया जाय, लेकिन होता यह है कि आज छोटे और बड़े किसानों से एक ही दर पर मालगुजारी ली जाती है, इसमें मौलिक परिवर्तन करना होगा।

यह मैं कोई नई बात आप से नहीं कह रहा हूं बल्कि जमींदारी उन्मूलन समिति की जो रिपोर्ट है, जिसमें बड़-बड़े राजनीतिज्ञ थे, उसकी राय आपके सामने रखना चाहता हूं। कहते हैं कि लगान तो आय पर पहला पावना होना चाहिए, पर यह पावना केवल अतिरिक्त आय के सम्बन्ध में ही हो सकता है। १९३६ में नियुक्त कांग्रेस समिति जिसमें माननीय गोविन्द वल्लभ पन्त जी, श्री पुरुषोत्तम दास टंडन जी तथा माननीय लालबहादुर शास्त्री थ, वह भी इस निर्णय पर पहुंचे कि लगान का उचित सिद्धान्त यह होना चाहिए कि लगान के रूप में काश्तकार को केवल वह रकम देनी पड़े जो अपने निजी और पारिवारिक खर्चों तथा उत्पादन का लागत खर्च पूरा करने के बाद उसके पास बच रहे। उसके बाद समिति ने आगे लिखा है कि यह अत्यन्त आवश्यक है कि लगान के मौजूदा बोझ को घटाया जाय, और अलाभकर आराजियों को लगान से बरी कर दिया जाय। इस जांच पर कोई शक नहीं प्रकट कर सकता क्योंकि इस समिति में बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ थे। आगे फिर कहा है दूसरा जो सवाल उठता है, वह इस प्रकार है, उन आराजियों का रकबा क्या होना चाहिए जिन्हें सब तरह के लगान से बरी करना अभीष्ट हो? पर्याप्त विचार के बाद कमेटी इस नतीजे पर पहुंची है कि १० एकड़ से कम रकबे की सभी आराजियां अलाभकर समझी जानी चाहिए। इस कांग्रेस कृषि जांच समिति के सदस्य, जैसा मैंने कहा माननीय लाल बहादुर शास्त्री भी थे, जो आज देश क प्रधान मन्त्री भी हैं और जिनकी सलाह पर तथा नेतृत्व में देश और प्रदेश की सरकारें और पार्लियामेन्टरी डिमाक्रेसी चल रही है। यह मैं अपनी या माननीय उग्रसेन की बात नहीं कह रहा हूं। यह बात कांग्रेस के नेता तब कहते थे जब अंग्रजी राज्य को उलटन के लिए और उस जमाने की नौकरशाही को ठीक करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, जिसके लिए उन्हें देश की जनता के वोट की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने यह बात

[श्री भगवानदास यादवेन्दु]

कही। आज कहा जाता है कि किसान के पास सोने का सामान है। माननीय चरण सिंह कहते हैं कि उनके पास घड़ी है, साइकिल है, कुट्टी काटने की मशीन है। लेकिन क्या दूसरी तरफ आपने यह भी देखा है कि बड़े-बड़े लोगों के और विदेशी कम्पनियों के सरकार से व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ रहे हैं। बड़े-बड़े लोगों को सरकार खेती करने के बड़े -बड़े साधन ट्रैक्टर वगैरह दे रही है। आपने कोआपरेटिव को दिए हैं? छोटे-छोटे किसानों की तो सरकार ने जमीन छीनी है उनको कम करने का ही प्रयास किया है।

अब मैं दूसरे प्रान्तों और अपने प्रान्त के प्रति हेड रेवेन्यू के डेटा आपके सामने रख देना चाहता हूं। वह निम्न प्रकार हैं—आंध्र में ७.८२ रुपया, आसाम में १०.९४, बिहार में ७.७१, जम्मू और काश्मीर में ६.५, महाराष्ट्र में ५.४१, मध्य प्रदेश में ५.६६, मैसूर में ३.९७, उड़ीसा में ४.५७, पंजाब में ५.१२, राजस्थान में ४.५२, लेकिन उत्तर प्रदेश में १२.६ है। इसका साफ मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक रेवेन्यू लिया जाता है। इससे माननीय मन्त्री जी इन्कार नहीं कर सकते क्योंकि ये आंकड़ें मैंने गवर्नमेंट आफ इंडिया की रिपोर्ट में से लिए हैं। मन्त्री जी वयोवृद्ध हैं, उनका सारा जीवन राजनीति में गया है, समाजवाद और लोकतन्त्र का जन्म उनके हाथों से हुआ है। ऐसे मन्त्री जी के जमाने में रेवेन्यू की दर बढ़ी है, यह आश्चर्य की बात है।

इसके साथ ही साथ हमारे प्रदेश में जमींदारी एबालिशन का कार्य हुआ है उसमें प्रगति हुई है। नागरिक क्षेत्र में जो जमींदारी विनाश किया है, उसकी प्रगति सन्तोषजनक है। ३९७ क्षेत्रों में से ३२२ में यह हो गया है। तीन सालों के अन्दर आपका यह काम सन्तोषजनक है।

इसके अलावा अधिकतम जोत सीमा के अन्तर्गत ३० नवम्बर, सन् १९६४ तक सरकार ने १,७५,१७५ एकड़ भूमि अतिरिक्त भूमि घोषित की। इसमें से १,३८,७२६ एकड़ भूमि पर कब्जा ले लिया गया है। ३६,४४९ एकड़ भूमि आपकी लापरवाही से पड़ी रही, उसको खेती योग्य नहीं बनाया गया। ५८,३९८ एकड़ भूमि पर कब्जा लिया जब कि ८०,३५८ ली गयी थी। उसको खेती के योग्य नहीं बनाया गया। आपके सुयोग्य अधिकारियों ने जो रिपोर्ट प्रकाशित की है उसी के आधार पर मैंने ये बात बतायी है। लेकिन इससे मालूम होता है कि इस ओर आपने अधिक ध्यान नहीं दिया है। एक तरफ आप जानते थे कि आपके देश पर भारी अन्न संकट है, दूसरी तरफ विदेशियों का आक्रमण हो रहा था, देश में ७५ फीसदी आदमी खेती पर आधारित हैं, मिडिल क्लास की हालत दिन पर दिन गिरती जा रही है, पूंजीपतियों का रवैय्या देश व प्रदेश में ठीक नहीं है, जबकि विदेशी हमारे ऊपर आक्रमक हैं, हमारी आजादी को खतरा है और वह आजादी को हड़पना चाहते हैं ऐसे समय में आप को इस तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए था, लेकिन वह नहीं दिया गया इस का हमें दुख है। हमारे मन्त्री जी अब ७२ वर्ष के हो गए हैं, कदाचित् उन के शरीर में उतनी क्षमता नहीं है कि वह इस काम को कर सकते....

एक सदस्य—

श्रीमन्, कोरम नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

१ और २ बजे के बीच यह कोई विशेष बात नहीं है।

श्री भगवानदास यादवेन्दु—

इस तरह मन्त्री जी की अकर्मण्यता मालूम होती है, ऐसे समय में इस अहम मामले पर ध्यान न देना विभाग तथा उन की लापरवाही मालूम होती है। आप ने जमींदारी प्रथा

खत्म की और जो मुआवजा जमींदारों को दिया वह ठीक है आप को देना ही चाहिए था, लेकिन आप ने जो बांड दिए हैं उन पर आप ने ८६,०५,३९७ रुपया व्याज के रूप में दिया है। अफसोस की बात यह है कि जो फाइनेन्शियर्स है या साहूकार हैं उन्होंने इन बांड्स को जमींदारों से ४० प्रतिशत के मुनाफे पर खरीदा है और उनको अपने कब्जे में किया है। इधर हमें उनको सूद देना पड़ता है और उधर बीच में यह मिडिलमैन पैदा हो गए हैं जिन्होंने ४० प्रतिशत के मुनाफे पर इन बांड्स को खरीदा है इस से जाहिर है कि हमारे यहां दिनों दिन मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति बढ़ रही है। ऐसी मनोवृत्ति को पनपना समाज के लिए बहुत घातक है, जहां के लोग ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना अपना कर्तव्य समझते हों और अपना अधिकार भी समझते हों उस प्रदेश का भविष्य और खुशहाली भगवान के ही हाथ है।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि यह बांड जो जमींदारों से दूसरे लोगों ने खरीद लिए हैं उन पर सरकार व्याज देना बन्द कर दे ताकि उसका रुपया बच जाय और मुनाफाखोरी को बढ़ावा न मिले। कृषि वर्ग के विषय में मैं बता दूं कि सन् १९५१ की सेन्सस के आधार पर हमारे यहां की ८६.४ प्रतिशत जनता गांवों में रहती है और खेती पर ८३.९ प्रतिशत जनता आधारित है और सब प्रकार के कृषकों की संख्या ७६.५ है, लेकिन जो बड़ी तादाद खेतिहर मजदूरों की है उन का बहुत बुरा हाल है। मैं आप से मांग करता हूं कि आप उन पर भी मिनिमम वेजेज ऐक्ट लागू करें और जो जमीन चकबन्दी में बढ़ी है वह आप इन लोगों को बांट दें जिन के पास जमीन नहीं है। चकबन्दी में आप ने हर गांव में ५ प्रतिशत सैकड़ा भूमि निकाली है और आपने अभी तक ३३,९१९ गांवों में चकबन्दी पूरी की है, इसीलिए वहां से जो जमीन निकली है वह आप उन को दे दें। यह बहुत ही उचित कदम होगा। मैं सरकार पर आरोप लगाता हूं कि चकबन्दी में हमारे प्रदेश के किसानों और छोटे किसानों के जिन क पास साधन नहीं थे कि वह चकबन्दी अधिकारी, और ए० सी० ओ० वगैरह को खुश कर सकें इसलिये उन के चक काट कर दूसरों को दे दिए गए जिनसे उनका पेट भरा गया था। उन गरीबों को नीचे के तराई के खराब चक दे दिए गए। अगर इन ३३,९१९ गांवों में एक गांव पर ४,००० रुपया भी लगाया जाय तो रिश्वत में चकबन्दी में कम से कम कुल मिला कर १ करोड़ २० लाख रुपया गरीब किसानों से चकबन्दी के स्टाफ ने लिया है। आपके यहां का जो चकबन्दी डायरेक्टरेट है, मुझे पता चला है कि इस विभाग में वहां पर कोई श्री दशरथ सिंह नाम के ज्वाइंट डायरेक्टर हैं। वे ३ वर्ष से कन्टीन्यु कर रहे हैं आपके हाथों के नीचे और वे एक अजीब खिलवाड़ कर रहे हैं। मुझे पता चला है कि उनके विभाग में ए० सी० ओ०, सी० ओ० के जो ट्रांसफर होते हैं, वे जब चाहते हैं उनके ट्रांसफर करवा देते हैं और जब चाहते हैं रुकवा देते हैं। इस प्रकार के नाजायज काम वे कर रहे हैं। मैंने यह भी सुना है कि वे उन्हीं लोगों को लाभ की जगह पर भेजते हैं जो उनकी पेट-पूजा कर जाते हैं। ये इस प्रकार की शिकायतें मुझे मिली हैं। तो इस से चकबन्दी के कारण जनता की भी आर्थिक हालत दिन प्रति दिन गिरती जा रही है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से सुझाव है कि जब वे कहते हैं कि पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी को यदि कायम रखना है और अपने देश के प्रजातंत्र को जीवित रखना है तो उदार होना पड़ेगा, वे इस विभाग की ओर विशेष ध्यान दें।

चकनन्दी विभाग में १ करोड़ २० लाख की रिश्वत दी गयी। यह मेरा आरोप है इस विभाग की जांच के लिए। मैं इस सम्बन्ध में एक सुझाव देना चाहता हूं और वह यह है कि एक हाई पावर कमेटी बनायी जाय, या एक आयोग बनाया जाय जिसमें माननीय गेंदा सिंह, माननीय उग्रसेन जी, माननीय झारखंडे राय जी और विरोधी दल के अन्य माननीय सदस्य रखे जायं। आयोग बनने के बाद वे लोग गांव-गांव में जहां पर चकबन्दी हुयी है जायें और वे ग्रामीण जनता से मिलें। जिन-जिन लोगों ने रिश्वत दी है वे लोग सामने जायें और अपनी शिकायत कमेटी को

[श्री भगवानदास यादवेन्दु]

दें? तब आपको ज्ञान होगा कि कितनी रिश्वत इस विभाग के लोगों ने ली है। आज आपका चकबन्दी का विभाग उनके जीवन की गाढ़ी कमायी की आमदनी से रिश्वत लेता है, तो यह हमें अच्छा नहीं लगता। अतः मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि आप इस ओर सख्ती से कदम उठावें। अभी रिपोर्ट के पढ़ने से मालूम हुआ है कि कुछ अधिकारियों को आपने सजा भी दी है, कुछ को आपने माफ भी कर दिया है। डेटाज से जाहिर होता है कि कुल २५,६९८ शिकायतें जनता की तरफ से हुयी हैं, जिनमें से २४,२२० की जांच की गयी और उनमें से १३,८५७ निराधार पायी हैं। आपके काबिल और ईमानदार आफिसरों ने सच्चाई को छिपा दिया है। अगर आपको भ्रष्टाचार मिटाना ही है तो निश्चय ही लैंड रिफार्म्स करना पड़ेगा। ब्रिटिश शासन काल में भी यह हुआ। हमारे माननीय चरण सिंह और माननीय गोविन्द वल्लभ पन्त ने भी राज्य के खोखलेपन में नौकरशाही को तब्दील करने की कोशिश की। उस वक्त पटवारियों को समाप्त करके प्रदेश में तब्दीली लाय। पर आपके शासन में चकबन्दी के अधिकारी जो भ्रष्टाचार और धांधली मचा रहे हैं उसको देख कर आने वाली सन्तान कहेगी कि किस प्रकार से इस विभाग के अधिकारियों ने ग़रीब जनता की कमाई के ऊपर डाके डाले।

इन शब्दों के साथ में कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

*श्री बेचनराम (जिला मिर्जापुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं राजस्व का अनुदान जो मंत्री जी द्वारा पेश किया गया है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और जो माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका विरोध करता हूं। श्रीमन्, यह जो राजस्व का अनुदान पेश हुआ है तीन अंगों में है और उसमें राजस्व हमारे शासन की सबसे मूल धुरी रही है। जब सामन्तवादी सभ्यता थी, जब जनतंत्र नहीं था और जनता के प्रति उत्तरदायी सरकार नहीं थी, राजाओं और सामान्तों का राज था, उस समय आय का साधन बहुत सीमित था और राजस्व ही ऐसा साधन था जो प्रजा और राजा के बीच में एक संबंध स्थापित करता था। राजस्व के संबंध में कौटिल्य अर्थ शास्त्र में और वेदान्त में कहा गया है कि जो कृषक अन्न उत्पादित करता है वह जिस राजा की अधिकार सीमा में है वह उत्पादन का कुछ हिस्सा १/६ अथवा १/४ राजा को देगा। उस समय जनता और राजा के बीच में सम्पर्क स्थापित करने के लिये कोई बहुत बड़ा माध्यम नहीं था। केवल राजस्व दान के जरिये से ही जनता अपना उत्तरदायित्व शासन पर लादती थी कि हम आपको अपने परिश्रम का भाग देते हैं और हे राजा, तुम इस उत्पादन का भाग लेकर हमारी रक्षा करो, देश में शान्ति स्थापित करो, हमारी खेती बाड़ी, व्यापार, शिक्षा, मनोरंजन, संस्कृति आदि की व्यवस्था करो और राजा की तरफ से गारंटी होती थी। राजा ने इस राजस्व को वसूल करने के लिये बहुत से मध्यवर्ती रखे थे।

कहा गया कि वसूली के बारे में जो मशीनरी है वह बहुत खराब है और वसूली का तरीका खराब है, लेकिन लैंड रेकार्ड मैनुअल जो वसूली की शर्तों को निर्धारित करता है उसको माननीय सदस्य जरा गौर से देखें। जिस देश में राजस्व कोई कृषक न दे, प्रजा न दे तो वह राजा नहीं। वहां के राजा की असफलता का वह द्योतक है और अराजकता का वहां राज्य होगा। तो राजस्व की वसूली के लिये कितनी बड़ी सैंकटिटी रखी गयी थी और कितनी उसकी पहले गरिमा थी? यह गरिमा तब नष्ट हुई जब मध्यवर्तियों के हाथ में वह आ गई। मध्य-तियों को अधिकार था कि जितना राजस्व राजा को देना है वह तो दिया जायगा और कुछ प्रतिशत वे अपने पारिश्रमिक के रूप में वसूल करेंगे। स्वर्गीय पंत जी ने सबसे पहले इस

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देश में, उत्तर प्रदेश, में जमींदारी उन्मूलन की । उसका क्या प्रभाव पड़ा और क्या प्रभाव पड़ना बाकी रह गया है, यह भी मैं बतलाऊंगा ।

(इस समय १ बजकर २५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री रामायण राय, पीठासीन हुए ।)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

उन्होंने यह भी कहा था कि उत्तर प्रदेश की मालगुजारी का रेट ज्यादा है।

श्री बेचनराम—

मैं उस पर भी आऊंगा । मैंने यह कहा कि मालगुजारी की वसूली के संबंध में जो सैंकटिटी थी वह इसलिये थी कि राज सत्ता उस पर आधारित थी । जब जमींदारों के हाथ में सत्ता आयी तो जमींदारों को जितनी मालगुजारी देनी थी सरकार को उससे कई गुना, बिना किसी औचित्य के, बिना किसी तर्क के और बिना किसी कारण के, मनमानी मालगुजारी वसूल की । हजारों किस्म की लोकोक्तियां चालू हो गईं, जैसे मां मर गई तो वसूल किया गया, तीर्थयात्रा को गये तो वसूल किया गया, कोई शादी हुई तो वसूल किया गया, लड़का विलायत गया तो वसूल किया गया । यानी मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि लगान वसूली के माध्यम से किसानों के जीवन को जकड़ दिया गया ।

श्रीमन्, जमींदारी टूटने का प्रत्यक्ष प्रभाव यह पड़ा कि मध्यवर्ती समाप्त हुये और बहुत सी चीजों का नाम लेकर जमींदार जो रुपया कृषक से वसूल करते थे वे भी समाप्त हो गईं । लेकिन सबसे बड़ी बात यह हुई कि किसान को भूमि पर मालिकाना अधिकार कुछ प्रतिबन्धों के साथ दे दिया गया । तुरन्त चाहे मालिक न हों, लेकिन आने वाले भविष्य में मालिकाना अधिकार प्राप्त कर सकते हैं । यह सबसे बड़ा अधिकार किसानों को दिया गया । जो किसान जमींदारों के हजारों किस्म के जुल्मों के शिकार थे वह समाप्त हुआ । जमींदारी टूटने का यह प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा ।

दूसरी बात यह है कि वसूली के संबंध में जमींदारी उन्मूलन कानून में कुछ नियम दिये गये हैं । उसका हवाला लैंड रेवेन्यू मैनुअल में भी दिया हुआ है । उसमें यह भी दिया हुआ है कि अगर कोई गांव समाज चाहे तो वह मालगुजारी वसूल कर सकता है । गांव समाज गांव की जनता की प्रतिनिधि संस्था है । प्रदेश में जितने भी गांव हैं और उस गांव समाज के जितने भी सदस्य हैं उन सभी को अधिकार है कि वे मालगुजारी वसूल कर सकें ।

(लाल बत्ती जलने पर) श्रीमन्, मुझे ५ मिनट का समय और दे दीजिये)

श्री अधिष्ठाता—

२ मिनट का समय और देता हूं ।

श्री बेचनराम—

गांव समाज मालगुजारी वसूल कर सकता है और इसके साथ ही साथ यह भी लिखा हुआ है कि मालगुजारी व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से भी वसूल की जा सकती है । जिसके नाम मालगुजारी लिखी है वह उसको देने के लिये बाध्य हैं । मालगुजारी वसूल करने के लिये जो राजस्व की कड़ी है, उसको पक्का करने के लिये यह सब लिखा गया है । मालगुजारी वसूल करने में समुचित अवसर देने के बाद स्टे कर दी जाती है । इसके बाद भी वसूल नहीं होती है तब

[श्री बेचनराम]

कोअर्सिव मेजर्स लिये जाते हैं। वारंट वगैरह भी इश्यू हो सकते हैं और एक ही व्यक्ति से भी वसूल हो सकती है, बाद में चाहे सब से वसूल हो। यह सब इसलिये किया गया है जिससे राजस्व की सेंकटिटी कायम रहे। मैं कहना चाहता हूं कि जमींदारी उन्मूलन के बाद जो बातें नहीं हुई हैं वे होनी चाहियें। सीलिंग के कानून बनने के बाद हमारी बंजर जमीनें खाली पड़ी हुई हैं। उसके लिये प्राथमिकता बनाई गई है कि पहले भूमिहीनों को दी जायगी, बाद को इसको दी जायगी और फिर उसको दी जायगी। मैं चाहता हूं कि जितने हमने कानून पास कर दिये हैं उनको कार्यरूप में परिणत कर दिया जाय। उसका बस श्रीमन्, इतना निवेदन है कि जो बंजर, ऊसर जमीन है उसका नक्शा बना लें और जितनी जमीन नहीं दी गयी, उसका बना लें और उसके लिये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर जल्द से जल्द उसका बंटवारा कर दें।

एक बात उधर के माननीय सदस्यों ने यह कही कि जमींदारी उन्मूलन के बाद सहकारी समितियों के बनाने का सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया, कृषि क्षेत्र में सहकारी आन्दोलन को बढ़ाने की कोशिश नहीं की गयी। मैं कहता हूं कि इसके लिये सरकार ने काफी अच्छा कार्य किया है और स्पष्ट नियम बना है कि यदि किसी स्थान के दो-तिहाई सदस्य इच्छा रखते हों और वे कलेक्टर को लिखकर दे दें तो वहां पर सहकारी समिति बन जाएगी। चाहे शेष एक-तिहाई सदस्य न भी चाहें, उसका विरोध करें, किन्तु उनकी बात नहीं मानी जाएगी और वह सहकारी समिति वहीं बनेगी और उसमें उन्हें हिस्सा लेना होगा। तो हमें चाहिये कि सहकारी समितियों का प्रचार और विस्तार करके सहकारी आन्दोलन को गति प्रदान करें। लेकिन अगर हम सहकारी आन्दोलन का वातावरण नहीं पैदा करते हैं तो किसान का और खेतीहर मजदूर का कैसे हित हो सकता है ? आप लोग सामाजिक न्याय की बड़ी बात करते हैं, किन्तु सामाजिक न्याय के लिये कुछ करते नहीं हैं, खेतिहार मजदूरों के विषय में दबी जबान से बोलते हैं, उनके बारे में स्पष्ट नहीं करते हैं।

एक बात मैं चकबन्दी के बारे में कहना चाहता हूं। चकबन्दी का जो कानून है उसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि चकबन्दी का कानून मौजूदा परिस्थिति में जब हम मिक्स्ड एकोनामी लेकर चल रहे हैं, सर्वथा उचित है। किसान की ४०–५० एकड़ जमीन कई जगह बंटी हुई है, वह चाहता है सिंचाई भी हो जाये, बीज भी हो जाये। तो जब तक उसकी सारी जमीन एक स्थान पर नहीं लाई जाती तब तक यह सुविधापूर्वक संभव नहीं होगा। जब तक चकबन्दी के द्वारा भूमि सुधार नहीं होगा तब तक आप उत्पादन नहीं बढ़ा सकते। यदि आप चकबन्दी के कानून को ठीक से लागू नहीं करते हैं तो न तो आपका उत्पादन बढ़ेगा और न किसान का ही कोई हित होगा, बल्कि उसे आर्थिक और अन्य हानियां ही होंगी।

चकबन्दी कानून के बारे में जो आपने भ्रष्टाचार की बात कही, चकबन्दी कानून और उसके क्रियान्वयन के बारे में मुझे जो जानकारी है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि इसका कानून इतना पुख्ता और स्पष्ट है कि इसमें भ्रष्टाचार की कहीं भी गुंजायश नहीं रह गयी है, यदि हम इनको ठीक से लागू करें, जो जन प्रतिनिधि हैं वह इसमें पार्टिसिपेट करें और हम और आप सब ईमानदारी के साथ काम करें। उसमें न जाने कितने करोड़ रुपये के रिश्वत की बात कही जाती है और विरोधी दल के माननीय सदस्यों द्वारा मांग की जाती है कि उसकी जांच के लिये एक कमीशन बिठाया जाये। तो आज इसके लिये कमीशन बैठेगा, कल आपके लिये बैठेगा और हम आप सभी पर बैठेगा, हर एक के विरुद्ध कमीशन बिठाने की मांग होगी, क्योंकि आज हमारे पूरे समाज में ही भ्रष्टाचार की बात कही जाती है, हमारा सामाजिक स्ट्रक्चर ही भ्रष्ट हो चुका है। तो कमीशन तो हर चीज के लिये नहीं बैठ सकता। जब तक हमारा स्ट्रक्चर नहीं

बदलेगा तब तक किसी न किसी रूप में यह बना ही रहेगा। आप एक बात का समर्थन करते हैं और दूसरी बात का विरोध करते हैं जबकि दोनों बातें एक सी होती हैं। आपके जो हित में होती हैं उनका आप समर्थन करते हैं और जो आपको बुरी लगती हैं उनका आप विरोध करते हैं आप किसी चीज की अच्छाई और बुराई देखते ही नहीं हैं। देश और कृषि की समुचित उन्नति तभी हो सकती है जब कि उत्पादनों के साधनों पर किसानों का अधिकार होगा।

श्री कृष्णा (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष महोदय, आज हम आपके बड़े आभारी हैं कि हमें आप समय दे दिये। मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। हमारे मंत्री जी ने कहा कि हम तो सब काम सुचारु रूप से चला रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं और जो कमी है तो उसका सुझाव हम पा जायें तो हम काम ठीक से करेंगे। कमी के बारे में मेरा पहला सुझाव यह है, कि जमींदारी टूटी नहीं, यदि जमींदारी टूटी तो उससे सरकार का लाभ हुआ, पूंजीपतियों का लाभ हुआ कोई काश्तकारों का लाभ नहीं हुआ। क्योंकि लाभ तो तब होता जब लगान में कमी हुई होती, जमीन का बंटवारा हुआ होता और अलाभप्रद जोत का लगान खत्म हुआ होता, लेकिन उलटे जितना लगान पहले लिया जाता था उसके डेढ गुना लगान मंत्री जी अब वसूल करते हैं।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

उससे ज्यादा ही है।

श्री अधिष्ठाता—

श्री राधेश्याम जी, इस तरह से बीच में न टोकिये।

श्री कृष्णा—

तो दूसरी बात ली जाय। पटवारी खत्म हुआ, लेखपाल पैदा कर दिया गया। पटवारी तो समझता था, लेकिन लेखपाल तो ५ रुपये लेकर तो दो-दो तरह के इंतिखाब देता है।

तीसरा काम मंत्री जी ने यह किया कि जैसे पुलिस वाले नम्बर १० में लोगों को फंसाते हैं वैसे ही इन्होंने वर्ग ९ बना दिया और लाठी के बल पर बड़े-बड़े जमींदारों ने गरीबों को खेतों से बेदखल कर दिया।

चौथी बात सुनिये। मंत्री जी ने कहा कि वे ३० एकड़ से ज्यादा जमीन जिसके पास होगी उसको ले लेंगे और गरीबों को बांट देंगे। लेकिन हुआ क्या है ?! गरीबों को जमीन नहीं मिली। जमीन किसी के चक में से नहीं निकली। सोशलिस्ट पार्टी के नारे का फायदा उठाकर मंत्री जी के बिरादरी के राजा लोगों ने अपनी मां, बेटियों में वह जमीन कानून बनने के पूर्व बांट दिया।

श्री हुकमसिंह विसेन—

ऐसी बद्दुआ मत दीजिये। हम राजा कभी नहीं थे।

श्री कृष्णा—

जमींदार तो थे। तो जमीन तो आपकी निकली नहीं, ठकुराइन, पंडिताइन जो जमीदारों की मेहरारू थीं उनको बखरा मिल गया। जमींदारों की लड़कियों, भतीजों और बेटों को भी बखरा मिला। अपने ही परिवार में बांट लिया गया, बहार किसी का एक धुर भी जमीन नहीं मिली। मंत्री जी कहते हैं कि कोई गड़बड़ हो तो उसको ठीक करा देंगे। मैं कहता हूं कि चलिये हमारे साथ, हमारी तहसील देवरिया में, मैं आपको दिखाऊं कि एक भी जमींदार की जमींन नहीं निकली। सिर्फ एक जमींदार थे माधोशाही। वे मर गये ; उनका बेटा और भतीजा पागल है उनकी निकली।

एक सदस्य—

उड़वा के बाबू साहब की भी तो निकली ।

श्री कृष्णा—

उनकी ठकुरैती में निकल गई । अगर उन्होंने भी दरबारदारी की होती तो निकलती नहीं । जो सजग थे, दरबार गीरी करते रहे, उनकी नहीं निकली । साथ ही हमारे यहां एक कलेक्टर साहब पहुंच गये हैं । उनके काम सुनिये । वे सभी काम छोड़ कर घाघरा की रेती में नाच कराते हैं । यह तो उनका काम, उनसे जमीन और किसान से क्या मलतब है ? दूसरा काम उन्होंने यह किया कि चैत, बैशाख और जेठ में देवरिया जिले भर में राशन की दूकान खोल दी थी । अजीब हालत है । जब किसानों के घर में अनाज रहे तब तो आप दुकानें जिले भर में खोल दें और जब किसानों के घर में अनाज न रहे तो आप दुकानें बन्द कर दें । इतनी अक्लमन्द यह सरकार है ।

मैं श्रीमन्, आपके द्वारा सरकार से कहना चाहता हूं कि अभी देवरिया जिले की सलेमपुर तहसील में एक तहसीलदार साहब हैं तिवारी जी । उनकी यह हालत है कि क्या बतायें ! उन्होंने एक आदमी को तकावी में पकड़ कर तहसील में बन्द कर दिया । आपका यह कानून है कि बिना खेत वाले को तकावी आप नहीं देते हैं । उसके पास खेत नहीं था, लेकिन उस बेचारे को उन्होंने बन्द कर दिया । उसके बाद रात में जब उग्रसेन जी के पास तार आया और यहां से मंत्री जी ने खटखटाया तो उसको पता चला कि उसके पास तो खेत ही नहीं है । तहसीलदार साहब को मालूम हुआ कि उनके पास कोई खेत ही नहीं है । उनको झूठे ही बन्द कर दिया, अपने पास से रुपया ला कर उसने झूठी रसीद उसको दी । यह हालत है । जैसा हमारे भाई ने कटौती पेश करते हुये कहा कि इतना रुपया इन वसूल करने वालों पर खर्च होता है । हम सब इस बात के लिये तैयार हैं कि २, ४, १०, ५० गांवों का लगान वसूल करके सरकार के खजाने में पहुंचा दें, लेकिन वे ४ आना हमको गांवों को बनाने के लिये देने को तैयार हों । हम कहते हैं कि १२ आना आप ले लें और उसमें अपना राजकाज चलावें और ४ आना हमको गांव को बनाने के लिये मालगुजारी में से दे दें । आखिर इस जमींदारी के टूटने का हमको क्या लाभ हुआ ? इसको खत्म करने से कोई लाभ नहीं हुआ है । काश्तकारों ने १० गुना लगान दिया तो उनको भूमिधर बनाया, लेकिन जमींदार वैसे ही भूमिधर बन गया ।

हम मंत्री जी से कहेंगे कि हमने जो २, ३ बातें कहीं हैं उनके ऊपर जरा आप ध्यान देने की कृपा करें और गम्भीरतापूर्वक इन पर विचार करें । हमारे जिला में भी चकबन्दी होने जा रही है । आप जानते हैं कि देवरिया में राजनीतिक पार्टी खासकर विरोधीदल बहुमत में था तो वहां का कुछ तो खयाल करना चाहिये । जो वहां पर चकबन्दी हो रही है उसके अफसर लोगों को, कर्मचारियों को जो ठीक रखें । वह काम अभी शुरू हुआ है । उसमें इधर-उधर लोग गड़बड़-शड़बड़ कर रहे हैं । अगर गड़बड़ होगी तो हमको परेशानी होगी । इसलिये इन बातों पर आप विचार करें और सलेमपुर के तहसीलदार साहब को ठीक कर दें और उन पर खयाल करें । उस जगह पर हमारी निश्चित राय है कि गांव पंचायत के द्वारा मालगुजारी वसूल करायें और ४ आना आप गांवों को बनाने के लिये दे दें । इससे कोई आपका घाटा नहीं होगा । हम यह समझते हैं कि मुनासिब तरीके से आपके खजाने में रुपया चला आयेगा जो कि सरकार को गांवों से पाना है ।

*श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, राजस्व के सम्बन्ध में जो अनुदान प्रस्तुत है, मैं उसका समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । मान्यवर, इसमें कोई शक नहीं है कि स्वतंत्रता के बाद इस विभाग ने जनता और किसानों के हित की तरफ अपना ध्यान दिया है और खयाल रखा है । जमींदारी खत्म की गयी, इसके बाद जमीन की हदबन्दी का कानून पास हुआ और अब चकबन्दी की जा रही है । यह चीजें आवश्यक थीं और होना चाहिये थीं, इसमें

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कोई शक नहीं। लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही हैं और उनमें आज परिवर्तन की आवश्यकता है, यह बात भी गलत नहीं है। आज बदले हुये जमाने के साथ साथ इस विभाग में बहुत सी तब्दीलियां हुई, बहुत सी अच्छी बातें आईं, लेकिन कुछ परिवर्तन इसमें आज भी बहुत आवश्यक हैं। मिसाल के तौर पर किसान जो कर्जा लेता है उसके लिये जो भूमि की वेल्युजेशन की जाती है वह मार्केट रेट से के अनुसार नहीं होती। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों नहीं होता? आज अगर उसे अपनी भूमि की उन्नति के लिये रुपये की जरूरत है, कुवां बनाने की जरूरत है, ट्यूबवेल के लिये जरूरत है या खाद के लिये जरूरत है, तो क्यों नहीं उसे उसकी भूमि के वैल्युयेशन के मुताबिक कर्ज दिया जाता? उसकी जमीन का बहुत कम दाम आंका जाता है जब कि उसकी जमीन का मार्केट रेट बहुत ऊंचा है। मैं आप के माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस ओर अवश्य ध्यान दें और इस पर जरूर सोचें कि उसे कर्ज उसकी जमीन के दाम के हिसाब से सरकार को के जरिये मिलना चाहिये ताकि वह पूरे तरीके से अपनी जमीन की तरक्की कर सके।

मैं चकबन्दी के सिलसिले में कुछ और भी निवेदन करूंगा। चकबन्दी वाकई ऐसी चीज है जिस से जमीन का बड़ा सुधार हुआ है। जहां-जहां चकबन्दी हो रही है वहां-वहां कुएं बन रहे हैं। किसानों में इसके कारण एक लगन पैदा हो रही है कि वह अपने चक को ज्यादा से ज्यादा जरखेज बनाये। आज उसका सारा खयाल उसके चक पर है। पहले वह अपने खेतों को लेकर परेशान रहा कहता था, उनकी देखभाल नहीं कर पाता था, न उनकी तरक्की कर सकता था। आज उसके एक या दो चक होने के कारण उसका ध्यान उसमें लगा हुआ है। इस तरह से चकबन्दी से बड़ा फायदा हो रहा है। इस से हमारा उत्पादन बढ़ेगा और किसानों को आराम मिलेगी तथा उनकी तरक्की होगी। वैसे तो चकबन्दी की वर्किंग में काफी फर्क पड़ गया है, लेकिन उसमें कुछ चीजें तब्दीली करने की जरूरत है। आज भी अन्तिम खतौनी की नकल किसानों को नहीं मिलती। मैं समझता हूं कि वह किसानों को जरूर मिलना चाहिये। ऐसा न होने से किसान अंधेरे में रहता है, वह नहीं जानता कि कागज में क्या हो सकता है कि कोई क्लेरिकल मिस्टेक रह गयी हो, हो सकता है कि किसी कर्मचारी की दानिश्ता कार्यवाही से उसे नुकसान पहुंचने की संभावना हो। इससे उसे अन्तिम नकल खतौनी की जरूर मिलनी चाहिये। इसके अलावा जो चक रोड्स बनायी गयी हैं उन पर लोग कब्जा करते जा रहे हैं, उन्हें किसानों ने जोत लिया है जिससे खुद किसानों को तकलीफ हो गयी है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी ऐसा कानून बनायें जिसके अनुसार इसे क्रिमिनल आफेन्स करार दिया जाय ताकि लोग चकरोड्स को कब्जा न कर सकें।

इसके अलावा मान्यवर, मैं यह भी कहूंगा कि ग्राम समाज का एक चक होना चाहिये। आज ग्राम समाज की जमीन बितर-वितर पड़ी हुई है और जिसका मन चाहता है उस पर कटौती कर लेता है, जिसका खेत पास होता है वह उसे जोत लेता है। प्रधान, सभापति में इतनी शक्ति नहीं कि इन लोगों का मुकाबिला कर सकें, क्योंकि वह भी समझते हैं कि उनसे मुखालिफत पैदा हो सकती है। तो ऐसी सूरत में पंचायत कुछ नहीं कर सकती है और लोगों ने उन पर कब्जा कर लिया है। अगर ग्राम समाज का अलग चक हो तो वह बहुत काम में आ सकता है, भूमिहीन लोगों को दिया जा सकता है वरना उसकी जमीन यों ही तितर-बितर होगी।

इसके अलावा नहरी नालियों और पुलियों के मुताल्लिक भी अर्ज करूंगा कि चकबन्दी से सिंचाई के साधनों पर भी प्रभाव पड़ता है। उसमें लापरवाही से ऐसी जगह चक काट दिये जाते हैं जिससे नहरी गूलों का आधार नहीं माना जाता, वह बीच में आ जाते हैं। किसान या तो उन्हें तोड़ देता है या ऐसी नालियां नीचे मिलती हैं, वाटर-शेड पर नहीं मिलती, जिससे पानी आगे नहीं चलता। इसलिये इस पर खास तौर से ध्यान दें, क्योंकि आज सिंचाई की विशेष तौर से आवश्यकता है। इस तरह से ट्यूबवैल की नालियों में भी किसानों ने बहुत जगह नालियों को बीच में से उठा दिया है और आगे पानी उन खेतों तक नहीं पहुंचता जिससे आगे वाले किसान

[श्री मुमताज मुहम्मद खां]

पीड़ित होते हैं और उनकी खेती खाकी हो जाती है। तो नालियों का रकबा गांव समाज के रकबे में से दिया जाय, किसानों के रकबे में से न हो वह, नालियों की गूलें चाहे नहर की हों या ट्यूबवैल की।

साथ ही बटाई का सिस्टम हमारे प्रदेश में, देश में बहुत अर्से से चला आ रहा है, इससे भूमिहीन लोगों को भी खेती करने का अवसर प्राप्त होता था। बदले हुये हालात में बटाई को लीगलाइज कर देना चाहिये ताकि भूमिहीन लोग भी खेती कर सकें और उनकी बेरोजगारी में कमी वाकय हो सके।

भूमिधर को तो अपने अपनी जमीन पर मकान बनाने की इजाजत दी है, लेकिन सीरदार को नहीं है। सीरदार वह छोटे किसान हैं जिनके पास इतना रुपया नहीं है कि वह १० गुना दाखिल करके भूमिधर बन सकें। अगर वह अपनी होल्डिंग पर अपना मकान बनाना चाहें तो उनको जरूर इजाजत होनी चाहिये और इस कानूनी कमी को, जिससे छोटे किसानों को बड़ी तकलीफ है, खत्म कर देना चाहिये।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय अधिष्ठाता, मैं विरोधी दल की ओर से जो कटौती का प्रस्ताव है उसका समर्थन करना चाहता हूं। श्रीमन्, यह तो निर्विवाद सत्य है कि अपने प्रदेश के किसान को कुछ प्रदेशों के किसानों के मुकाबिले में तो दुगुना और कुछ प्रदेशों के मुकाबले में तिगुना प्रति एकड़ लगान देना पड़ता है।

अभी हमारे माननीय सदस्य ने उपरोक्त बात के सबूत में फिर से आंकड़े प्रस्तुत किये। इतना ही नहीं, जब जमींदारी खत्म हुई तो जमींदारों को जो लगान मिलता था और जो लाभ उनको होता था वह लाभ अब इस सरकार को होने लगा। किसान का लगान नहीं घटा, न उसका लाभ हुआ। जन संघ ने पहले से ही यह मांग की है कि सरकार को लगान आधा कर देना चाहिये। उस पर तो सरकार ने ध्यान दिया नहीं और लगान बढाती चली जा रही है। आज लगान में समानता नहीं है, बड़ा काश्तकार है उससे तो कम लगान लिया जाता है और जो छोटा काश्तकार है उसको अधिक लगान देना पड़ता है। जितना सीर और खुद काश्त वाला काश्तकार है उसको सरकिल रेट से आधा या उसी हिसाब से लगान देना पड़ता है। सीरदार को सरकिल रेट पर दिया जाता है, किन्तु जो छोटे-छोटे काश्तकार हैं, अर्थात् शिकमी काश्तकार हैं, अधिवासी हैं, उनको सर्किल रेट से दूना दुगना और तिगुना तक लगान देना पड़ता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि उसको हर जगह यूनिफार्मिटी लाना चाहिये और हर जगह एक सा लगान वसूल करना चाहिये।

विभाग से सी० एल०आर० डी० के जो आदेश गये हैं उसका इंटरप्रीटेशन अधिकारियों द्वारा अनेक प्रकार से लगाया जाता है। बंटवारा के बाद जो नये खेतों खातों को चकबन्दी में बनाय जाता है उनसे सरकिल रेट से दुगना और तिगुना लगान लगा दिया जाता है और वसूल किया जाता है। गांव समाज की जो जमीन है और उस पर किसी ने कब्जा कर रखा है और वह लगान नहीं दे रहा है तो उससे तो ठीक है कि आप पिछला लगान वसूल करें। परन्तु अगर किसी ने ऐसी भूमि पर कब्जा कर रखा है जिस भूमि का लगान पहले वाला काश्तकार दे चुका है, तो उससे, यानी नये काश्तकार से पिछला लगान वसूल नहीं होना चाहिये। ७–७ साल तक का लगान वसूल किया जाता है। जिस भूमि का एक बार एक काश्तकार से लगान ले लिया गया हो, उस भूमि का दुबारा लगान नहीं लिया जाना चाहिये।

दैवी आपदाओं के सम्बन्ध में एक बात कहना मैं चाहता हूं। पाला, ओला और बाढ़ आदि से जो नुकसान होता है वह जोत के अनुसार आंका जाता है। इससे नुकसान का अंश सही नहीं आंका जाता और किसान को लाभ नहीं होता। प्लाट और उसके नम्बर के अनुसार नुकसान आंका जाना चाहिये। इसके अलावा लेखपालों को यह आदेश हैं कि ६ आने से कम

नुकसान होने पर छूट नहीं दी जायेगी। नतीजा यह होता है कि लेखपाल अधिकतर जो छूट दिखाते हैं उसको ६ आने से कम दिखाते हैं जानबूझ कर, जिससे कि उनको छूट आदि के कागजात वगैरह तैयार नहीं करने पड़ते। उनके कागजों में बीसों प्रकार की गलतियां होती हैं। इसलिये उनको ऐसे आदेश होने चाहियें कि जितना नुकसान हो उसको सही तरीके से दर्ज करें।

दूसरी बात यह है कि अरहर की फसल को दैवी आपदाओं के कारण जो नुकसान होता है उसमें कोई छूट नहीं दी जाती, क्योंकि सरकार समझती है कि वह तो खरीफ की फसल है और उसमें वह शामिल है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जहां अरहर की पूरी फसल नष्ट हो गयी हो वहां उसके लिये ५० प्रतिशत की छूट सरकार को देना चाहिये, ५० प्रतिशत नुकसान उसका आंका जाना चाहिये। इस दैवी आपदा के संबंध में और उल्लेख कर दूं जो कटाव संबंधी हैं। कानपुर में गंगा नदी का जो पुल है, वहां पर गंगा नदी का प्रवाह उन्नाव को काटता हुआ चला जा रहा है। निरन्तर यह प्रक्रिया चल रही है। सरकार उसे देख ले। पुल तो कटेगा ही साथ ही उन्नाव का भाग भी कटता हुआ चला जा रहा है। श्रीमन्, मुआवजे के संबंध में कई बार चर्चा हुई और यह प्रश्न प्रश्नोत्तर काल में भी उठाया गया। उसके बारे में मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था, परन्तु इसमें बहुत देर हो रही है। श्रीमन्, बाजार के भाव से मुआविजा मिलना चाहिये। इस संबंध में मंत्री जी कमेटी की रिपोर्ट को तुरन्त मंगाकर तत्काल देखें और निर्णय लें।

श्री हुकुमसिंह बिसेन—

देखी जा रही है।

श्री रक्षपालसिंह—

तकावी के बारे में, श्रीमन्, मैं कुछ शब्द निवेदन करूंगा कि गांव-गांव में भ्रष्टाचार हो रहा है। लेखपाल से लेकर तहसीलदार तक किसान को अपनी हैसियत और शिनाख्त के लिये भटकना पड़ता है और बेचारे को तकावी का जो फायदा होना चाहिये वह समय पर नहीं मिलता है। मुझे आशा है आप इस ओर भी ध्यान देंगे। इसके अतिरिक्त एक और सुझाव भी आया है और इसका एक पर्चा भी कांग्रेस सदस्य की ओर से बंटा है कि किसान का एक हैसियत कार्ड बन जावे तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिये।

चकबन्दी में, श्रीमन्, हो सकता है मंत्री जी ने भ्रष्टाचार रोकने में प्रयास किया हो, परन्तु उसमें भ्रष्टाचार है ही और वह भी ऊपर से नीचे तक है। हमारे एक माननीय सदस्य ने तो डायरेक्टर का नाम भी लिया और नीचे लेखपाल तक भी है। मेरी समझ में इस विषय पर ज्यादा बोलने से कोई लाभ नहीं, परन्तु इतना जरूर कहना चाहता हूं कि उसमें जो कानून में अधिकार दिया गया है कि किन नम्बरों को बाग रक्खे जायं या न रक्खे जायं, चकबन्दी उसके अन्दर रक्खी जाय या बाहर, १२ आने की कीमत हो या नहीं, इन सब बातों में घूस मांगी जाती है। सरकार को इन बातों की ओर भी ध्यान देना चाहिये।

इसके अलावा सैटलमेन्ट के बारे में भी बहुत शिकायतें आई हैं। इस संबंध में भी मैं माननीय मंत्री जी की सराहना जरूर करूंगा। उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि चकबन्दी कानून में परिवर्तन के लिये भूमि विधि संशोधन आया है, उससे सेटेलमेन्ट के कागजात की दुरुस्ती के लिये व्यवस्था हो गई है। चकबन्दी रिवीजन के लिये और जिसमें ३० दिन का समय रखा गया है वह अपर्याप्त है। पहले समय ९० दिन का था। एस० ओ० सी० और सी० ओ० दोनों की इसमें नकल भी मांगी जाती है। मेरे खयाल में उसमें सी०ओ० के नकल की जरूरत नहीं होनी चाहिये। इसके अलावा मैं दो शब्द कलेक्शन अमीनों के बारे में कहना चाहता हूं।

[श्री रक्षपालसिंह]

इनके अलावा मैं दो शब्द कलैक्शन अमीनों के बारे में कहना चाहता हूं। इनके स्थायीकरण की तो बात की गई है परन्तु उनके पदोन्नति के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। कलेक्शन के जो नायब तहसीलदार होते हैं, ये भी कलेक्शन अमीनों में से बनाये जाने चाहियें और जब ये दौरे पर जायं तो इनको मार्ग व्यय भी मिलना चाहिये। ठहरने और बैठने की व्यवस्था की जानी चाहिये।

श्री अधिष्ठाता--

अब आपका समय समाप्त।

श्री शुगनचन्द शर्मा (जिला: मुजफ्फरनगर)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया।

आज जो अनुदान राजस्व मंत्री जी ने पेश किया है मैं इसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ है। पेश्तर इसके कि मैं सुझाव रक्खूं मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारे सूबे के ८० प्रतिशत काश्तकार बहुत गरीब हैं और उनकी हालत इस वक्त ऐसी हो रही है कि उन पर किसी टैक्स का लगाना और मालगुजारी और आबपाशी का बढ़ाना बहुत ही मुश्किल होगा। अब मैं आप के द्वारा चन्द सुझाव रखना चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी उन पर पूरी-पूरी तवज्जह देंगे। हमारे प्रदेश में चकबन्दी होने से पहिले हर काश्तकार के हर से खेत की डौलबन्दी थी, उसकी पैमाइश थी गढ़ेतराशी थी, लेकिन जिस वक्त चकबन्दी हुई किसी चक की कोई पैमाइश नहीं है। अगर किसी का चक बीस बीघा का है तो मौके पर दस बीघे ही है। मैं निवेदन करता हूं कि मंत्री जी हमारे प्रदेश की गठ्ठेतराशी करायें, उसकी पैमाइश पूरी-पूरी करा दें ताकि काश्तकार आपस में न लड़ें और अपनी जमीन को अच्छी तरह से काम में लायें।

मेरे जिले मुजफ्फरनगर की तहसील कैराना और बुढाना में सबसे पहले चकबन्दी हुई। वहां पर चक रोड्स और नालियां नहीं छोड़ी गईं। मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि वह ऐसा तरीका निकालें जिससे उन लोगों की यह तकलीफ दूर हो जाय और चक रोड्स और नालियों की जमीन वहां निकल आये।

(इस समय २ बजकर ७ मिनट पर, उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुए।)

चकबन्दी में रिवीजन सुनने के लिये जब डिप्टी डाइरेक्टर साहब जाते हैं तो पचास-पचास गांवों के लोगों को एक दिन में बुला लेते हैं, जिसमें वह तो परेशान होते ही हैं, लेकिन समझता हूं कि वह पूरा-पूरा इन्साफ भी नहीं कर पाते। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस गांव में डिप्टी डाइरेक्टर साहब रिवीजन सुनने जायं वहां मौके पर जाकर देखें और मौका देखकर सही-सही फैसला करें। इसके बाद दूसरा सुझाव मेरा यह है कि बाज-बाज गांवों में चकबन्दी हुए काफी समय हो गया, लेकिन आज तक उनका नक्शा २५ नहीं बंट पाया है। काश्तकार परेशान हैं। जमीन पर कब्जा अभी तक उनका नहीं हो पाया। अगर कहीं पर कब्जा हो भी रहा है तो लड़ाई झगड़े के साथ हो रहा है। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी यह आदेश शीघ्रातिशीघ्र दे दें कि जिन गांवों की चकबन्दी हो चुकी है उनका नक्शा २५ शीघ्र से शीघ्र पहुंच जाय।

एक बात यह और कहना चाहता हूं कि चकबन्दी होने के बाद बहुत-सी जगह ऐसी छोड़ी गई है कि जो बेकार पड़ी हुई है। उनका इन्तजाम ग्राम समाज को दिया भी तो ऐसे ढंग पर दिया कि जो झगड़ेतलब है। उसकी भी डौलबन्दी कराकर पूरा-पूरा प्रबन्ध उसका किया जाय। बहुत से गांवों में चकबन्दी रुकी पड़ी है, उनके पास बहुत से मजरे जो गैर आबाद हैं लगे हुए हैं, वहां पर चकबन्दी शुरू की गई लेकिन इस झगड़े में रोक दी गई कि वह मुश्तरका किया जाय या अलग-अलग किया जाय। मेरा निवेदन है कि वहां चकबन्दी शुरू कराकर उसे पूरा कराया जाय। इतना कहकर मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि जो इस अनुदान पर मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर आपने दिया।

मान्यवर, इस विभाग से प्रदेश के बहुसंख्यक कृषकों का, जिनकी जनसंख्या प्रदेश में ७५ फीसदी से अधिक है, निकटतम संबंध है। आज प्रदेश में कृषकों की जो हालत है उसे सभी अनुभव करते हैं कि यदि उसमें सुधार न किया गया तो प्रदेश प्रगति नहीं कर सकेगा। यह सही है कि इस विभाग ने स्वतंत्रता के उपरान्त बहुत से ऐसे कार्य किये जिनसे कृषको को कुछ राहत हुई। यह भी सही है कि ऐसे कानून बने कि जिनसे किसानों को कुछ लाभ हुआ, लेकिन उन कानूनों का जो कृषकों के हित के लिये बनाये गए सही रूप से पालन न हो पाने के कारण किसानों को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। जैसा इधर से बोलने वाले और उधर से बोलने वाले माननीय सदस्यों ने अपने बिचार व्यक्त किये और तमाम चीजों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया, चकबन्दी की ओर, और दूसरे तरीकों की ओर। चकबन्दी का जहां तक सवाल है, यह सही है कि योजना बड़ी सुन्दर है। चकबन्दी का सही तरीके से पालन किया गया होता, तो अब तक शासन ने जितने कार्य किये हैं, उनमें चकबन्दी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता। कृषकों का इससे लाभ हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ी खामियां है, जिनकी तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। सरकार ने निम्न स्तर पर ऐसे गैरतजुर्बेकार लेखपाल, कानूनगो और ए० सी० ओ० की नियुक्ति कर दी है, जिनको भूमि के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। इसके अलावा वह अस्थाई थे जिससे भ्रष्टाचार हुआ, जो एक तरफा नहीं हुआ बल्कि हमने भी उनको प्रोत्साहन दिया, जिसकी ओर हमको विशेष ध्यान देना चाहिए।

सबसे बड़ी बात आज चकबन्दी में जो हो रही है, वह यह है कि नियम ५२ का प्रकाशन हो गया, अन्तिम कागज तैयार हो रहे हैं, हमारे बिंदकी तहसील में चकबन्दी के कर्मचारी १०० रु० बीघा पर जमीन बेंच रहे हैं। एक नियम वह है, जिसमें सार्वजनिक प्रयोजन के लिये ५, प्रतिशत जमीन कटती है। आप किसी भी गांव की जांच कर लें, जितनी जमीन काटी गई, उसका कुछ भी भाग ग्राम समाज के पास नहीं बचा। मैंने इस बारे में चकबन्दी कमिश्नर का ध्यान आकर्षित किया और मेरे क्षेत्र में मारडीघ और बुढवा में नियम ५२ के प्रकाशन को रोक दिया तथा जांच का आश्वासन दिया, जिससे मुझे आशा है कि इस काम में कुछ सुधार होगा। आज जो नक्शे की बाउन्डरी है, जो अंतिम नक्शा बनता है, उसका प्रकाशन नहीं होता। किसान को वह नहीं दिखाया जाता। पहले जो नक्शा उसको दिखाया जाता है, वह कुछ और होता है और १०-२० रुपया अगर किसी काश्तकार ने दे दिया तो नक्शे में उसकी बाउन्डरी बढ़ा दी जाती है। नतीजा यह होता है कि चकबन्दी के बाद जब पुराने लेखपाल को, कागज मिलता है, तो वह मौके पर और नक्शे में बाउन्डरी अलग पाता है, जिसके कारण पड़ोसी दो किसानों के बीच झकड़ा पैदा होता है। यद्यपि कानून में कोई व्यवस्था नहीं है, फिर भी मैं चाहूंगा कि इसमें सुधार होना चाहिये। जिले में कलेक्टर और एस० ओ० सी० के यहां दरख्वास्त पड़ी, लेकिन वह कहते हैं कि चूंकि कानून में कोई व्यवस्था नहीं है जिसके अधीन नक्शे में किसी तरह का कोई परिवर्तन कर सकें इससे वह लोग मजबूर होते हैं। मैं चाहूंगा इस बारे में मंत्री जी व्यवस्था जरूर करेंगे। छोटे-छोटे किसानों के जमीन का मूल्यांकन हुआ और पहले २५ की जो पर्ची मिली, सही मिली और अंतिम कागज जो बन्दोबस्त के बने, वह अगर सौ आने के मूल्यांकन का बनना चाहिये था, तो ९८ का ही बना। किसानों को उनकी पूरी मालियत का चक मिलना चाहिये। गांव सभा मैनुअल का जो परिच्छेद ५८ है, उसके बारे में मैंने माल स्थायी समिति में भी निवेदन किया था, कि वह बड़ा विवादास्पद हो गया है, उसमें यह कहा गया है कि किसी गांव में गैर मजरुआ भूमि अगर १० प्रतिशत से कम है, तो उसको नहीं उठाया जायगा। इसका मतलब अलग-अलग ढंग से अधिकारियों द्वारा से लगाया जा रहा

[श्री रामकिशोर वर्मा]

है। उसमें एक टिप्पणी है कि अगर जमीन अन्य किसी तरीके से इसमें आई हो, तो उठाई जा सकती है। बिन्दकी तहसील में ५० रुपया बीघा लेखपाल और, कानूनगो से सौदा होता है, जिसके कारण १० प्रतिशत का कोई पता ही नहीं लगता। मैंने स्थायी समिति में इसको उठाया, मुझको बताया गया कि वह भूमि नहीं उठाई जा सकती है। इस पर मैंने कहा कि स्पष्टीकरण के लिये हर तहसील के लिये इस संबंध में एक आदेश प्रसारित कर दिया जाय, लेकिन मुझे खेद है कि ऐसा नहीं किया गया, जिसकी वजह से कर्मचारी गलत ढंग से भूमि का दुरुपयोग कर रहे हैं। जब चकबन्दी हो गई और जिस काम के लिये उस भूमि को सुरक्षित रखना आवश्यक था, इसके अलावा जो जमीन शेष बची, उस जमीन को उठाने का अधिकार भूमि प्रबन्धक समिति को दिया जाना चाहिए, जिससे हमारा उत्पादन बढ़े और सरकार की आमदनी भी बढ़े।

सब से बड़ा भ्रष्टाचार का कारण सरकारी अधिकारियों के दौरे हैं। जिलाधीश जब दौरे पर जाते हैं, तो उनके एक-एक कैम्प का खर्चा ६००–७०० रुपया होता है। इसी तरह से एस० डी० एम० का ३००–४०० रुपया और तहसीलदार का २००–३०० रुपये का खर्चा होता है। परिणाम यह होता है कि इन अधिकारियों के दौरे का सारा खर्चा लेखपाल बरदाश्त करता है। फिर आप कैसे उससे आशा कर सकते हैं कि ईमानदारी से काम करेगा? इसलिये जहां अधिकारियों के दौरों का कार्यक्रम बढ़ा है, वहां इस प्रकार की व्यवस्था की जाय कि अधिकारी अपना खर्चा स्वयं वहन करें, ताकि भ्रष्टाचार रुके। जो रिपोर्ट आज दी गई है, उसमें बताया गया है कि कब्जा इन्दराज के संबंध में एक समिति बनी थी, जिसने रिपोर्ट दी कि खसरे का जो अन्तिम खाना है, जिसमें लेखपाल कब्जा लिखता है उसको लेखपाल न लिखे, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि अभी जो रबी की फसल की पड़ताल हुई, उसमें बिंदकी तहसील के लेखपालों ने खसरे के खाने में कब्जा लिखा है। मंत्री जी, आप इसको नोट करें और बतायें कि किस तरह से ऐसा चल रहा है।

आप जानते हैं हमारे प्रदेश में बहुत सारे ऐसे गांव हैं, जो नदियों के किनारे हैं, जिनमें बहुत सारी जमीन ऐसी पड़ी हुई है जो खेती योग्य बनाई जा सकती है। भूमि प्रबन्धक समिति में ऐसे लोग चुन लिये गये हैं, जो उस भूमि को स्वतः अपने कब्जे में किये हुये हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे, जिससे जहां अधिक भूमि है, भूमि प्रबन्धक समिति उस भूमि को लगान पर उठाये। आज अराजकता की स्थिति इसलिये हो रही है कि भूमि प्रबन्धक समिति जो अच्छा काम करती है और जनतंत्र अनुसार उसमें बड़ी आस्था होनी चाहिये, उसको आज सरकारी अधिकारियों का सहयोग प्राप्त नहीं है। वह समिति जब भूमि के अनधिकृत कब्जे के संबंध में कोई मुकदमा तहसील में दाखिल करती है, तो अधिकारी न तो जांच पड़ताल करते हैं और न ही उसके प्रबन्ध का कोई उपाय करते हैं। उलटे दो-दो चार-चार तारीखों पर अध्यक्ष को दौड़ाया जाता है, और बाद में वह कागजात फाड़ दिये जाते हैं। मैं चाहूंगा कि अब मुकदमा दाखिल हो, तो उसकी रसीद उनको मिलनी चाहिये, जिससे फाइल गायब होने की आशंका न हो। जो लोग आज कब्जा करते हैं, वह रुपया खर्च करके अपना काम बना लेते हैं और भूमि प्रबन्धक समिति के लोग असफल होते हैं, जिससे उनमें निराशा होती है। तहसील स्तर पर काफी भ्रष्टाचार है। जो लेखपाल १०–११ साल से काम कर रहे हैं वह स्थायी नहीं हुए हैं, उन्हें इसके लिये रजिस्ट्रार को नियमित फीस देनी पड़ती है। २०० रुपया अगर किसी लेखपाल ने नहीं दिया तो वह स्थायी नहीं हो सकता।

बिंदकी तहसील में इस तरह के २० लेखपाल हैं, लेकिन उनके बारे में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। बिंदकी में कैंडिया एहतमाली एक गांव है, जिसमें ६९८ बीघा जमीन भू-दान में दी गयी। उन्होंने तहसील में दाखिल खारिज के लिये दरख्वास्त दी कि उस जमीन का आधिपत्य भू-दान समिति को दे दिया जाय, लेकिन उसको बजाय भू-दान समिति को देने के गांव समाज को दिया गया। बाद को राजस्व परिषद् से यह

आदेश हुआ कि उसको भूदान समिति को दे दिया जाय, लेकिन सन् ५८ से आज तक वह भू-दान समिति को नहीं मिली है । इसी प्रकार से गलाथा ग्राम में १४०० बीघा भूमि भूदान समिति को मिली अगस्त ६३ में । लेकिन वहां के अधिकारियों ने बकाया लगान में उस जमीन को नीलाम कर दिया और सस्ते में अपने ही यार दोस्तों को दे दिया । इन सब बातों को माननीय मंत्री जी को देखना चाहिये और उसका प्रबन्ध करना चाहिये । इन शब्दों के साथ में अपने स्थान को ग्रहण करता हूं ।

*श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत ही अनुग्रहीत हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण अनुदान पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मैं कुछ और कहने के पहले माननीय मंत्री जी को कोटिशः धन्यवाद देता हूं जिन्होंने पिछले साल यह आदेश दे दिये कि कैफियत के खाने में कोई लेखपाल एंट्री नहीं करेगा । खसरे में कैफियत का खाना बहुत ही महत्वपूर्ण खाना है । उसके बारें में वर्षों से हम लोग प्रयत्न करते आ रहे थे । अब यह आदेश जारी कर दिये गये हैं । इसके लिये मैं मंत्री जी को पुनः धन्यवाद देता हूं । अभी हमारे एक माननीय मित्र इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कैफियत के खाने में अब भी लेखपाल कब्जा लिखता है । इस बात को सुन कर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ । हमारे बस्ती जिले में तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने प्रचार करके वहां ऐसा करा दिया है कि जब तक सभापति नहीं आता है, लेखपाल कोई एंट्री नहीं कर सकता है ।

इसके अलावा एक बात मैं और रेवेन्यू विभाग के बारे में कहना चाहता हूं । इस विभाग का काम जनता से रुपया वसूल करने का है । चाहे वह एग्रीकल्चर विभाग हो या कोआपरेटिव विभाग हो या प्लानिंग विभाग हो, सब विभागों की ओर से कर्जा या तकावी दी जाती है और अगर वह रुपया वसूल नहीं होता है तो वह वसूली के लिये रेवेन्यू विभाग के सुपुर्द कर दिया जाता है । ऐसे-ऐसे व्यक्तियों को रुपया दे दिया जाता है कि जिनकी कोई हैसियत ही नहीं होती, लेकिन वसूली का यह कड़ुवा काम रेवेन्यू विभाग के सुपुर्द कर दिया जाता है । सारी दिक्कत और परेशानी रेवेन्यू विभाग को ही उठानी पड़ती है । मैं माननीय मंत्री जी से यह कहूंगा कि यह तकावी जिस जिस विभाग से बांटी जाती है उन विभागों में यह देख लिया जाना चाहिये कि क्या वह ऐसे आदमियों को दी गयी थी जो उसको वापस करने की हालत में थे ।

बस्ती में हरैया एक तहसील है । वहां पर कम से कम १० ऐसे आदमी हैं जिनके ऊपर १०–१० हजार और २०–२० हजार रुपया बाकी है, लेकिन वसूल नहीं किया जा रहा है । उनके साथ कोई सख्ती नहीं की जा रही है, जबकि जो गरीब लोग हैं उनकी जरा जरा से रुपये के लिये कुर्की की जाती है ।

हरैया तहसील एक ऐसी तहसील है जिसमें सन् ५२ में १ लाख ३२ हजार जमींदार थे, जिनमें से १ लाख २२ हजार की जमींदारी समाप्त हुई । उसकी जन-संख्या ३८६६१२ है । वहां पर जो अमीन रखे गये हैं वे डिमांड के आधार पर रखे गये हैं । जैसे कि हमारे यहां रेवेन्यू के उसूल हैं उसी हिसाब से तहसील को अमीन मिलते हैं । मेरा निवेदन है कि वहां के छोटे पट्टीदारों की तादाद को देखकर, यहां तक कि वहां पर ६ पैसे तक के जमींदार उन्मूलन से पहले थे । तो वहां के अमीनों की और चपरासियों की संख्या अधिक होना चाहिये और जगहों के मुकाबिले में, तब वहां की वसूली हो सकती है । हमारे एक माननीय सदस्य ने जिक्र किया कि तहसीलदार के कैम्प में करप्शन होता है और कलेक्टर के कैम्प में करप्शन होता है । मैं कह सकता हूं कि हमारे यहां हरैया, नौगढ़, बांसी, डुमरियागंज, आदि तहसीलों के तहसीलदार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रणबहादुरसिंह]

दौरा करते हैं और अपना राशन इस्तेमाल करते हैं। हमारे जिले में कोई चीज ऐसी नहीं है। यह प्रथा पहले थी कि ४–५ हल्कों के पटवारी ८–१० दिन पहले बुलाये जाते थे और कानूनगो दौरे का प्रबन्ध करते थे, लेकिन अब वह चीज नहीं है। हमारे यहां श्री गुलाम यजदानी साहब हैं जो निहायत सादगी के साथ दौरे पर जाते हैं और पहले जो कानूनगो के दौरे होते थे और तमाम चीजें होती थीं कि पहले से मालूम हो जाता था कि हाकिम आ रहा है, लेकिन अब गांव में जाते हैं, दौरा करते हैं और कोई उस तरह की चीज नहीं होती। मैं समझता हूं कि जिन क्षेत्रों में जनजागृति नहीं है वहां के प्रतिनिधि जब तक इस चीज को दूर करने के लिये स्वयं दिलचस्पी न लेंगे तब तक इस तरह की चीजें दूर न होंगी।

इसके अतिरिक्त हमारी हरैया तहसील में बाढ़, सूखा और दुर्भिक्ष होता है और उसके कारण बहुत रुपया वहां सरकार को बांटना पड़ता है। हरैया तहसील को पिछले साल १ लाख ३२ हजार रुपया देना पड़ा और इसी तरह से वहां पर हर साल कभी १ लाख, कभी डेढ़ लाख और कभी २ लाख रुपया देना पड़ता है। वहां से ३–४ साल पहले एक सुझाव भी आया था और जिलाधीश और जिला परिषद् ने भेजा था कि घाघरा नदी का जो बड़ा पुल बना है, उसमें अयोध्या का पुल जो बन रहा है उसका सारा पानी हरैया तहसील में भरता है, अगर वहां एक ठोकर बन जाय तो जो दस पांच गांव हर साल कट जाते हैं और लोग परेशान होते हैं वह न हो। फ्लड कंट्रोल बोर्ड के पास एक बांध और ठोकर लगाने का सुझाव आया है और वहां का सर्वे हो गया है, लेकिन फ्लड कंट्रोल बोर्ड में ३ साल से टेक्निकल एडवाइस के लिये पड़ा हुआ है। हर साल आपको वहां २ लाख के करीब रुपया देना पड़ता है अगर इस ७४ लाख की योजना को वहां पर कार्यान्वित का दिया जाय तो काफी लाभ हो सकता है। जो फ्लड डिवीजन वहां खुला है उसका कहना है कि अगर बोर्ड से स्वीकृति आ जाय तो हम काम शुरू कर दें, मंत्री जी तो फ्लड कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग में जाते हैं। वह उस हरैया तहसील की योजना को कृपा कर के स्वीकृत करा दें तो वहां की जनता का कल्याण हो सकता है।

दो शब्द में चकबन्दी के विषय में भी कहना चाहता हूं। इसमें संदेह नहीं है कि हमारे जिले के डुमरियागंज में बहुत पहले चकबन्दी हुई थी। जैसा कि हमारे एक माननीय सदस्य ने जिक्र किया, बहुत तरह की आरम्भ में बात बातें सुनी जाती थीं, लेकिन अब भी दिन प्रति दिन यही बात कहे जाना कि भ्रष्टाचार है सारे कर्मचारी बेईमान हैं, कोई मुनासिब बात नहीं है। दिनो दिन जो सुधार इस काम में हुआ है उसको मैं अपने जिले से ही अधिक आंक सकता हूं और दूसरे जिलों में भी मैं पी०ए०सी० की तरफ से गया और मैंने वहां जानकारी हासिल की। लोगों का कहना है कि अब दिन प्रति दिन चकबन्दी के काम में सुधार आया है और पहले की सी बातें अब नहीं रही हैं। पहले डुमरियागंज में नक्शों की गड़बड़ी थी, लेकिन सारे पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी, माननीय शास्त्री जी ने वहां का दौरा किया और वहां के तमाम नकशे उन्होंने ठीक कराये हैं। चकबन्दी में जब जब किसी ए०सी० ओ० या किसी सी०ओ० की शिकायत आयी तो हम लोगों ने उसकी जांच की, जिलाधीश की नोटिस में लाये। यही नहीं, हमारे जो डायरेक्ट या ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, जब भी उनके नोटिस में कोई चीज लायी गई तो उन्होंने तुरन्त उस पर कार्यवाही की। उसमें उन्होंने देरी नहीं की। सदन में यह कह देना कि इस विभाग में इस तरह से भ्रष्टाचार है, उससे काम नहीं चलने वाला है। हम जब तक उन अधिकारियों के नोटिस में नहीं लाते जो इस विभाग से संबंधित हैं, उनको जानकारी नहीं कराते, तो काम नहीं चलने वाला है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि गांव समाज की आज दशा बहुत खराब है। उनकी देखरेख की आवश्यकता है। पहले जमींदार एक खूंटे गाड़ने तक को देखते थे, परन्तु आज गांव में बड़ी धांधलेगरदी है। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। एक प्रधान जो वोटों को पाकर एक बार हो गया वह अपने भाई, बच्चों के नाम पट्टे पर जमीन उठा देता है। इसलिये मैं, श्रीमन्, आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वे इस ओर ध्यान दें।

हमारी तहसील में ताड़ को बेचा गया और केवल ३५५ रुपये में एक ने खरीदा। मैंने उस बात की शिकायत सरकार को की तो उसका फिर से नीलाम हुआ और वह उस बार ४,३३२ रुपये में बिका। तो ऐसी चीजों को देखकर मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वे गांव समाज की तरफ भी ध्यान दें जिससे गांव समाज की सम्पत्ति की रक्षा हो सके।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय भगवानदास यावेन्दु जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, प्रदेश में मालगुजारी के रूप में हमारी सरकार २१ करोड़, ८२ लाख रुपया किसानों से वसूल करती है। आजादी से पूर्व वैसे तो कांग्रेस वाले यह कहा करते थे कि जमीन का रिकार्ड रखने के लिए थोड़ा बहुत कर मात्र ही वसूल करेंगे। पर आज स्वयं जब गद्दी पर हैं तो इस देश में आज उन्हीं की मिसाल है और उन्होंने १९०२ से १९३० तक बराबर विभिन्न स्थानों में यह कहा है कि "अंग्रेज सरकार लगान को बराबर बढ़ाती जा रही है और अलाभकर जोतों की भी मालगुजारी माफ नहीं करती हैं।" परन्तु आज क्या दशा है कि जिस चीज का नारा लगाकर यहां पर ये लोग बैठे हैं उसको ही भूल गये हैं। यह लगान भूमि का टैक्स नहीं है। यह जमीन का किराया है। जिस तरह से सरकार मकानों आदि के किराये को वसूल करती है इसी प्रकार यह भी किराये की भांति वसूल करती है। मैं जानना चाहता हूं कि कैसे आप अपने बराबर होने वाले अधिवेशनों में क्या-क्या कहते रहते हैं। उसका आज ध्यान नहीं है। मेरा कहना यह है कि अन्य सभी जोतों के लगान को आधे से भी कम किया जाय और अलाभकर जोतों को बिल्कुल माफ करें। यही मेरा और मेरी पार्टी का सिद्धान्त है।

दूसरी बात मैं यह कहने जा रहा था कि जहां पर जमीन का लगान सरकार द्वारा निश्चित किया गया है, वहां पर भी सर्किल रेट से लगान नहीं लिया जाता है। जिन गांवों या जोतों का लगान निश्चित नहीं हो पाया है, उसे जिस रीति से निश्चित किया जाता है वह भ्रमपूर्ण है। उसमें खराब जमीन वाले को भी अधिक लगान देना पड़ता है। जहां कहीं पर दूमट, भूड़, मटियार और कहीं-कहीं पर गोयन्ड जमीन हैं उनका ऐवरेज लगाकर लगान निकालते हैं। बुन्देलखंड डिवीजन में मिट्टी की किस्में कावर, भार, पंडुवा, दोमट, कंकरीली जमीनें हैं, वहां भी सर्किल रेट से लगान नहीं लिया जाता है। यह उचित नहीं है। होना यह चाहिये कि जैसी भूमि हो, उसका जो सर्किल रेट हो, किसानों से वही लिया जाय। अगर वह लगान नये रेट से इस आधार पर तय करें तो उचित होगा। सरकार द्वारा निश्चित तरीका औचित्य हीन तथा भ्रमपूर्ण और किसानों का विरोधी है। लगान बहुत शूक्ष्म होना चाहिये।

माननीय मन्त्री जी ने पिछले वर्ष आश्वासन दिया था कि पटवारी को काबिज के सम्बन्ध में लिखने का अधिकार नहीं रहेगा। मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने उस पर विचार किया। काबिज इन्दराज और भूमि अभिलेख समिति में जो रिपोर्ट दी है कि पटवारी के बाद कानूनगो और तहसीलदार भी कब्जों की जांच कर लेगा। बाद में तहसीलदार नोटिस देगा। पहले यह था कि पटवारी को १०–५ रुपये दे कर लेख को खत्म करा लिया जाता था, लेकिन अब यह हिस्सा तीन जगह जायगा, यानी कानूनगो और तहसीलदार तक भी। इस तरह से बजाय लाभ के यह किसान के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ है और तिगुना पैसा खर्च करना पड़ेगा। मेरा सुझाव यह है कि सवा ६ एकड़ के ऊपर ही जितनी जोतें हैं, उनकी ही कब्जे की रिपोर्ट की जाय और सवा ६ एकड़ के नीचे की किसी भी प्रकार का काबिज का लेख नहीं होना चाहिये। केवल मुस्तकिल कब्जा के काश्तकारों को दे दिये जाय। दूसरे, किसान को अपनी भूमि पर स्वामित्व निश्चित हो जाना चाहिये और जब तक ऐसा नहीं होता है वह उसमें रुपया लगाने को तैयार नहीं होता है जिसका परिणाम यह होता है कि प्रोडक्शन कम होता जाता है। वृहत

[श्री विजयसिंह]

जोतकर का बजट देखने से पता चलता है कि एक नये आफिसर की नियुक्ति हुई है, कलेक्शन तहसीलदार की। पुराने सभी कलेक्शन नायब तहसीलदारों को रेगुलर कर दिया गया है। मेरा सुझाव है कि जबकि तहसीलदारों से दुनिया भर के काम लिये जाते हैं, अच्छा हो कि उनसे केवल वसूली के काम कराये जायं और दूसरे सप्लाई डिपार्टमेंट के जो आफिसर हैं उनसे वे अन्य काम लिये जायं। उसका काम बनिया की दुकान का काम न हो। वह लगान वसूली, मुकद्दमों का ही काम करे, सीमेंट, कपड़ा, शकर आदि उससे न बटवाया जाय।

वृहत् जोतकर के सम्बन्ध में एक बात मुझे यह और कहनी है कि बागों को प्रोत्साहन देने के लिए वृहत् जोत कर अधिनियम में यह नियम रखा गया है कि जो नया बाग लगायेगा उस पर तीन वर्ष उपरोक्त कर नहीं लगेगा और उसके बाद वृहत् जोतकर उसे देना होगा। जब से यह प्रक्रिया शुरू हुई है नये बागों को लगाये रहने की प्रथा समाप्त हो गयी और तब से हुआ यह है कि पुराने बागों को लोग काटने लगे और उनमें नये बाग लगाने लगे ताकि वे वृहत जोतकर से बच जायं। दूसरे, यह भी नियम है कि बाग उसे कहेंगे जिसमें निश्चित संख्या पेड़ों की हो और उस भूमि में खेती की अन्य फस्ल न हो सके,ऐसे पेड़ों वाली भूमि को बाग कहेंगे और जिस जमीन पर वृक्षों के कारण अन्य खेती न हो सके वह बाग में शामिल कर ली जाती है। इसका प्रतिफल यह हुआ कि लोगों ने यह किया कि एक एकड़ में २५, ५० पेड़ लगा दिये और तहसीलदार को दिखा दिया और उसके बाद जब कागजात में उस जमीन का इन्दराज बहैसियत बाग हो गया तो फिर कुछ पेड़ उखाड़ दिये और खेती शुरू कर दी। इस प्रकार नये बागों को प्रोत्साहन मिलने के बजाय पुराने बाग कटते चले जा रहे हैं और नये हो नहीं पा रहे हैं। अतः यह नियम भी हानिकारक सिद्ध हो गया है।

आज बार-बार चकबन्दी के सम्बन्ध में करप्शन की दुहाई दी गयी। मैं माननीय मन्त्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस सम्बन्ध में सख्त कार्यवाही की। पर इस रगड़ में जो बड़े आफिसर आये हैं उनके प्रति उनकी हमदर्दी रही है और उन्हें क्षमा कर दिया गया। मेरा निवेदन है कि बड़े आफिसर के खिलाफ भी अगर शिकायत आये तो उसे और भी सख्त सजा दी जाय और उसके साथ रियायत न बरती जाय।

तहसील के वसूली के अमीनों के सम्बन्ध में एक सुझाव मेरा यह है कि जिस प्रकार पटवारी, कानूनगो और नायब तहसीलदार तक पदोन्नतिकर सकता है, लेकिन अमीन के लिए इस विभाग में कोई पदोन्नति की व्यवस्था नहीं है और न आशा ही है। मैं साथ ही साथ उसके भत्ते के लिए भी कहूंगा। जब दूसरे अन्य कर्मचारी ५ मील के ऊपर सफर करते हैं तो उनको टी० ए० मिलता है, लेकिन अमीन को वह टी० ए० भी नहीं मिलता। तो इसके ऊपर भी विचार किया जाय कि अमीन के लिए पदोन्नति की व्यवस्था कर के उसे प्रोत्साहन दिया जाय तथा ५ मील के ऊपर टी० ए० की भी व्यवस्था की जाय।

आखिरी बात मैं यह कहूंगा कि सीलिंग के बाद जो सरप्लस लैन्ड निकलता है उसमें रजिस्टर्ड सोसाइटीज को प्रिफरेंस दिया जाता है, फिर गांवों के भूमिहीन मजदूरों को, तब कहीं गांव के बाहर वालों को देना चाहिये। लेकिन जालौन जिले में मैंने देखा कि मेरे क्षेत्र कोंच व अन्य जगहों में जो लैन्ड बचा वह भी उसी गांव में गरीब किसान मजदूर को नहीं मिला।

जालौन जिले में ही दूसरी जगहों पर यह देखने को मिला कि एक सदस्य हरिजन भाई हैं, जो उन्नाव जिले में हमारे यहां पहुंच गये हैं और उन्होंने हर जगह निकाली भूमि के लिए अप्लीकेशन लगानी शुरू कर दी हैं। हमारे यहां के दो चार गांवों में जैसे सतोय आदि में उन्होंने जमीन लेना भी शुरू कर दी है। इसलिए मैं, अध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि जिस गांव में जो सीलिंग से निकली जमीन हो और उस गांव के जिन

खेतिहर मजदूर किसानों के पास जमीन नहीं है, उनको वह जमीन दी जाय और बाहर वालों को कोई जमीन न दी जाय, क्योंकि पहला हक गांव के मजदूर भूमिहीन किसान का है। बाहर वालों को नहीं दी जाय यह आदेश जिलाधीशों को दिया जाना चाहिये।

एक बात और कहनी है कि तकावी रूल्स के बारे में एक माननीय सदस्य ने कहा है कि वह ठीक नहीं हैं, यह सही है। हानि का तखमीना नियमों के अनुसार पूरे खाते पर लगाया जाता है जब कि खाते में केवल एक या दो गाटों की हानि को पूरे खाते पर नुकसान लगा दिया जाता है। इससे किसान बड़े घाटे में रहता है। खेतवार नुकसान को छूट देनी चाहिये और खातेदार नुकसान नहीं लगाया जाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री ज्वाला प्रसाद (जिला कानपुर)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने विचार प्रकट करने का सुअवसर दिया। किसानों का इस महकमे से निकटतम सम्बन्ध है। पिछले दो सालों में जब किसानों की फसल को मुसीबत आयी, तो मंत्री जी ने सहृदयतापूर्वक लगान में किसानों को छूट दी और बाढ़ के मौके पर किसानों को मदद दी, उससे किसान बड़े प्रभावित हुये हैं।

प्रायः ऐसा होता देखा जाता है कि जो परती जमीन गांवों में होती है उसके लिए कहा जाता है कि वह भूमिहीनों को देनी चाहिये, लेकिन ऐसा नहीं होता है। गांव पंचायतों की तरफ से जो पढ़े लिखे जाते हैं, उनमें कौन नियमित है और कौन अनियमित है, यह हमारे कानपुर जिले की घाटमपुर तहसील के तहसीलदार की मंशा पर मुनहसिर है। वे जिसको चाहे नियमित कर दें और जिसको चाहें अनियमित कर दें। इसमें रिश्वत चलती है और उसी के आधार पर पट्टे को नियमित बनाया जाता है।

लेखपालों की हालत यह है कि गांव समाज की भूमि के लिए जब वे सभापति के पास जाते हैं तो कहते हैं कि कानूनगो को देने के लिए रुपये चाहिये और कुछ हमारा भी अधिकार है कि हर बिस्वा दो बिस्वा पर दो चार रुपये हमें भी चाहिये। यह लेखपालों का किस्सा है, इसे मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं। गांव पंचायतों की सम्पत्ति की रक्षा जो पिछले दस साल पहले अधिकारियों द्वारा होती थी आज उसका स्वरूप बदल गया है। एस० डी० ओ० और तहसीलदार मनमाने ढंग से रिश्वत के बलबूते पर गांव समाज की सम्पत्ति की छीछालेदर कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मन्त्री जी इधर ध्यान दें।

मुझे मालूम है कि कई मुकदमे पंचायतों में कई साल से चल रहे हैं। पट्टे लिखे गये हैं और तस्दीक नहीं की गयी है और बहुत से गैर वाजिब पट्टे तस्दीक हो गये हैं।

चकबन्दी के सम्बन्ध में सभी माननीय सदस्यों ने कहा है, और मैं भी कहता हूं, कि किसानों के भाग्य में यह ऐसा सुअवसर लायी है जिससे किसान की हालत बहुत अच्छी हो गयी है और उसकी अभिरुचि बढ़ी है। वह चाहता है कि हमारे यहां सिंचाई के साधन हों और खाद मिले। ऐसी बात नहीं है कि किसानों को चकबन्दी से तकलीफ हुई है। चकबन्दी में रिश्वत जरूर है, लेकिन यह स्थानीय कार्यकर्ताओं की दृढ़ता पर मुनहिसर है चाहे वे सोशलिस्ट हों या कांग्रेसी हों। सी० ओ० या ए० सी० ओ० जब कार्यकर्ता से पूछते हैं कि आपका चक कहां बनेगा, वह कहता है कि गांव के करीब कर दीजिये। बस उनकी बन आती है। अगर वह कह दें कि कहीं भी बना दें, तो फिर रिश्वत लेने की गुन्जाइश नहीं हो सकती है। मुझे यह भी मालूम है कि तहसील पुखरायां में जिन विरोधी भाइयों ने प्रदर्शन किया, उनके प्रदर्शन का काम यह था कि एक खेत पानी से सींच दिया, उसको वह दिखाना था कि यह बाग है, यह कहना था कि उसको बाग दर्ज करो। हरी डाल लाकर गाड़ दिया और

[श्री ज्वालाप्रसाद]

कहा कि इसको बाग बनाओ और जब उन्होंने यह गलत काम जाल का नहीं किया तो उनके खिलाफ नोटिस निकाला गया और प्रदर्शन हो गया। हमें मालूम है कि हमारी तहसील पुखरायां में जहां-जहां गड़बड़ी हुई, मैंने उसके बारे में सरकार से कहा और उसे देखने के लिए वहां पर कमिश्नर साहब गये, सभा सचिव साहब गये और गड़बड़ियां जहां पर थीं वहां पर फिर से चकबन्दी की गयी और गड़बड़ी के लिए उत्तरदायी अधिकारियों कर्मचारियों को इधर-उधर कर दिया गया और अब वहां की हालत में सुधार हो गया है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यह हालत तब तक नहीं सुधर सकती जब तक कि मुकामी वर्कर दृढ़ता और ईमानदारी से निस्वार्थ होकर काम नहीं लेंगे। हमारे यहां तो चकबन्दी वाले रिश्वत लेने से बहुत डर गये, लेकिन क्या बताऊं कहीं कांग्रेसी निकल आते हैं और कहीं लाल टोपी वाले, जो यह कहते हैं कि ऐसा पटाओं कि हमारा काम भी चल जाये और आपका काम भी चल जाये। तो रिश्वत की बात हमारे और आप के चरित्र पर निर्भर करती है। यदि हमारा चरित्र ठीक है और हम अपना स्वार्थ नहीं चाहते, तो गड़बड़ी और रिश्वत की कोई गुन्जाइश ही नहीं रह जाती है। हमारे यहां कानपुर की तहसील घाटमपुर में धारा ५२ के प्रकाशन के बाद खातों में इतनी गड़बड़ी निकली है, जिस पर मन्त्री जी ने कहा है कि वह इस नियम के अन्तर्गत होने वाली गड़-बड़ियों की रोकथाम के लिए आवश्यक अधिनियम ला रहे हैं और हमें उम्मीद है कि वह शीघ्र ठीक हो जाएगा।

एक गांव का किस्सा मैं आपको बताऊं। एक धीरपुर गांव है, जिसमें एक परिवार है। उसमें जो बालिग लड़का है वह फौज में है तथा परिवार में एक नाबालिग लड़का और एक मुसम्मात हैं। उनसे गांव के एक चलता-पुर्जा आदमी ने किसी तरीके से, धोखा देकर उनकी जमीन का बयनामा करा लिया। वहां चकबन्दी जब आयी तब उसका मुकदमा चला। फैसला उस परिवार के फेवर में हुआ, जिसकी जमीन थी। डी० डी० सी० के यहां से वह फाइल एस० सी० ओ० के यहां वापस ५-११-६३ को गयी पर आज तक उस फाइल का कोई पता नहीं चल रहा है और जो फैसला उन्होंने लिया उसको सुनाया नहीं गया और जमीन गैर-कानूनी ढंग से वह गलत आदमी अपने पास रखे हुये है, जिसने गलत तरीके से उसे लिखा लिया था। तो इस प्रकार से अधिकारियों की सांठ-गांठ से उसकी फाइल इधर-उधर कर दी गयी और उसमें एक गरीब मुसम्मात मारी जा रही है, जिसका एक लड़का फौज में काम कर रहा है। तो मैं आप से निवेदन करूंगा कि इन चीजों की तरफ आप अपना ध्यान ले जायें।

चकबन्दी के काम में पिछले साल ऐसे आदमी भी थे जिन्हें यह पता नहीं था कि नाली कहां से ले जायें और नाली गलत बन गयी हैं जिनमें पानी नहीं जा रहा है। और पानी न मिलने से खेत खाली हो गये और किसानों का नुकसान हो रहा है। मन्त्री जी इस पर भी बड़ा प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन वह करें तब तो, मोहकमा तो माल का है।

इन शब्दों के साथ-साथ मैं आपसे निवेदन करूंगा कि किसी अधिकारी की ईमानदारी और बेईमानी में बड़ा भारी अन्तर है। बेईमान और ईमानदार आदमी दोनों की ही काफी शोहरत हो जाती है। इसलिए जब किसी अधिकारी के खिलाफ बुरी शोहरत हो जाये तो कृपा कर के उसे मन्त्री जी दूसरी जगह भेज दिया करें। हमारे यहां तहसील में जो तहसीलदार और एस० डी० ओ० हैं जिनकी शोहरत बहुत खराब है जिनके खिलाफ बहुत शिकायतें हैं। उनको, यदि आप के अधिकार में हो, तो कहीं दूसरी जगह भेज दें जहां वे अपनी खूबी दिखायें।

श्री सुरजनराम विशारद (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

आलोचनायें तो बहुत हो चुकी हैं, मैं कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। जमींदारी प्रथा समाप्त हुई। वर्तमान सरकार का लक्ष्य समाजवाद है। अगर उस तरफ कदम बढ़ाया गया होता तो जमींदारी तोड़ने का जो उद्देश्य था कि दबे हुये लोगों को ऊपर लाया जाय वह पूरा हो गया होता।

जमींदारी टूटी कागज पर, जमींदारी खत्म हुई, लेकिन क्या जमींदारों का नुकसान हुआ, यह सभी लोग जानते हैं। आज भी सारी सम्पत्ति उनके पास है। इतना ही नहीं, पिछली बार कृषि मन्त्री जी ने कहा था कि २७ लाख एकड़ जमीन ऐसी है जो सरकार के कब्जे में है और वह भूमिहीनों में बंटनी चाहिये, लेकिन वह नहीं बंट पायी। वह किन के हाथों में धीरे-धीरे जा रही है यह सब इस विभाग के कागजों से मालूम हो सकता है। मैं उस तरफ न जाकर यह निवेदन करूंगा कि जिलों में जो अदालतें हैं उनका समय १० बजे से खुलने का है, लेकिन अमूमन ११ बजे से पहले कोई अदालत नहीं खुलती। हाकिम घंटे डेढ़ घंटे बैठते हैं और फिर लंच पर या कहां जाते हैं इसका हिसाब लेने वाला कोई नहीं है। फिर तीन बजे से पहले कोई नहीं बैठता। मुश्किल से ८ या १० मुकदमे हाकिम देखते हैं बकिया सैकड़ों गरीब किसान जो २०–२० और २५–२५ मील से आकर धूप में बैठे रहते हैं, उसका पैसा वकील, मुख्तार और पेशकार और जाने कहां-कहां चला जाता है और वह बेचारा अमरूद, ककड़ी और बेर खाकर बैठा रहता है, शाम को उससे कह दिया जाता है कि मुकदमे में तारीख बढ़ गयी। मैं माननीय मन्त्री जी से मांग करता हूं, इसमें किसी का नुकसान भी नहीं है कि मन्त्री जी ऐसा आदेश करें कि हर जिले के कलेक्टर या हाकिम परगना को कि वे पहले आकर तय कर लें कि उस दिन कितने मुकदमे लेंगे और जब बैठें तो एक नोटिस टांग दें कि इतने मुकदमे आज देखे जायेंगे और बकिया मुकदमे फलां-फलां तारीख को लिये जायेंगे तो बहुत अधिक कल्याण हो सकता है। मैं इसके लिए मांग करूंगा।

दूसरी चीज पार्ट होल्डिंग की है। यह हमारे गोरखपुर कमिश्नरी में हो रहा है और उससे हजारों किसानों का नुकसान हो रहा है। अगर किसी खेत पर १० नम्बर है और २ नम्बर विवादग्रस्त है, लेकिन उसको दसों नम्बरों पर दावा करना पड़ता है, जिससे किसान तबाह हो जाता है। मैं मांग करता हूं कि इसको समाप्त किया जाय और जो व्यवस्था पहले चल रही थी उसको लागू किया जाय।

तीसरे, जो चकबन्दी की धारा २७ है उसके अन्तिम क्लाज के अनुसार उसका मुकदमा चकबन्दी अधिकारी के हाथ में न देकर के सिविल कोर्ट के अधिकार में दे दें ताकि किसान को अपने मन के मुआफिक सिविल कोर्ट में जाकर न्याय मांगने का अधिकार हो। मैं अपने जिले आजमगढ़ का अनुभव बताता हूं कि जब चकबन्दी लागू हुई तो किसानों में हाहाकार मच गया कि चकबन्दी की फौज गरीबों को लूटने के लिए आ रही है। कुछ दिनों तक किसानों को लूटा गया। उसके दो कारण थे। पूर्वी जिलों में छोटे छोटे काश्तकारों की सारी जमीन छोटे छोटे टुकड़ों में बंटी हुई थी जमींदारों के जमाने से। जमींदारों ने पटवारियों से और लेखपालों से मिल करके बहुत सारे नम्बरों को अपने नाम करा लिया था, बहुत सारे नम्बर गलत दर्ज हुये थे।

दूसरी कठिनाई यह है कि चकबन्दी वालों घूस या रिश्वत नहीं मिलती है तो वह काम नहीं करते हैं। पहले कुछ ऐसे नातजुर्बेकार लोग चकबन्दी विभाग में रख लिये गये थे तो उनसे किसानों का और गरीब लोगों का घबराना स्वाभाविक था, लेकिन धीरे-धीरे जैसे जैसे चकबन्दी कर्मचारियों के अन्दर कुछ समझदारी आई, चकबन्दी के कायदे कानून मालूम हुये तो तैसे तैसे जो इस समय चकबन्दी का काम हो रहा है वह १० आने संतोषजनक है। चकबन्दी में भ्रष्टाचार के संबंध में हमारे साथियों ने जो बतलाया तो वह अपनी जगह पर सही है, लेकिन मैं आपके द्वारा माननीय सभा सचिव को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आजमगढ़ जाकर बहुत से कागजात को देखा और मैंने जो उनसे बहुत सारी शिकायतें की थीं, उनको बहुत ध्यान से देखकर काम किया, लेकिन आज भी २५, ३० गांव ऐसे हैं जहां पर हरिजन बसते हैं, उनके कुएं अपने चक में अलाट करा लिये गये हैं। जहानागंज में गोडसर एक गांव है। वहां का

[श्री सुरजनराम विशारद]

विक्रमा हरिजन का एक कुंवां था। उसको जमींदार ने अपने नाम पर दर्ज कराकर अपने नाम में अलाट करा लिया। इसी तरह से सलारपुर गांव का बृजलाल हरिजन का एक कुंआं था उसको खुदाबख्श ने अलाट करा लिया अपने चक में। लोगों ने मुझे बतलाया कि वह लेखपाल २० रुपया मांग रहा था कि रुपया दे दो तो तुम्हारे चक में कुंआं काट दें, लेकिन उसने नहीं दिया तो उसका कुंआं खुदाबख्श के चक में काट दिया गया। इसी तरह से बम्हौर गांव का एक हरिजनों का, कुंआं, जो बहुत पुराना था उसको भी उमराव के चक में काट दिया गया। इतना ही नहीं, भुजही गांव के तीन हरिजनों से फर्जी नाम में अंगूठा लगवाकर एस० ओ० सी० से फैसला करा लिया। इसी तरह से गोपालपुर के ए० सी० ओ० ने तीन हरिजन सरजू, सुकालू और मुकालू हरिजनों से उनके नाम पर जबरदस्ती इस्तीफा ले लिया। उसके संबंध में मंत्री जी को लिखा और उनसे मिला भी था लेकिन पता नहीं कि उसमें क्या हो रहा है। इसी तरह से सींया महुआ, पुसड़ा, मितूपुर और काशीपुर में चकबन्दी बन्द हो गई थी, लेकिन माननीय मंत्री जी ने वहां पर दोबारा चकबन्दी होने का आदेश दिया था, वह भी नहीं हो पा रहा है। वहां पर किसानों में लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं और बिना खेतों के किसान पड़े हुये हैं। मैं मंत्री जी से कहूंगा कि इन गांवों की जांच करें और जितना जल्दी हो सके चकबन्दी का काम समाप्त कराने की कृपा करें। मैंने खुद चकबन्दी कर्मचारियों से सहयोग किया है और बहुत से गांवों में, चकबन्दी अधिकारियों से मिलकर भी चकबन्दी का काम शुरू कराया था। उन गांवों के लोग चकबन्दी के लिये तैयार नहीं थे पर उनको समझा बुझाकर तैयार किया था।

एक बात यह जरूर कहना चाहता हूं कि सन् १९५२ से चकबन्दी सदर तहसील में हो रही है वह आज तक खत्म नहीं हुई है। सैकड़ों मुकदमें चल रहे हैं। मुहम्मदाबाद तहसील में जल्दबाजी से किसानों को परेशानी हो रही है, उनका पैसा खर्च हो रहा है, किसान तबाह हो रहा है। इसलिये मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक गांवों में चकबन्दी मुकम्मल न हो तब तक दूसरे गांव न लें। रिकार्ड आपरेशन्स में बहुत धान्धली हो रही है। जब रिकार्ड आपरेशन्स हो जायं तब नकशे बनायें जांय। गांव में बहुत बड़ी फौज को बुलाने की जरूरत नहीं है। एक नक्शा गांव में प्रकाशित करा दिया जाय और सब लोग उसको देख लें। नहीं तो १० एकड़ का चक है बाद में देखा तो ७ एकड़ ही निकला। ग्राम सलेमपुर, तहसील लालगंज के लेखपाल की शिकायत जिला अधिकारियों से की गई, और जांच करने पर उन्होंने डाइरेक्टर को लिखा। डाइरेक्टर ने उनका तबादला कर दिया, लेकिन मंत्री जी ने उसको रोक दिया। पार्टीबन्दी करता है, बलवा करा देना चाहता है, पड़ताल गलत करता है, रिशवत लेता है, लेकिन यहां से उसका ट्रांसफर रोका जा रहा है। यह बिलकुल सच है इसलिये वहां के अधिकारियों को शान्ति बनाये रखने के लिये उसके खिलाफ १०७ की कार्यवाही करनी पड़ी। इसलिये मेरा निवेदन है कि लेखपालों का ट्रांसफर हर तीसरे वर्ष कर ही देना चाहिये नहीं तो वह एक तबाही ला देंगे। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री जगवीरसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान प्रस्तुत है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज जब मंत्री जी अनुदान प्रस्तुत कर रहे थे तो मुझे बड़ी आशा थी कि वह कुछ बातें कहेंगे, लेकिन मंत्री जी ने एक सुलझे हुए खिलाड़ी की तरह अपनी बात कही और निकल गये। कोई नयी बात नहीं कही गयी। यह कहा कि किताबें बांट दी गयी हैं, महकमा काम कर रहा है, और मैं आपकी बातें सुनना चाहता हूं। मैं समझता था कि इस बार मंत्री जी को एलान करना चाहिये था कि इस वर्ष किसानों पर कोई नया कर या लगान नहीं बढ़ाया

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जायगा । इस वर्ष के बजट में १३, १४ करोड़ का घाटा दिखाया गया है इसलिये इस प्रकार के एलान की अत्याधिक आवश्यकता थी और यह एलान हमारी तरफ से पहले ही होना चाहिये था ।

उपाध्यक्ष महोदय, आज देखा जाता है और मेरे मित्रों ने इस संबंध में आंकड़े भी प्रस्तुत किये कि हमारे प्रदेश में और दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में किसानों को लगान अधिक देना पड़ता है । पंजाब के मुकाबले में तो दुगुना, ढाई गुना हमारे प्रदेश का किसान देता है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ आंकड़े आपकी सेवा में प्रस्तुत करना चाहता हूं । आज यह बात निर्विवाद है कि जहां जमीन की बात आती है वह बात देहात से संबंध रखती है । ज्यादातर जमीन का संबंध देहात के रहने वाले से है । १९४८-४९ को बेस ईयर मान कर अगर हम चलें और उस साल को हम १०० मानें तो उस समय उस साल के रहने वाले की आमदनी २८५ थी । १९६०-६१ में अगर गांव में रहने वाले की आमदनी १०० थी तो शहर वाले की ३३० थी । अगर पिछले १२ सालों का एवरेज निकाला जाय तो आप देखेंगे कि शहर की आमदनी ३४७ थी गांव वाले की १०० के मुकाबले में । मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं कि गांव में रहने वाले की आमदनी १८८.९७ थी १९४८.४९ में जो १९६०-६१ में २०२.६१ हो गयी और शहर में रहने वालों की आमदनी जो ५४७ रुपये थी वह बढ़ कर ६६९.२८ हो गयी । इस प्रकार गांव के रहने वाले की आमदनी पिछले १२ सालों में ज्यों की त्यों रही जब कि शहर में रहने वाले की आमदनी बढ़ गयी । मेरे इन आंकड़ों का मंशा यह है कि शहर के रहने वालों की आमदनी २० प्रतिशत बढ़ी है जब कि गांव के रहने वाले की आमदनी ज्यों की त्यों है । ५ वर्ष तो वह इस प्रकार से गयी है कि जो बेस ईयर की आमदनी थी उससे कम हुई है । इस बात को देखते हुये हमको निश्चित रूप से यह एलान करना चाहिये था कि कुछ भी हो, हम कहीं भी टैक्स लगायें, भले ही शहर के रहने वालों पर टैक्स लगायें या बकाया की वसूली का प्रबन्ध करें, लेकिन किसी भी हालत में हम इस प्रदेश के किसानों को छूने नहीं जा रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात की ओर और ध्यान दिलाना चाहता हूं । आज हमारे प्रदेश में १२ करोड़ एकड़ भूमि पर काश्त होती है । इसमें से लगभग ८० प्रतिशत ऐसी है जो अलाभकर जोत हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी उन अलाभकर जोत वालों को कोई सहूलियत देने जा रहे हैं या ज्यों के त्यों उनको रखने जा रहे हैं ? चौधरी चरण सिंह ने पहले इस सदन में कहा था कि हम चाहते हैं कि अलाभकर जोतों का लगान माफ किया जाय । मैं आपके द्वारा जानना चाहता हूं कि क्या वह समय आज आया है या नहीं आया है ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—

नहीं आया है ।

श्री जगवीरसिंह—

अगर नहीं आया है तो कितना इन्तजार हमको करना पड़ेगा उस समय को लाने के लिये ? उपाध्यक्ष महोदय मैं एल० के० झा कमेटी रिपोर्ट का एक सेंटेंस कहना चाहता हूं । वह प्राइस फिक्सेशन के लिये सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने बनायी थी और उन्होंने कहा है कि जब तक गांव के रहने वाले किसान की आमदनी नहीं बढ़ेगी उस वक्त तक हम ऐग्रिकल्चर पर कर नहीं बढ़ा सकते । अगर हमें प्रदेश की हालत सुधारनी है तो हमें गांव के रहने वाले किसान को प्रोत्साहन देना होगा और उसको विश्वास दिलाना होगा कि उसका लगान नहीं बढ़ेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि गांव की आमदनी ज्यों की त्यों रही और शहर की बढ़ गयी तो यह इस बात का परिचय है कि पिछले १२ वर्षों में हमारी प्लानिंग डिफेक्टिव रही है । हमने भूमिधरों से ४० करोड़ रुपया वसूल किया है, उनको वचन

[श्री जगवीरसिंह]

दिया है कि उनका लगान नहीं बढ़ायेंगे । आज प्रजातंत्र के जमाने में सरकार को अपने वचन की कीमत करनी चाहिये । मैं जानता हूं कि शायद उनकी ऐसी मंशा नहीं है कि लगान बढ़ाया जाय, लेकिन मैं चाहता हूं कि ठाकुर साहब अपनी जवाबी स्पीच में जरूर आश्वासन देंगे इस बात का और मैं यही सेंटेंस सुनना चाहता था .....

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सुन लीजियेगा, आखिर में बता दूंगा ।

श्री जगवीरसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस मुहकमे की बात है तो मैं ठाकुर साहब को बधाई देता हूं कि अगर आजादी के आने के बाद किसी भी मुहकमे ने कोई भलाई का काम किसान के लिये किया है तो वह यही मुहकमा है । चाहे चकबन्दी का हो, या लगान की सीलिंग का हो या जमींदारी का खात्मा हो, ये इस प्रकार की चीजें हैं जिनका श्रेय ठाकुर साहब और उनके मुहकमे को जाता है । यहां पर ठाकुर साहब को एक और विशेष श्रेय ठाकुर साहब और उनके मुहकमे को जाता है कि ये तीनों काम जिस समय हुए हैं वह ठाकुर साहब के पास ही मुहकमा रहा है ।

मैं चकबन्दी की बाबत दो तीन बातें कहना चाहता हूं । उसमें कहा गया है कि बहुत करप्शन है—नीचे से ऊपर तक करप्शन है । मेरा विश्वास है कि करप्शन है, लेकिन नीचे से ऊपर तक नहीं है, वह कंसालिडेटर और ए० सी० ओ० स्टेज तक है । ऊपर वालों का एक तरीका यह है कि वह उनको बचाने के लिये काफी कोशिश करते हैं । उपाध्यक्ष जी, मैं देखता हूं कि ए० सी० ओ० और एस० ओ० सी० का ऐसा तरीका है और मैं मिसाल पेश कर सकता हूं । एक साहब पर इसलिये मुकदमा चलाया गया कि वह एक सी० ओ० से यह शिकायत करने कोर्ट में चले गये कि आपका पटवारी मुझसे रिश्वत लेना चाहता था । मैं ठाकुर साहब से कहना चाहता हूं कि उनको घोड़े की लगाम को कसना होगा जिससे यह घोड़ा तेज न दौड़ने पाये । (व्यवधान) वह कहते हैं कि लगाम बहुत सख्त है, लेकिन मैं कहता हूं कि इस सख्ती के बावजूद ठाकुर साहब का करप्शन का घोड़ा इतनी तेजी से दौड़ रहा है, कंसालिडेशन के मुहकमे में, जितना और किसी मुहकमे में नहीं दौड़ता । अगर सख्ती के माने यही हैं तो मुझे अफसोस होता है कि ऐसी भी क्या सख्ती । अगर यही हालत है सख्ती में तो अगर कहीं बागडोर ढीली हो गयी तो न मालूम क्या हाल होगा । मैं समझता हूं कि ठाकुर साहब को सख्ती के साथ इस तरफ कदम उठाना चाहिये ।

एक बात और कहना चाहता हूं । जिस समय चकबन्दी होती है उस समय यह ध्यान नहीं दिया जाता कि नाली पानी देने के कहां पर बनेगी । जब चकबन्दी हो जाती है तो यह समस्या उठ खड़ी होती है कि नाली किसके खेत से निकाली जाय और उसमें झगड़े उठ खड़े होते हैं । तो माननीय मंत्री जी को इसके लिये कोई तरीका निकालना चाहिये । मैं समझता हूं कि जिस समय चकबन्दी समाप्त की जाय उसी समय यह तय होना चाहिये कि नाली फलां जगह से निकाली जायेगी । इससे जो झगड़ा फिसाद हो जाता है वह नहीं हो पायेगा ।

*श्री गिरवरप्रसाद (जिला एटा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । हमारे प्रदेश में ७५ फीसदी लोग काश्तकार हैं । जब यह कांग्रेस सरकार आयी थी तो इसने यह वायदा किया था कि हम काश्तकारों की सहायता करेंगे, उनको सुविधायें पहुंचायेंगे । मैंने देखा कि जमींदारी खत्म होने के बाद से आज तक मालगुजारी तिगुने से अधिक हो गयी है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

और काश्तकार की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है । जैसे ही जमींदारी खत्म हुई, सरकार ने जमींदारी खात्मा ऐक्ट की तहत में सबसे पहले यह कानून बनाया कि जो १० गुना लगान का जमा करेगा वह भूमिधर हो जायेगा—यानी एक प्रलोभन उनको दिया गया और तहसीलदारों के जरिये जबरदस्ती लोगों से दस गुना जमा कराया गया । मगर काश्तकारों को कोई उससे लाभ नहीं हुआ ।

दूसरा कानून उसी के तहत में आपने यह भी बनाया, १३५६ फसली में, कि जो एक साल का काबिज होगा वह काश्तकार हो जायेगा, सीरदार हो जायेगा । इससे काश्तकारों को बड़ी परेशानी हुई । सक्सेशन का जो कानून आपने बनाया जिसके अन्तर्गत कभी आपने डाटर को हक दे दिया, कभी ब्रदर को दे दिया, कभी अनमैरिड व्यक्ति को दे दिया, नतीजा यह हुआ कि आपस में तमाम झगड़े पैदा होते चले गये और काश्तकार बराबर खत्म होता चला गया ।

चकबन्दी ऐक्ट में आपने यह रखा कि जिसकी मूल भूमि जहां पर होगी वहीं पर उसका चक बनाया जायेगा । मगर ऐसा हुआ नहीं, हुआ । इसके खिलाफ उसके खेत के इधर उधर उसका चक बना दिया गया जिससे काश्तकारों को बड़ी परेशानी हुई । सैकड़ों दरख्वास्तें मैंने विभाग को दीं, मगर कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

इसके अलावा काश्तकारों से मालगुजारी जो अमीन वसूल करते हैं उनको मुकर्रर करते वक्त घपला किया जाता है । जो लोग २००–२०० रुपये रिश्वत के दे देते हैं उनको अमीन की जगह पर रख लिया जाता है, वे पढ़े-लिखे तक नहीं होते हैं । सरकार से इसकी भी मैंने शिकायतें कीं, मगर आज तक पता नहीं चला कि सरकार ने क्या कार्यवाही की । यह लोग काश्तकारों से अगर १८० रुपये वसूल करते हैं, तो करते क्या है रसीद देते वक्त, सिफर को एक से पहले लिख देते हैं और १८० के स्थान पर १८ रुपये की ही रसीद देते हैं । ऐसे केसेज हुये हैं, किन्तु आज तक न तो उनको पुलिस पकड़ पायी, न कोई मुकदमा ही चलाया गया । दूसरी बात यह कि जब अमीन रुपया वसूल करने के लिये लिये जाते हैं तो इस तरह जाते हैं जैसे किसी के खिलाफ वारन्ट ईशू हुआ हो और उनसे एक रुपया १२ आना के हिसाब से तलबाना भी वसूल करते हैं, मालगुजारी के साथ-साथ । मेरी प्रार्थना यह है कि सरकार इस प्रासेस को खत्म करे क्योंकि अमीन जो हैं वह वसूली के लिये रखे जाते हैं । वारन्ट वगैरह का काम दूकानदारी का प्रासेस नहीं है । इसके अलावा अमीन को इतने आदेश दे दिये गये हैं उनसे लगान भी ले आते हैं और हवालात में भी बन्द कर देते हैं । काश्तकार को अन्नदाता कहा गया था । बड़े-बड़े मिल मालिकों और धनपतियों पर जो कर का बकाया सालों चलता रहता है और वसूल नहीं हो पाता है । सरकार को कम से कम काश्तकारों के साथ इतनी ही रियायत करे कि अगर वह एक फसल में अपना लगान अदा नहीं पर पाता तो वह अपनी दूसरी फसल में ही उसे अदा कर सके । सरकार ने काश्तकार को मालदार करने का वायदा किया था, लेकिन काश्तकार के लिये इतनी उलझनें लगा दी गई हैं पंचायतराज कायम करके कि एक सरपंच पांच सौ रुपया तक डिग्री करने में वसूल कर लेता है जितनी कि मुन्सिफ भी दस्तावेजों पर नहीं कर पाता था ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

यह पंचायत राज की ग्रान्ट नहीं है ।

श्री गिरवरप्रसाद—

मैं करप्शन बता रहा हूं । एक बात मेरे जहन में यह है कि सरकार ने जो चकबन्दी कानून बनाया और १९५९ में वेट्स एण्ड मेजर्स का जो कानून बना उसमें कहीं कड़ी और जरीब का जिक्र नहीं है । सरकार ने जो पैमायश कराई है वह कड़ी और जरीब के जरिये से कराई

[श्री गिरिवर प्रसाद]

है (जब वे मेजरमेन्ट बने) जो मेजरमेन्ट हुए हैं वे किसी कानून और नाप के अधीन होते हैं। जब कि वेट्स और मेजर्स का कानून बना नहीं। दूसरी बात यह है कि सरकार ने काश्तकारों को मारने का एक कानून बनाया है। अंग्रेजी जमाने में काश्तकारों की जमीन नीलाम नहीं होती थी। उसको सुविधा थी कि चाहे किसी साहूकार और लाला का कर्जा हो वह जमीन नीलाम नहीं कर सकते थे। दस गुना लगान लेने की बात कही कि हम मालिक हो जायेंगे, लेकिन उसकी जमीन को इस काबिल बना दिया कि वे कुर्क कर सकते हैं नीलाम कर सकते हैं और वे भूमि बेच भी सकते हैं। एक काश्तकार भूमि बेचने वाले का क्या स्टैन्ड रहेगा? सरकार यह बताये कि क्या उसने काश्तकार के साथ नफा या नुकसान किया है? सरकार कानून के अन्दर इस अधिकार को बनाये कि काश्तकार की जमीन को कोई नीलाम नहीं कर सकेगा।

इसके अलावा सरकार ने जो अधिवासी का कानून बनाया है उसके अन्दर अगर काश्तकार सीरदार को लगान देता रहे तो उसको छः वर्ष का लगान देना पड़े। यह दूकानदारी भी सरकार की अनियमित है। अमीन के ऊपर जो नायब तहसीलदार थे सरकार ने उनके अधिकार कलेक्शन अमीनों को दे दिये थे। कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले के अधिकार भी चकबन्दी अफसर को दे दिये। मैंने यह प्रश्न भी किया था कि आपके यहां कितने ला ग्रैजुएट्स हैं तो पता चला था कि २३ अधिकारी ऐसे हैं जो ला ग्रेजुएट्स हैं। कानून बनाये अवश्य हैं परन्तु उनमें संशोधन करिए। मुंसिफ आदि का भी एक एक दो दो मुकदमों का कोटा है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि एक एक सी० ओ० ३५ मुकदमों का कोटा बतलाते हैं। और उनके मुकदमें फैसल करने का यह नियम है कि एक जगह एक पेशकार लिख रहा है तो दूसरी जगह दूसरा पेशकार लिख रहा है और सी० ओ० साहब पड़ताल कर रहे हैं गांवों में। इस तरह से काश्तकारों को उनके साथ भुगतने के लिए डाल दिया गया है जैसे बकरे को जिबह किया जाता है। यह काश्तकार के लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। काश्तकार के बड़े-बड़े मुकदमे, दीवानी के और बोर्ड आफ रेवेन्यू के मुकदमे थे, उनका कुछ भी लिहाज न करके सरकार ने उसको जिबा करने के लिए उनके सामने डाल दिया है। कोई सुनवाई उनकी नहीं है। रोज लखनऊ के अन्दर भागे आते हैं, क्या किया जाय, कानून ही आपने ऐसा बना दिया है। सरकार इसको फिर से रिवाइज करे। चकबन्दी के ऊपर बड़े भारी प्रदर्शन हुए हैं और इस चकबन्दी से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है। सरकार कम से कम इतना तो कर दे कि जो न चाहता हो, उनकी चकबन्दी न करे।

श्री कल्याण राय (जिला रामपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। रामपुर की कुछ कठिनाइयां मैं मंत्री जी के सामने आपके द्वारा रखना चाहता हूं। रामपुर बहुत ही बैकवर्ड इलाका है और वहां की जनता बहुत ही गरीब है। रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से तो मैं बहुतेरा कहता हूं कि चलिए एक बार चलकर उसे देखिए कि कितनी गरीबी वहां है। सिवाय फूस के मकान के और कोई अच्छे घर आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे। कुछ हम लोगों के मकान तो आपको देखने को मिल जायेंगे, लेकिन वह भी इस वजह से है कि हम लोग पुराने जमींदार रहे हैं और आज भी ईश्वर की कृपा से कुछ खेतीबाड़ी है। इसलिए हमारे पास तो है, लेकिन आम किसान वहां का बहुत ही गरीब है। हमारे बराबर में ६ रुपये एकड़ लगान है जबकि हमारे यहां १७ और १८ रुपये एकड़ का लगान चला आ रहा है। आप देखें, बरेली, कितना बड़ा जिला है वहां का कुल लगान ४२ लाख रुपया है और हमारे यहां ४३ लाख रुपये की रेवेन्यू है, जबकि रामपुर एक बहुत ही छोटा सा जिला है लेकिन मंत्री जी को कभी रहम नहीं आती, हमारी सरकार को रहम नहीं आती। मैं कहता हूं कि आज हम हैं कल हो सकता है न रहें। जो काम कर जायेंगे, वह होकर रहेगा। तो हम तो बहुत परेशान हैं।

वहां की जनता बेहद गरीब है। मगर मंत्री जी कुछ ध्यान ही नहीं करते। पचास साठ लोगों के दस्तखत करवा के दरख्वास्त भी दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, वही लगान जो स्टेट के समय था, वही चला आ रहा है। इस तरह किसान कब तक जिंदा रहेगा और कब तक आपको जिंदा रखेगा? आज के दिन तो हर बच्चा सोचता है कि हमें कुछ राहत मिले। तो मंत्री जी को इस बारे में कुछ करना चाहिए। पन्त जी के जमाने में यह मसला उठा था। ऐसे ही पेड़ों के बाबत है... (व्यवधान)...देखिए सेटिलमेंट में ले जायेंगे तो उसमें तो काश्तकार का लगान और बढ़ सकता है क्योंकि आज के भाव कुछ और हैं और पहले के कुछ और थे। हमारे यहां के कलेक्टर साहब आज रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं, उनको सुझाव देना चाहिए। सेटिलमेंट से यह नहीं हो सकता। अगर सरकार इजाजत दे तो मैं कोई गैरसरकारी बिल या प्रस्ताव इसके लिए ले आने को तैयार हूं जिससे किसान को कुछ राहत मिले। हम हमेशा जिंदा नहीं रहेंगे, न हमेशा एम० एल० ए० रहेंगे, जब तक हैं कुछ कर जायेंगे तो अच्छा रहेगा। पन्त जी मर गए, जवाहर लाल भी मर गए, उनको आखिर दुनिया क्यों रोती है? उनके कामों को याद करके रोती है। हर इंसान, हर इंसान के लिए रोता है। जो कुछ इंसान कर जायगा, अपने जमाने में, वह कर जायगा, सरकार किसी की जागीर नहीं है बल्कि हम सबकी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि रामपुर की जनता पर आप रहम कीजिए, वहां की जनता परेशान है। यह दूसरी बात है कि किसी गांव में एकाध पक्के मकान हों पहले तो स्टेट के जमाने में काफी लूटघसोट थी लेकिन वह फर्क आज भी नहीं है जो दो राज्यों के बीच होना चाहिए। नैनीताल में कुछ लगान है, बरेली में कुछ, मुरादाबाद में कुछ, नैनीताल में रुपया तीन एकड़ है जब कि हमारे यहां १८ रुपया एकड़ है। मैं चाहता हूं कि जो बरेली का रेट है, वही रेट हमारे यहां कर दिया जाय।

सरकार मालगुजारी वसूल करने के लिए लाखों रुपया खर्च करती है। मैं कहता हूं, क्यों नहीं आप इस काम को ग्राम सभा के प्रधानों को दे देते हैं। वह आपको वसूल करके देंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी, तथा जो रुपया बचेगा, वह निर्माण के दूसरे कामों में खर्च होगा। इसलिए अगर वसूलयाबी ग्रामसभाएं करें, तो अच्छा करें, तो अच्छा रहेगा।

माननीय सदस्यों ने कहा कि अफसर लोग रिश्वत लेते हैं। मैं मानता हूं कि ऐसा होता है, लेकिन इसमें कमी हमारी और आपकी है। हम लोग जनता में इस बात का प्रचार करें कि कोई रिश्वत न दे। देखें, फिर कैसे किसी के रिश्वत लेने की जुर्रत हो सकती है। व्यवहार में सभी बुरे आदमी नहीं हैं, कुछ अच्छे भी हैं; फिर भी जो खामियां हैं, उनका दूर करने में, हम और आप बहुत हद तक हाथ बटा सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

श्री सहदेवसिंह (जिला इटावा)—

श्रीमन्, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में भूमि व्यवस्था और लगान मुख्य बात रही है और इसी को लेकर के गांवों में किसानों को राष्ट्रीय आंदोलन में लाया जा सकता, जिसकी ओर वे बड़ी उत्सुकता से बढ़े। लेकिन जब से देश स्वतंत्र हुआ तब से बराबर यह देखा जा रहा है कि अधूरे मन से, बल्कि बेमन से छोटे मोटे सुधार किए गये, जिनके कारण लाभ के स्थान पर किसानों को बड़ा नुकसान हुआ। शुरू-शुरू में यह वायदा किया गया कि जब जमींदारी खत्म हो जायगी, तो मालगुजारी आधी कर दी जायगी, लेकिन सरकार अपने उस वायदे को पूरा न कर सकी और बजाय मालगुजारी आधा करने के दुगुनी कर दी। इसी तरह से अलाभाकर जोतों से लगान हटाने की बात १९२८ से कांग्रेस कहती आ रही है। प्लानिंग कमीशन ने भी सिफारिश की है। सभी लोग मानते हैं कि यह उचित और न्यायपूर्ण है लेकिन अलाभकर जोतों से मालगुजारी हटाने के लिए कोई भी कदम सरकार ने उठा सकी। आश्चर्य तो यह है कि कर निर्धारण की जो बुनियादी नीति किसान के लिए है, वह भी अन्य लोगों से भिन्न है। एक तरफ आप कहते हैं कि किसान जमीन का मालिक है, लेकिन फिर भी सरकार जो लगान वसूल करती है, वह इस

[श्री सहदेवसिंह]

तरह से करती है कि मानो जमीन सरकार की हो और किसान किराये के रूप में लगान अदा करता है। कर का बुनियादी उसूल यह होता है कि जो आमदनी हो, उसका १ हिस्सा सरकार ले। अपने देश में भी किसान को छोड़कर सबके संबंध में यही नियम लागू है। ४,००० रु० तक की आमदनी वालों से यह कर नहीं लिया जाता। एम० एल०ए० को ३०० रु० मिलते हैं, लेकिन उससे भी कर नहीं लिया गया। पर किसान के लिए दूसरा कानून है। वह जमीन में बीज, खाद, डाले और कुछ भी पैदा न हो, तब भी उससे सरकार लगान लेगी। बजाज के खाते को देखकर सरकार टैक्स लेती है, लेकिन किसी के साथ यह नहीं देखा जाता कि उसके खेत में चाहे कुछ पैदा हो या न हो, उससे जबरदस्ती लगान वसूल कर लिया जाता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आमदनी के आधार पर ही टैक्स लगना चाहिए, जिस प्रकार देश के अन्य वर्गों पर लगता है। जिन किसानों की आमदनी ४,००० रु० वार्षिक से कम है, उनसे कोई लगान न लिया जाय और जिनकी ४ हजार से ऊपर आमदनी है, उनसे उसी प्रकार टैक्स लिया जाय, जैसे अन्य वर्गों से लिया जाता है।

चकबन्दी का कानून बना, सीलिंग का कानून बना, लेकिन परिणामस्वरूप खेती के मामलों में एक ऐसी अराजकता व्याप्त हो गई, कृषि के मामले में कि जब तक एक कानून से कादमी जानकार हो पाता है, उसके अनुसार अपने अधिकारों की मांग करता है, तब तक दूसरा कानून आ जाता है। दफा ७१ का लोगों का तजुर्बा है कि वह कितनी बार बदली। असेंबली में भी कहा गया कि जो भूमि हीन हैं, जो दूसरों की जमीन जोतते हैं, उन पर लगान नहीं लगेगा। लेकिन अमल में क्या हुआ। जो शिकमी थे, जब अधिवासी बनाये गये, तो उनका सरकिल रेट से भी दुगना लगान कर दिया गया, जिससे उनकी माली हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। जमींदारी खात्मे के बाद ग्राम समाज को भूमि संबंधी जो अधिकार दिये गये, ग्राम समाज मैनुएल बनाई गई और उसमें कहा गया कि जमीन पहले भूमिहीनों को दी जाय, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि सारे प्रदेश के अगर आंकड़े इकट्ठे किये जायं, तो ९० फीसदी ग्राम समाज के हिस्से की उन लोगों के पास है, जिनके पास पहले से बड़ी-बड़ी जोतें थी, हमारे यहां एक सज्जन १५ साल से प्रधान हैं, उन्होंने अपनी पुरानी जमीन बेच दी, और गांव समाज से नया पट्टा ले लिया। फिर उसको बेच दिया और फिर नया पट्टा ले लिया। इस तरह से लगभग १५ साल में उन्होंने लगभग ६० हजार रुपये की जमीन बेच दी। इस संबंध में शिकायतें हुईं, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण सब के सब जहां की तहां दब गई। आपके हाथ में शक्ति है, कानून है, फिर क्या बात है कि भूमिहीनों को भूमि नहीं मिलती है? सभी गांव समाजों में इस तरह की बात चल रही है। जो जमीन वाले हैं उनको और जमीन दे दी जाती है और जो भूमिहीन हैं उनको जमीन मिल नहीं पाती है।

सेंट्रल गवर्नमेंट से यह निर्णय हुआ था कि रेलवे लाइन के आसपास बहुत सी जो जमीन पड़ी है, इस अन्न की कमी के जमाने में वह खेती के लिए उठा दी जाय। लेकिन अपने सूबे की सरकार ने और माननीय मंत्री जी ने इसके बारे में कोई कदम नहीं उठाया। राज्य सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट से इस बारे में लिखा पढ़ी करनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास साधारण जनता तो जा नहीं सकती है। अगर सरकार ऐसा करती तो जो जमीन बेकार बड़ी हुई है वह काम आ जाती और अन्न का उत्पादन भी बढ़ जाता।

नदियों के द्वारा गांवों की हजारों लाखों एकड़ जमीन हर साल बरबाद हो जाती है और बहुत से लोग विस्थापित हो जाते हैं। उन लोगों को राज्य सरकार ने दूसरी जमीन देने के बारे में कोई उपाय नहीं किया। हम यह मानते हैं कि राज्य सरकार के साधन सीमित हैं लेकिन कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट से तो इसके लिए कहना चाहिए था और उनसे इस बारे में सहायता मांगनी चाहिए। कितने लोगों के मकान नष्ट हो जाते हैं और सरकार उनको २०-२५ रुपया सहायता देती है और इस प्रकार से उन लोगों की गरीबी का मजाक उड़ाती है।

अभी चकबन्दी के संबंध में बहुत सी बातें कही गयीं और नालियों के संबंध में भी कही गयीं। लेकिन मैं आपको एक आश्चर्य की बात बताना चाहता हूं। इटावा जिले की देव रसई भर्थना में द्वारासही एक गांव है। उसमें चकबन्दी अधिकारी गये। लेकिन चूंकि चकबन्दी की तहसील के नाम से लोग भड़के हुए थे इसलिए वहां के गांव वालों ने कह दिया कि हम अपने गांव में चकबन्दी नहीं करायेंगे। वे कर्मचारी लौट गये। तीन साल तक उस गांव में फिर कोई नहीं गया। इसके बाद वहां न तो कोई नोटिस ही जारी किया गया और न कोई पड़ताल ही हुई, न कोई पर्चा बांटा गया दफा १ से लेकर ५२ तक का। लेकिन तीन साल के बाद देखा क्या गया कि दफा ५२ का प्रकाशन एक दिन कर दिया गया और लोगों पर चकबन्दी टैक्स लगा दिया गया। जब यह खबर गांव में पहुंची तो लोग बहुत परेशान हुए, बड़ी दौड़ धूप न्याय के लिए की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला जब खतौनी देखी गयी तो मालूम हुआ कि १५० बीघा जमीन बाहर के ऐसे आदमियों के नाम लिख दी गयी है जो ए० सी०ओ० के दलाल थे। उस गांव से १५ मील दूर रहने वाले केदारनाथ के नाम कदाचित् ५० बीघा लिखी गयी यह दूसरी गांव सभा के ही रहने वाले हैं और उस गांव में उनके बाप दादा की भी कोई जमीन न थी और अब भी उस जमीन को गांव के दूसरे ही लोग जोतते हैं, लेकिन सरकारी कागजात में वह जमीन उनके नाम में चढ़ी हुई है, जिनका उस गांव से कोई वास्ता नहीं है। जो जिन्स-वार भरी जाती है वह भी उनके ही नाम से भरी जाती है और जो मौके पर जोतते हैं उनके नाम से नहीं भरी जा रही है। खतौनी में लोगों से रिश्वत लेकर उनके नाम भर दिए गये हैं। मैंने माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाया था और दरख्वास्तें भी दी थीं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

एन्क्वायरी करायी गयी और यह बात निराधार पायी गयी।

श्री सहदेवसिंह—

मैं माननीय मंत्रीजी को इस बात के लिए आमंत्रित करता हूं कि वे समय निकाल कर मेरे साथ चलें या किसी अपने विश्वस्त प्रतिष्ठित आदमी को मेरे साथ भेज कर और इसकी जांच करायें। रत्तीभर भी बात गलत निकल आये तो मैं विधान सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

बजट खत्म हो जाय तब चलेंगे।

श्री सहदेवसिंह—

जब तक आप स्वयं नहीं जायेंगे तब तक स्थिति का सही ज्ञान आपको नहीं हो सकता है। लोग कह सकते हैं कि यह असंभव है और मंत्री जी ने भी कहा कि यह निराधार है। आपने जो जांच करायी है वह इन्हीं सी० ओ० और एस० ओ० सी० क द्वारा करायी है जिन्होंने यह बदमाशी की थी। भला वे अपनी गलती को किसी प्रकार कह सकते थे? ऐसा नहीं है कि पूरे चकबन्दी के कागजात में देवरासई गांव के एक आदमी के भी दस्तखत नहीं मिल सकते हैं। और सब ऐसे व्यक्ति के नाम जमीन का इन्द्राज कर दिया गया, जो न कभी धरती पर हुआ और न होगा। जो आश्वासन मंत्री जी ने दिया है कि बजट सेशन के बाद वह चलेंगे मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं और मुझे आशा है कि आप इस आश्वासन को अवश्य पूरा करेंगे और इस तरह से वहां की सारी स्थिति प्रत्यक्ष देखकर ठीक करेंगे...

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त।

श्री सहदेवसिंह—

केवल एक बात और कहूंगा और वह यह है कि जितने भी माल विभाग के कर्मचारी हैं सब को तरक्की का मौका है, लेकिन असिस्टेंट रजिस्टार कानूनगो और रजिस्टार कानूनगो ऐसे लोग हैं जिनके लिए कोई तरक्की का मौका नहीं है और उनको ये रिवीजन की भी कोई सुविधा नहीं है जिससे उन को पदोन्नति हो सके। अतएव मैं प्रार्थना करूंगा कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार कानूनगो और रजिस्ट्रार कानूनगो के स्टेटस को देखें और सोचें कि किस तरह से वे और लोगों के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इन शब्दों के साथ जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

एक सदस्य—

श्रीमन्, मेरा नाम रोज लिस्ट में जाता है और रोज कट जाता है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप अपनी पार्टीवालों से कहिए।

श्री सुखरामदास (जिला फजाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मुझे अवसर प्रदान किया। साथ ही मैं अपने माल मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं क्योंकि वह बहुत दिनों से इस सरकार में रहते आये हैं खास तौर से जब जनहित के विशेष कार्य इस सरकार द्वारा सम्पन्न हुए तो वे आपके ही द्वारा हुए। आपके माध्यम से उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा कि यह एक ऐसा विभाग है जिसका संबंध गांव और शहरों के बहु-संख्यक लोगों से है और यह मानी हुई बात है कि जिस विभाग से लोगों का अधिक लगाव होगा वहां कुछ न कुछ शिकायत और भ्रष्टाचार हो सकता है। (व्यवधान)..

मंत्री जी ने बहुत से कार्य किये हैं, लेकिन एक चीज की तरफ मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा कि लेखपाल से गरीब अमीर तक सब गांव के लोगों का लगाव रहता है। मान्यवर, इस वक्त गांव की तरक्की के लिए, वहां से भुखमरी मिटाने के लिए, वहां की पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार ने जो क्रेश प्रोग्राम बनाये हैं उसके अनुदान के लिए जब फार्म भरे जाते हैं और उस पर तसदीक कराई जाती है तो लेखपाल मुश्किल से मिलते हैं। जैसा कि मंत्रीजी ने खाना कैफियत के इन्दराज को खतम करा दिया उसी तरह से अगर वह उन फार्मों के तसदीक करने का भी कोई सरल साधन निकाल दें तो अच्छा होगा। उसके लिए मेरा सुझाव है कि गांव सभाओं में हर किसान को एक पास बुक दी जाय जिसमें उनकी हैसियत दर्ज हो। उससे किसानों की बड़ी बचत होगी, एक तो खाते में कोई इन्दराज न हो सकेगा और कोई शिकायत होगी तो पासबुक में इन्दराज देखा जा सकता है।

चकबन्दी की गई किसानों के आराम के लिए और अवश्य ही जहां वह हुई है उससे आराम हुआ भी है लेकिन साथ ही अभी बहुत से माननीय सदस्यों ने जैसा कहा कि फार्म २५ बट जाता है और लोगों को उसकी जानकारी हो जाती है लेकिन जब धारा ५२ का प्रकाशन होता है तो उसका किसी को पता नहीं चलता और किसान समझते हैं कि फार्म २५ में जो खेत थे वही मिल गये लेकिन प्रकाशन के बाद जो चक उन को मिलने हैं उसका उनको पता ही नहीं होता, उनको दूसरे चक मिल जाते हैं, किसी को कम और किसी को ज्यादा चक दिए जाते हैं। इससे किसानों को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है।

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि तहसीलों में जो दाखिल खारिज के मुकदमें हैं वे २–२ साल चलाये जाते हैं। मैं विशेष रूप से अपने जिले की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं

कि किस तरह से टांडा तहसील में जो रुपया लिया जाता है। रजिस्ट्री विभाग में जब प्रार्थना-पत्र दिया जाता है तो २ रुपया प्रति सैकड़ा लिया जाता है। २ रुपया दाखिल खारिज में लिया जाता है, तब वे दरख्वास्त लेते हैं। विवादग्रस्त भूमि पर काश्तकार के पास कानूनगो को भेजा जाता है जो कि मनमाने ढंग से किसानों से रुपया ऐंठता है। किसान चाहे अपना सामान या अपने जेवर गिरवी रखे पर इनको दे, उसे देना पड़ता है। इन कानूनगो का इस तहसील से ट्रांसफर भी हुआ, लेकिन वहां के तहसीलदार ने इनको, जिनका नाम सिद्धलाल है, वहां पर बुलाया ताकि रुपया इकट्ठा करके तहसीलदार साहब को देता रहे और हिस्से बराबर बंटते रहें। तो इस तरह से भ्रष्टाचार चलता है। दूसरे ये जो तहसीलदार साहब हैं वे फैजाबाद में अपना मकान बनवा रहे हैं। उनके जो चपरासी हैं, वे सब वहां पर काम करा रहे हैं।

दूसरे फैजाबाद के एक एस० ओ० सी० हैं, जिनके बारे में मैंने इस विधान सभा में भी सवाल उठाये, पर उनका वहां से तबादला नहीं हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठिए, आपका समय समाप्त हो गया है।

*श्री चन्दनसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। अपने बुजुर्ग माननीय मंत्री जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं और बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि मैं यहां पर १९६२ में आया हूं और मेरे कान बहरे हो गये हैं काश्तकारों की बातें सुन-सुन कर। उनकी दशा को देख-देख कर मेरी बीनायी भी कमजोर हो गयी है और मुझे चश्मा भी लेना पड़ा है।

एक दफा मैंने एक क्वैश्चन किया था कि साहब आपकी मैनुअल बहुत पुरानी हो गयी है उसको बदल दिया जाय। जहां पर फ्लड आता है तो मिनाही देते हैं टोटल होल्डिंग पर। मैं अपने बुजुर्गवार मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे अपनी मैनुअल में संशोधन करें और जहां पर फ्लड आता है वहां पर टोटल होल्डिंग को न लेकर जिस खेत में नुकसान हुआ हो उसी पर मिनाही हो।

दूसरी बात मुझे सीलिंग के बारे में कहनी है। जब सीमा निर्धारित कर दी गयी, तो फिर उस पर एग्रीकल्चर टैक्स लगाया जाय, यह बिलकुल नहीं होना चाहिए था। और अगर करते हैं, तो फिर सब के जबड़े खोल दो यानी कोई सीमा निर्धारित न की जाय। एक मेरे बाबा थे ११० साल के। वे कहा करते थे कि खेती में क्या रखा है, नौकरी कर लो। हम कहा करते थे कि हम और क्या करें, यही गुजर बसर का सहारा है। इसी में हमारी उम्र गुजर गयी है। जो कुछ निकलेगा वह कृषि से निकलेगा। कोई मांग होती है तो सरकार का कहना यही है चलो कृषि की ओर। मेरा अब यह कहना है कि कृषि को छोड़कर अब किसी और तरफ जाइये, रेल की तरफ या बस की तरफ जाइये, जितना लगान गांव का वसूल हो उसका एक चौथाई माल विभाग एजूकेशन पर खर्च करे और १० प्रतिशत रोड्स पर खर्च करे। यह भी प्राविजन किया गया है कि जो प्रधान ग्राम पंचायत जंगल की जमीन या शहराई जमीन फरोक्त करेगा उसमें से कुछ हिस्सा तहसील में दाखिल होगा, तो यह अच्छी बात नहीं है। लगान जो है उसका वही पुराना सिस्टम है उसको बदलना चाहिये। मैनुअल भी पुराना है उसको भी बदलना चाहिये। कहीं दरिया में एक काला काला एक आदमी ने देखा। वह बोला कम्बल होगा। दूसरा आदमी घुस गया। उसने देखा कि भालू है और भालू ने उसे पकड़ लिया। ऊपर के लोगों

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्दनसिंह]

ने कहा कि ज्यादा उलझ रहा है तो छोड़ कर चला आ। उसने कहा कि मैं तो इसे छोड़ दूं, लेकिन यह नहीं छोड़ता। हम तो खेती को छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन कुछ और कर नहीं सकते। इसी पर गुजर बसर करते हैं। इसलिये मंत्री जी काश्तकार को हर मुमकिन राहत दें।

*श्री रामलखनसिंह (जिला बस्ती)—

उपाध्यक्ष महोदय, इस अनुदान का सम्बन्ध किसानों से है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और इस प्रदेश की ७५ फी सदी जनता खेती पर निर्भर है। इस विभाग के जरिये ही किसानों को हर प्रकार की सुविधायें मिलती हैं। यह बिभाग किसानों से सिर्फ लगान लेता है, लेकिन जब ओला पड़े, बाढ़ आये, आग लग जाय, सूखा पड़े या जो भी मुसीबत आये तो यही विभाग किसानों की मदद करता है।

चकबन्दी का जो कार्यक्रम चल रहा है। शुरू-शुरू में थोड़ी बहुत शिकायतें जरूर हुईं, लेकिन अब उतनी नहीं हैं। इसमें काफी सुधार हो चुका है। शुरू-शुरू में चकबन्दी में थोड़ी परेशानी किसानों को जरूर होती है, लेकिन उनकी सुविधा के लिये ही रात के ११ बजे तक इस विभाग के कर्मचारी किसानों को बिठा कर काम करते हैं और सबके सामने चकबन्दी का काम करते हैं जिससे बाद में किसानों को खेती करने में बड़ी सुविधा होती है। राजस्व विभाग से सिंचाई के लिये अथवा अन्य तरह की सहायता भी मिलती है जिससे किसान की पैदावार काफी बढ़ जाती है। जहां-जहां चकबन्दी योजना लागू हुई है, वहां मने देखा है कि सभी किसानों ने अपने खेतों को काफी सुन्दर बना लिया है। मैं अपने जिले बस्ती की बात पेश करता हूं। हमारे यहां हरया तहसील है जो आबादी के लिहाज से बड़ी है, लेकिन हर माने में गरीब है, बेकार है और इसमें कोई पैदावार नहीं होती है। मैं इसी तहसील से आता हूं। यहां पर सिंचाई के साधन भी नहीं हैं। लेकिन फिर भी वहां छोटी-छोटी नदियां बहती है, उनसे अगर सिंचाई के साधन उपलब्ध किये जायं तो हमारी परेशानी दूर हो सकती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर हमारे यहां सिंचाई के साधन हो जायं तो हम काफी गल्ला देंगे और खाने की कमी हमारे यहां नहीं होगी।

जैसा कि हमारे अन्य साथियों ने कहा है मैं भी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि दाखिल खारिज के मुकदमे जो जिले में जाते हैं वे वहां न जाकर तहसील म होने चाहिये। इससे किसानों को बड़ी सुविधा होगी। जिले में जाने में उनको बड़ी परेशानी होती है और उनका काफी वक्त और पैसा खर्च होता है। इसलिये दाखिल खारिज के मुकदमें तहसीलों में ही लिये जाने चाहिये।

एक बात मैं मुआवजे के बारे में कहना चाहता हूं। जमीन चाहे सड़क के लिये ली जाय या ब्लाक के लिये ली जाय या किसी भी काम के लिये ली जाय उसका मुआवजा ठीक से दिया जाना चाहिये। आज कल जो मुआवजा जमीन का दिया जाता है या जमींदारी अबालीशन का मुआवजा दिया जाता है वह इतना कम होता है कि मुआवजा मिलने के बाद, चाहे जमींदार रहे हों या छोटे किसान हों, वे उससे कुछ काम नहीं कर सकते हैं। इसलिये मुआवजा बढ़ाया जाय ताकि वे अपने बाल बच्चों की गुजर बसर करने के लिये कोई काम कर सकें।

इसके अलावा बाढ़ से या ओले से जो क्षति होती है उसके लिये जो सहायता मिलती है वह बहुत कम होती है। इतना तो कम से कम अनुदान मिलना चाहिये कि वे अपने लिये खपरैल ही बना सकें। अनुदान उन्हीं को मिलता है जिनके पास जमीन जायदाद होती है। जो जमानत नहीं पेश कर सकते हैं उनको बड़ी दिक्कत होती है और उनको अनुदान नहीं मिल पाता है। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इधर ध्यान देने की कृपा करेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे थोड़ा-सा वक्त अपने विचार प्रकट करने के लिये दे दिया। मैं बहुत संक्षेप में माननीय मंत्री जी का ध्यान लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट की तरफ दिलाना चाहता हूं। मंत्री जी को मालूम है कि लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट में साफ दिया हुआ है कि मारकेट वेल्यू पर ही कोई जमीन ली जायगी। लेकिन मुझे ताज्जुब है कि इनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है। इनका वर्किंग कुछ और है और कहना कुछ और है।

श्रीमन्, सैदपुर तहसील में कुछ जमीन ली गई है। जो कागजात मुझे मिले हैं उनमें यह है कि २ बीघा जमीन ५८ रुपये ६४ नये पैसे में ल ली गई है और ४३ रुपये ८२ नये पैसे में एक बीघा १२ बिस्वा १२ धुर जमीन स्कूल के लिये ली गई है। श्रीमन्, हमारे राजस्व मंत्री जी के जमाने में २०–२० रुपये बीघे जमीन ली जा रही है। मैं समझता हूं कि यह बड़े शर्म की बात है।

(इस समय ३ बजकर ५९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री चन्द्रजीत यादव पीठासीन हुये।)

मैं श्रीमन्, आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान दिला रहा हूं कि इस तरह लैंड ऐक्वीजीशन के नाम पर जबरदस्त डकैती की जा रही है। मैं चाहता हूं कि कम से कम पुराने कानून में रद्दोबदल होनी चाहिये और जल्दी से जल्दी होनी चाहिये। अगर नहीं होता तो मैं तो कहूंगा कि माननीय मंत्री जी वह लूट जो है, जो किसानों की आप कर रहे हैं। इससे बढ़कर और कोई गुनाह नहीं हो सकता है। यह आपकी चीज है और आप इसे देख सकते हैं।

दूसरी चीज जिसकी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि चकबन्दी के बारे में मैं कह रहा हूं, जिसके बारे में उधर के लोगों ने काफी तारीफ की कि चकबन्दी बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन जैसी चकबन्दी हमारे गाजीपुर जिले में हुई है उसको बन्द कर दिया जाये। ऐसी दोषपूर्ण चकबन्दी से चकबन्दी न होना ही बहुत अच्छा है। लाखों रुपया वहां से लोग लेकर चले गये और बाद में अफसर लोग जो मंत्री जी के नाक के बाल हैं लाखों की रकम डकार गये और हमारे यहां सैदपुर के लोग बर्बाद हो गये। चकबन्दी में जो नक्शे बनाये गये उनमें ऐसा रद्दोबदल हो गया कि आज किसान को पता नहीं कि उसका खेत कहां है, उसका नक्शा कहां है, और उसका जो रकबा है वह भी कहीं पूरा नहीं हुआ है। नतीजा यह है कि आज सैदपुर के लोग बर्बाद हो गये हैं और मैं तो मंत्री जी से कहूंगा कि ४०–५० इन्तखाब फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर दिये जाया करें, जिससे कि किसानों को जानकारी हो जाया करे कि क्या-क्या जमीन उनको मिली है। यदि किसान की चक में कोई गड़बड़ हुआ करे, नाम में, रकबे में, तो वह उसे दुरुस्त करा लिया करें। लेकिन आज तक इस विषय में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। नक्शे में दिया हुआ है कि चकबन्दी यदि एक बार हो गयी तो वह भगवान की लकीर हो गयी उसमें कोई रद्दोबदल नहीं हो सकता, उसमें कोई चेन्ज नहीं हो सकता। तो जो अनियमितता हो जाये, जो भ्रष्टाचारी लोग कर दें वह ऐसी ही बनी रहे और उसमें सुधार न हो। ऐसी चकबन्दी को हम क्या कहें, हम तो धन्यवाद ही देंगे मंत्री जी को, क्योंकि उनका भी आखिरी वक्त है, किन्तु किसानों की बात सुन ली जाये।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

आपका भी तो आखिरी वक्त है।

श्री कमलासिंह यादव—

हमारा भी आखिरी वक्त है लेकिन आपके तो बाद में ही है, क्योंकि आप हमसे बुजुर्ग हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

कोई अपने को श्योर न समझे कि मेरा इसके बाद में है या पहले।

श्री कमलासिंह यादव—

आपने रुपया किसानों का लिया है। अंग्रेज तो इस मामले में ईमानदार थे, उन्होंने जो चकबन्दी की, जो सेटेलमेंट किया और जिसके लिये किसानों से रुपया लिया, उसमें एक इंच भी यदि किसी ने जमीन गलत ले ली तो पता लग सकता था और उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाती थी, किन्तु आपकी चकबन्दी में इसका कुछ पता नहीं लग सकता है चाहे जितना गड़बड़ घुटाला क्यों न हो। आपने कितनी छूट दी है, इसके लिये कागजों का पता नहीं, नक्शे का पता नहीं। यहां तक हो रहा है कि कागजात दाखिल हो रहे हैं, लाखों इन्द्राज पैसा लेकर इधर उधर कर दिये गये हैं। कहने के बावजूद भी सी० ओ०, एस० सी० ओ० रिपोर्ट करते हैं, कोई उस पर कार्यवाही नहीं होती।

इसके बारे में आपको मैं एक सुझाव दूंगा कि आप अपने अफसरों को पंजाब भेज दें। वहां भी चकबन्दी हुई है, वहां चकबन्दी बहुत ही कामयाब रही है। वहां चकबन्दी करने में चक बनाने के पहले पानी का इन्तजाम यानी सिंचाई का प्रबन्ध कर लिया जाता है, उसके बाद चक काटे जाते हैं। वहां पर चकबन्दी के काम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। पंजाब में चकबन्दी करने में कोआपरेटिव फार्मिंग के लिये भी प्रोत्साहन दिया गया है। जहां ४—५ और ६ एकड़ के छोटे-छोटे किसान थे उनके चक एक जगह बना दिये गये हैं जिसका नतीजा यह है यह छोटे-छोटे काश्तकार आसानी से सहकारी फार्मिंग कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं हुआ है इस प्रकार के छोटे-छोटे किसान सभी हिस्सों में बंटे हुये हैं, कुछ पूर्व में हैं तो कुछ पश्चिम में और इसी प्रकार से हैं। तो मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि या तो आप उसमें सुधार करें या इसको बन्द कर दें।

जहां तक छूट का सवाल है, छूट के बारे में कई माननीय सदस्यों ने यह बताया कि आज ओला पड़ा है, हर किस्म की फसल बर्बाद हुई है, लेकिन आपके यहां जो पैमाना बना हुआ है, उसमें पूरे गांव का प्लाट लेकर आप चलते हैं। तो सत्यानाश करने वाली संस्था जो अंग्रेजों की देन है, उसको समाप्त किया जाये।

श्री अधिष्ठाता—

वैसे आपका समय समाप्त हो गया लेकिन अगर कोई खास सुझाव देना हो तो आप जल्दी से दे दीजिये।

श्री कमलासिंह यादव—

बहुत धन्यवाद आपको। मैं मंत्री जी से कहता हूं कि आपका ऐडमिनिस्ट्रेशन ऐसा बढ़िया है जिसके लिये धन्यवाद देना पड़ेगा क्योंकि ६ महीने हो गये आपने एक आश्वासन दिया था कि जिन पटवारियों की तनख्वाह ६—६, ७—७ वर्ष से बाकी है उनको आप दिलवा देंगे, आपने कहा कि बहुत अच्छा किया जो बता दिया और वह दिलवा देंगे। आपने प्राइवेटली भी कहा था, लेकिन आज तक वह नहीं दिलायी गयी।

श्री अधिष्ठाता—

यदि मंत्री जी ने प्राइवेटली कोई बात आपसे कही हो तो उसको सदन में न कहिये तो अच्छा है।

श्री कमलासिंह यादव—

वह कोई मंत्री जी के घर की बात नहीं है, वह तो यहां एक क्वेश्चन के सिलसिले में उन्होंने जवाब देते हुये कहा था मैं और अधिक समय न लेकर सिर्फ उनसे इतना कहूंगा कि जरा मेरी बातों पर ध्यान दिया जाय।

*श्री देवेन्द्रसिंह (जिला नैनीताल)—

महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे भी इस पर बोलने का अवसर दिया है। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि कुमायूं में जमींदारी अबालीशन ऐक्ट की धाराओं को पूरी तरह से लागू करने में जो देरी हो रही है उसको देखने की आवश्यकता है। मैं इस मत का हूं कि जो मौजूदा ऐक्ट बना है उससे वहां की जनता को कोई ज्यादा फायदा नहीं है। उसमें जितना खर्चा सरकार का होगा उससे बहुत कम फायदा वहां के लोगों का और यहां की सरकार का होगा।

दूसरी बात मैं मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि आपने जो कुमायूं जमींदारी अबालीशन ऐक्ट पास किया है उसके मैं विपरीत न होते हुये भी यह चाहूंगा कि सरकार की जो जमींदारियां खाम की तराई भावर में हैं सरकार उनको समाप्त करे और जो शिकमी काश्तकार हैं और उनको भमिधरी राइट्स दिये जायं। इस ओर जरा तेजी से कदम बढ़ाइये। इससे आपके अबालिशन के काम में बड़ी सहूलियत होगी।

तीसरी बात मुझे यह निवेदन करनी है कि कुमायूं में आपने जमींदारी अबालिशन किया, लेकिन तराई भावर में खाम स्टेट के अन्दर और दूसरे स्थानों पर इतने बड़े-बड़े जमींदार बना दिये गये हैं, किसी को ५ सौ, किसी को २ सौ और किसी को सौ एकड़ की जमीनें वहां पर एलाट की गयी हैं। तो मैं चाहता हूं कि सरकार उन पर निगाह करे और जिस प्रकार से कुमायूं में जमींदारी अबालिशन किया जा रहा है उसी की रूपरेखा के अन्दर इन फार्मों को भी रखा जाय।

चौथी चीज जो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि सरकार ने एक उचित लक्ष्य को ले करके कुमायूं में भूमिहीन किसानों को बसाने के लिये एक कमेटी बनाई थी। उसके जरिये से काफी जमीन तराई भावर में कुमायूं में भूमिहीनों को बसाने के लिये एलाट की गयी थी, लेकिन मुझे दुख है कि इस प्रकार के एलाटमेंट सिर्फ कागज तक ही सीमित रह गये और वास्तविक रूप में अभी तक ५ परसेंट आदमियों को भी जमीन नहीं मिल पायी। इस ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान विशेष रूप से दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, तराई में जब से तराई का इलाका आबाद हुआ हमारे बहुत से रिफ्यूजी भाई वहां पर आये। जब-जब देश के अन्दर विपत्ति आई तब-तब विदेशों से रिफ्यूजी बन कर लोग यहां आये और अक्सर उनको तराई के इलाके में बसाया गया। मैं इस बात से एतराज नहीं करता हूं कि वे वहां पर न बसाये जायं, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब वहां की जमीन वहां के भूमिहीन लोगों के लिये काफी नहीं थी तो सरकार को यह सोचना चाहिये था कि जो वहां के भूमिहीन हैं उनकी समस्या बाहर के लोगों को बसाने पर और भी जटिल हो जायगी। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि कुमायं के भूमिहीन लोगों की भूमि समस्या को हल करायें।

एक बात मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि कई हजार लोगों का वहां पर नाजायज कब्जा है सरकारी जमीन पर। सरकार के सामने भी यह बहुत बड़ी समस्या है। अगर सरकार उन जमीनों से उन लोगों को बेदखल करती है तो सरकार के सामने शान्ति व्यवस्था का एक बड़ा प्रश्न उठ खड़ा होता है। सरकार की इस परेशानी को मैं सोचता हूं और उसका अहसास भी करता हूं, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार की एक निश्चित नीति निर्धारित होनी चाहिये कि आया सरकार उनको निकालने जा रही है या उनको उस जमीन को अलाट करने जा रही है या जो उनका अनधिकृत कब्जा है उसको सरकार रेगुलराइज करने जा रही है? अगर सरकार उन जमीनों पर, जो इस प्रकार से काश्तकार उनके ऊपर बन गये हैं और जिनका अनधिकृत अधिकार है, प्रीमियम लगा दे तो सरकार को करोड़ों रुपये की आमदनी हो सकती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देवेन्द्रसिंह]

अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान कुमायूं में हुये बन्दोवस्त की ओर दिलाना चाहता हूं। मैंने पिछले वर्ष भी बड़ी नम्रतापूर्वक इस बात का निवेदन किया था कि कुमायूं में जो बन्दोवस्त हुआ वह कुमायूं की जमीन का सचमुच बन्दोवस्त नहीं हुआ, बल्कि जमीन का बन्दोबस्त करने के लिये जो लोग बाहर से आये थे वह अपना बन्दोबस्त करके चले गये। उन्होंने ऐसा किया कि मेरी जमीन में आपका नाम लिख दिया और आपकी जमीन में दूसरे का नाम लिख दिया। उससे उन्होंने आपस में एक ऐसा संघर्ष पैदा कर दिया है जो ३, ४ पुश्त तक भी निपट नहीं सकता।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो उन्होंने वहां पर सेटिलमेंट किया और जिस तरह से आज कल के बढ़ हुये साइंस के जमाने में वहां पर प्लान्टेबिल सर्वे शुरू किया और उसके अधार पर जो वहां नकशे बनाये गये वह नक्शे इतने डिफेक्टिव हैं कि मैं अधिक क्या उनके बारे में कहूं। उनके अन्दर बहुत खामियां हैं। उनसे आज वहां की जनता बड़ी परेशान है। इस सम्बन्ध में मैं पिछली बार माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर चुका हूं। मैं चाहता हूं इस सम्बन्ध में मंत्री जी एक कमेटी स्थापित करें जो वहां पर सिम्पुल सर्वे करे और देखे कि क्या-क्या वहां पर खामियां रह गई हैं।

एक बात यह भी मैं निवेदन कर दूं कि कल परसों पहाड़ों पर इतनी जबरदस्त ओला वृष्टि हो गई है जिससे वहां के बागात को और फसल को बहुत नुकसान हो गया है। इसलिये मंत्री जी वहां पर लैंड रेवेन्यू जो इस फसल में वसूल होने वाला है उसको स्थगित करे। वहां पर तकावी लोन दें ताकि वहां के कास्तकारों को थोड़ी राहत मिल सके।

*श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

अधिष्ठाता महोदय, रेवेन्यू विभाग पर आज बहस चल रही है। इस विभाग का सम्बन्ध किसानों से, गरीब लोगों से है। इस विभाग में जो रवैया चला आ रहा है, जो लेखपाल और कानूनगो की धांधली अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं थी, आज उससे ज्यादा बढ़ गयी है। मैं मंत्री जी का ध्यान अधिकारियों तथा चकबन्दी की अन्य बातों की ओर न ले जाकर एक दूसरी तरफ दिलाना चाहता हूं। अगर आप आज लेखपाल और कानूनगो की धांधली बन्द करा दें तो इस प्रदेश के गरीब किसान का बड़ा फायदा हो जायगा। सदन में लेखपालों को तनख्वाह न मिलने की चर्चा की गयी। उसके लिये कहना चाहता हूं कि अगर उनको कई साल तक भी तनख्वाह न मिले तो भी वे तनख्वाह मांगने नहीं आयेंगे। वे बिना तनख्वाह के रह सकते हैं। वह तो २५ रुपया महीना कानूनगो को देते रहते हैं। वह एक-एक इन्दराज के लिये लोगों से दो-दो सौ, चार-चार सौ रुपये लेते हैं। अंग्रेजी जमाने में ज्यादा रुपया लेने की वह हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन आज वह मामूली काम के लिये सौ-सौ रुपये ले लेते हैं। इसके लिये आप कोई न कोई व्यवस्था निकालें। मैं चाहता हूं कि प्रदेश में लेखपालों का पद समाप्त कर दिया जाय और सारी इंट्रीज करने का काम गांव सभा के सेक्रेटरी या सभापति को दे दिया जाय। आपके विभाग से आदेश भी निकले थे कि सारे इन्दराज जो किये जाने हैं उनकी सूचना गांव के सभापति को, उस पार्टी को तथा जिसके खिलाफ किये जाने हैं उनको दी जायगी, लेकिन इस नियम की पाबन्दी एक लेखपाल भी नहीं करता और वे अपना मनमाना इन्दराज करते हैं और इसके कारण नाना प्रकार के झगड़े और फसाद पैदा हो रहे हैं। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिला कर निवेदन करना चाहता हूं कि इस दिशा में कोई भौतिक सुधार किया जाना चाहिये। लेखपाल के ओहदे को समाप्त कर के कोई नयी व्यवस्था आप करें। बिहार में लेखपाल का ओहदा नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यू० पी० और बिहार का सीमा का मसला अभी तय हुआ है। त्रिवेदी आयोग ने जो परमानेंट बाउन्डरी तय की है वह उत्तर प्रदेश की मांग थी। लेकिन जो बाउन्डरी फिक्स हुई है उससे कुछ दिक्कतें पैदा हो गयी हैं। इस सीमा के द्वारा कई एक गांव दो भागों में बंट जाते हैं। बलिया में अगर एक गांव ८०० बीघे का है तो ६०० बीघा उत्तर प्रदेश में रह जाता है और २०० बीघा बिहार में चला जाता है। इस तरह के गांव बिहार में भी हैं। हर गांव का रकबा जो एक जमाने से चला आ रहा था, जिसका कि एक निश्चित रेवेन्यू रोल है, उसे इस प्रकार दो भागों में बांट देना यह किसी अधिकारी के अधिकार की बात नहीं है चाहे वह सी० एम० त्रिवेदी हों या और कोई हों। जो हमारी सीमा है उसे आप बगैर मुआवजा दिये किसी दूसरे को नहीं दे सकते। हमारा ही गांव है डांगराघाट या दूसर गांव हैं। उनको बांट दिया गया है। अगर हम आधे बिहार में और आधे उत्तर प्रदेश में भी रहते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन हम परमानेंट बाउन्डरी इसलिये चाहते थे कि गांव दो हिस्सों में न बंटें, लेकिन इसके बाद भी त्रिवेदी जी ने अपने अवार्ड में लिख ही दिया कि उस गांव का इतना भाग बिहार में चला जाय। इससे वहां एक समस्या पैदा हो गयी है और मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं कि उस गड़बड़ को दूर करने के लिए वह शीघ्र ही कोई न कोई कदम अवश्य उठावें ताकि बलिया जिले के किसानों का भला हो।

सारे उत्तर प्रदेश में चकबन्दी के सिलसिले में भ्रष्टाचार आदि के लिये कहा गया। इसके लिये मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि जिन अफसरों की शिकायत की गयी और जांच में वह साबित हुई उनका तबादला एक जगह से दूसरी जगह कर दिया गया। तबादला कोई सजा नहीं होती। उसके लिये आप उनको सख्त सजा दें, अगर आपको चकबन्दी का काम सही तरीके से चलाना है।

एक काम जो बहुत दिनों से अटका हुआ है वह है नगरों की जमींदारी को समाप्त करने का। इसको जल्दी से जल्दी समाप्त होना चाहिये क्योंकि इसमें बड़ी धांधली हो रही है।

*श्री नियामतुल्ला अन्सारी (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, जो अनुदान हमारे मंत्री जी ने पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं, लेकिन उसके साथ ही मैं इस विभाग के खास पहलू की तरफ हाउस की तवज्जह दिलाना चाहता हूं। वह यह है कि अभी पिछले साल १९६४ में कलेक्शन के जो नायब तहसीलदर थे उनका मर्जर रेगुलर नायब तहसीलदारों में कर दिया गया, एक कायदा और कानून बना कर के। मेरे खयाल में यह चीज बहुत कंट्रोवर्शियल है कि वह सही हुआ या गलत हुआ इसके बारे में मैं यहां कुछ कह भी नहीं सकता, क्योंकि यह मसला हाई कोर्ट में भी पेश है, इसका रिट दाखिल हो चुका है, लेकिन चूंकि एक विशेष व्यक्ति से मेरा संबंध है और मैं जानता हूं कि इसमें क्या हुआ है इसलिये कहता हूं। इसमें जो चीज सबसे ज्यादा काबिले एतराज है वह यह है कि इस कानून पर अमल दरामद जिस तरीके से हुआ वह बहुत नाजेबा तरीके से हुआ और कम से कम मेरा तो सख्त आबजेक्शन है। एक तहसीलदार इस प्रान्त में थे, इत्तफाक से वह मुसलमान थे। वह तरक्की पाकर बने थे। पहले ३ बरस से ईमानदारी से वह रेगुलर नायब तहसीलदार के फर्ज अन्जाम दे रहे थे और कमिश्नर, कलेक्टर, एस० डी० ओ० और अवाम सभी उन से खुश थे। यकायक उनके पास नोटिस आता है, टाप सीक्रेट, मुहर बन्द, दो दो लिफाफे में और उसे एस०डी०ओ० सर्व करते हैं कि तुम्हारा रिवर्शन हो गया है और तुम फौरन यहां से बोरिया बन्धना उठाओ और एक-दो-तीन हो जाओ। मामूली तरीके से आता तो स्वाभाविक सी चीज है, उस पर मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन जिस तरीके से वह आर्डर उन पर सर्व किया गया और उस पर मुझे एतराज है। चूंकि वह तहसीलदार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नियामतुल्ला अन्सारी]

मुसलमान थे लिहाजा फौरन तहसील में उड़ गया कि इनके यहां ट्रांस्मीटर निकला है, इनका पाकिस्तान से बहुत बड़ा ताल्लुक है, इनके बाप का भी है और बहुत से ऐसे कागजात निकले हैं। यह अफवाह है जो मेरे कानों तक आयी ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

वह तहसीलदार हमारे यहां थे ।

श्री नियामतुल्ला अन्सारी—

उसको आप छोड़िये । मैं बड़ी अहम बात कह रहा हूं । (लाल बत्ती होने पर) मुझे दो मिनट का वक्त और दीजिये . . . . .

श्री अधिष्ठाता—

मेरा खयाल है कि आप ज्यादा वक्त दूसरी बातों में लगा रहे हैं । बहुत कम समय हमारे पास है ।

श्री नियामतुल्ला अन्सारी—

मुझसे कहा गया कि इनके बाप पाकिस्तानी हैं और उनके घर की तलाशी हुई है, ट्रांसमिटर निकला है । जबकि ४० वर्ष से उनके बाप का कांग्रेस से सम्बन्ध है, पुराने कांग्रेसी हैं, ३–४ बार जेल जा चुके हैं और आजादी की लड़ाई लड़ चुके हैं और जिन्ना साहब के दो कौमी नजरिये को ठुकरा चुके हैं । वह तो खैर हाईकोर्ट फैसला करेगा, लेकिन मुझे यही कहना है कि मंत्री जी पता लगायें कि अगर ऊपर से हिदायत इस किस्म की हुई तो किसके जरिये से हुई और इस गैर-मामूली तरीके से आर्डर क्यों सर्व हुआ ।

एक चीज और मुझे अर्ज करना है । आपने शहरों की जमींदारी खत्म करने के लिये अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है, इस ओर तवज्जह दी जानी चाहिये और मुझे उम्मीद है जब जवाबी तकरीर माननीय मंत्री जी की होगी तो वे इन प्रश्नों पर भी रोशनी डालेंगे ।

*श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । यह जो वृहत् जोतकर की अनुदान है, इसके संबंध में मुझे यह कहना है कि पहले यह कहा गया था कि इससे काफी भूमि निकलेगी और जो भूमि निकलेगी उसे भूमिहीनों को दिया जायगा । किन्तु कुछ भी नहीं मिली । जिनके पास भूमि थी उन्होंने अपने बच्चों आदि के नाम से बचा लिया।

भू-राजस्व के संबंध में जो अनुदान है उसके संबंध में मेरे कुछ सुझाव हैं। आपकी जो जमा-बन्दी बनती है उससे किसान को यह पता नहीं चलता कि उसको कितना लगान देना है । हर साल उसका लगान घटता बढ़ता रहता है । अमीन जो भी चाहता है लगान उससे वसूल कर लेता है । किसान को यह मालूम होना चाहिये कि उसके ऊपर इतना लगान बंधा है । फिर एक ही जमीन पर ४ तरह का लगान वसूल होता है । भूमिधर भी देते हैं, सीरदार वाले भी देते हैं, अधिवासी भी देते हैं, शिकमी भी देते हैं । सब के लगान में फर्क है । यह नहीं होना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि अमीन द्वारा वसूली कराने का जो तरीका है वह भी गलत है, आप यह करिये कि मालगुजारी में कुछ रिबेट दे दीजिये, दो परसेंट या ५ परसेंट । जो भी जमा करे उसको मालगुजारी में रिबेट दे दीजिये। ऐसा करेंगे तो स्वयं काश्तकार जमा कर देगा। अमीन लोग जो उसको परेशान करते हैं उससे भी उसको राहत मिल जायेगी । यह अमीन लोग बड़े काश्ताकारों से तो कुछ नहीं करते, छोटों को बड़ा परेशान करते हैं । इसके अलावा वसूली

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

में जो धांधली करते हैं वह भी नहीं हो पायेगी । अक्सर ऐसा होता है कि वे १० रुपये वसूल करते हैं और रसीद देते वक्त बीच में दसमलव और लगा देते हैं, उससे वह रसीद एक रुपये की हो जाती है। उसके ऊपर कुछ कार्यवाही भी नहीं हो पाती ।

चकबन्दी में जो भ्रष्टाचार है वह भी आपको मालूम है । जब किसी का चक बनाया जाता है तो उसको एक पर्ची दी जाती है । मेरा सुझाव है कि उसको एक नक्शा भी उसका दिया जाना चाहिये जिसमें यह हो कि उसके खेत की कितनी और क्या क्या सीमा है । कितना उसका प्लाट है । सैकड़ों गांव डी-नोटीफाइड कर दिये जाते हैं । इसका नतीजा यह होता है कि जब भी कोई शिकायत लेकर जाता है, उससे कह दिया जाता है कि हम क्या करें, तुम्हारा गांव तो डी-नोटीफाइड हो गया है । इससे बड़ी परेशानी हुई है ।

एक सुझाव यह है कि चकबन्दी के लिये जब आदेश जाते हैं तो उसमें दो महीने की या कुछ समय की लिमिट कर दी जाती है कि उतने समय के अन्दर उस गांव की चकबन्दी हो जानी चाहिये। इस तरह का टार्गेट फिक्स नहीं होना चाहिये । इससे काम ठीक तरह से नहीं होता है, जो भी गांव डी- नोटीफाइड हुये हैं उनमें पहले अगर १०० गलतियां थीं तो अब हजार गलतियां हो गयी हैं। और वह जांचने का तरीका यह होता है कि जिस तरह से अंग्रेजों के जमाने में हुआ करता था । डायरेक्टर महोदय जाते हैं तो उनके साथ एस० ओ० सी०. और सी० ओ० आदि भी जाते हैं । वे अगर अकेले जायं तो पता चलेगा कि कितनी अनियमिततायें बरती जाती हैं और बरती गई हैं और कितनी गड़बड़ियां होती हैं ।

श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, अब तो टाइम नहीं मिलेगा । मेरे पास जितने सुझाव हैं वे सब मैं आपके पास लिखकर भेज दूंगा ।

श्री अधिष्ठाता—

लिख कर मंत्री जी के पास भेज दीजिये ।

श्री गणेशप्रसाद (जिला गोरखपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं राजस्व मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं मंत्री जी का ध्यान चन्द बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । पहिली बात यह है कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के लिये मालगुजारी में से छूट देने की मौजूदा कानून उसमें गांव के रकबा का आधा से अधिक डूबने पर छूट मिलता है । अगर २०० एकड़ का गांव का रकबा है और उसमें से ११० एकड़ डूबा तो मालगुजारीम छूट दी जायेगी। लेकिन यदि कोई गांव एक हजार एकड़ का है और उसमें ३०० एकड़ हुआ या ४०० एकड़ डूबा तो उसकी मालगुजारी नहीं माफ होती है । मेरा निवेदन यह है कि जितना भी खेत डूबे, चाहे वह आधा रकबा हो या उससे कम हो और चाहे एक ही बीघा हो, उतने खेत की मालगुजारी नहीं लेनी चाहिये । इसमें अगर कानून बाधक होता है तो कानून में परिवर्तन किया जाय ।

दूसरी बात जो मुझे निवेदन करनी है कि कहीं कहीं गांव समाज की बंजर जमीन स्कूलों के लिये दान देने का विधान है लेकिन साथ ही जब तक वह गांव सभा की बंजर भूमि है तब तक उस भूमि पर कोई लगान नहीं । जब स्कूल को दे दिया जाता है, या सार्वजनिक संस्था को दे दिया जाता है तो उस पर मालगुजारी लगा दिया जाता है। मेरी प्रार्थना है कि स्कूल जैसी संस्था पर इस मालगुजारी को नहीं लगाना चाहिये और उसे माफ कर देना चाहिये यह बुढ़ौती में आपकी कीर्ति होगी ।

[श्री गणेशप्रसाद—]

इसके अलावा सीलिंग बहुत दिनों से हो रही है। बड़े-बड़े खेतिहरों की जमीन सीलिंग पर कर दी गयी है, लेकिन गरीब उसका फायदा अब तक नहीं उठा सके हैं। जिस गरीब प्रजा को भूमि वितरण करने का उद्देश्य सरकार ने रक्खा था, वह लाभ उन को नहीं मिल सका। सीलिंग वाली जमीन जो बड़े-बड़े जमींदार थे वे पंजीपति किसान से रुपया लेकर यह बयान दे देते हैं कि यह बहुत दिनों से जोतते बोते हैं, ये मेरे कब्जे में नहीं है। इस तरह से जो जमीन निकल गयी है उस पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाय।

इसके अलावा जमींदारी अबालिशन हुआ, उसमें कलेक्शन अमीन मुकर्रर किये गये, लेकिन उस में से आधे भी अभी तक मुस्तकिल नहीं किये गये। मैं खास तौर पर गोरखपुर जिले की बात कहता हूं, जहां एक तिहाई भी मुस्तकिल नहीं किये गये हैं। आप उन्हें १३ वर्षों के लम्बे अरसे के बाद भी मुस्तकिल नहीं करना चाहते हैं। तो क्या इरादा सरकार का है ? वे तहसीलदारों की कठपुतली रहते हैं और उन्हें यही भय रहता है कि कहीं निकाल न दिये जायं। अतः उन्हें शीघ्र मुस्तकिल किया जाय।

श्री उग्रसेन—

(श्री भगवानदास यादवेन्दु का नाम पुकारे जाने पर)

श्रीमन्, आपने वादा किया था श्री रामसुन्दर शास्त्री जी को समय देने के लिए...

श्री अधिष्ठाता—

मैंने वादा नहीं किया था मैंने यह कहा था कि उन को जो सुझाव देने हैं वह लिखकर के मन्त्री जी को दे दें।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, अगर समय की कमी हो, तो आप एक घंटा समय बढ़ा दीजिये।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बैठिये, माननीय भगवान दास को बोलने दीजिये।

श्री भगवानदास यादवेन्दु—

अधिष्ठाता महोदय, सुबह से मैंने सत्ताधारी दल के तथा विरोधी दल के माननीय सदस्यों के विचारों और उन के सुझावों व दृष्टिकोणों को सुना। मैं इतना जरूर समझता हूं कि अनुशासन और कांग्रेस पार्टी के बन्धन के कारण सदस्य लोग यह कहने को तो विवश होते हैं कि मैं मन्त्री जी के अनुदान का समर्थन करता हूं, लेकिन अपने भाषण के दौरान में उन्होंने बिलकुल उन असफल नीतियों का, सरकार की मूल नीतियों, उस की बुनियादी नीतियों का, सरकार की मशीनरी का, उसके कर्मचारियों का, विभाग के अन्दर की नौकरशाही के रवैये की आलोचना करके पूरा खाका खींच कर रख दिया है। अगर आप कहें, तो मैं एक-एक माननीय सदस्य के भाषणों के एक-एक अंश को यहां पर बता सकता हूं। मैं इस के लिए खास तौर से अपने ट्रेजरी बेंचेज की तरफ से बोलने वाले सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं, साथ ही विरोधी दल के भी उन सभी सदस्यों का जो आज के प्रमुख वक्ता रहे हैं, भी आभार प्रकट करता हूं। आज हमारे प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय यहां उपस्थित था, मगर सदन की उपस्थिति सुबह से मैं देख रहा हूं इतनी नहीं थी जितनी कि होनी चाहिये थी। यह प्रदेश किसानों के ऊपर डिपेन्ड करता है। ७५ फी सदी यहां की जनसंख्या खेती करती है और खेती करने वालों के बल पर ही हमारे प्रदेश की खुशहाली और हमारी सरकार का पूरा खर्चा तथा यहां की एकानोमिक प्रगति डिपेंड करती है। यहां पर कहा जाता है सरकारी बेंचेज की ओर से कि हम तो मिक्स्ड एकानोमी के मानने वाले हैं, पर मैं आप से पूछना चाहता हूं कि क्या गांधी जी यह नहीं

कहा करत थे कि हिन्दुस्तान का ७५ फीसदी इन्सान देहातों में रहता है। अगर आप को हिन्दुस्तान देखना है तो यहां के देहातों में जाओ क्योंकि हिन्दुस्तानी देहातों में रहता है। हमारी रूरल एकानोमी पर में यह मानता हूं कि फ्यूडलिज्म और इम्पीरियलिज्म के जमाने में तरह तरह के प्रहार होते थे, लेकिन उस समय यह रूरल एकानामी केन्द्रीकरण में थी, आज उसका विकेन्द्रीकरण होना चाहिये था, लेकिन वह ग्रामीण विकेन्द्रीकरण न होकर के यह एकानोमी आज शहरों में केन्द्रित हो गयी। माननीय मन्त्री जी देहात में पैदा हुये, लेकिन शहरों में कोठी बनाकर रहने लगे। जिन्होंने थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़ ली, वकालत पढ़ ली, बैरिस्टर या मिनिस्टर हो गये, सरकारी अधिकारी हो गये, तो देहात छोड़कर शहर में आकर रहने लगे। हमारी जो संस्कृति रही है जिसने हम को इस लायक बनाया कि हम दुनिया के देशों के सामने अपना एक आदर्श रखते हैं, उसे भूलकर हम अंग्रेजियत के शिकार हो गये।

मन्त्री जी भी अंग्रेजी के शिकार हो गये हैं, क्योंकि शुरू में उन्होंने अंग्रेजी में उद्धरण दिया, लेकिन उस के बाद इतना शांत हो गये, समझ में नहीं आता कि वह क्या कहेंगे। आज के युग में, हमारे ७२ वर्ष के मन्त्री जी इस विभाग को नहीं सम्भाल सकते। यहां स्मार्ट और जवान मन्त्री चाहिये, जो इस सड़ी गली मशीनरी को सुधार सके, जिसकी सभी ने निन्दा की। आगरे में दयालबाग में चकबन्दी हुई, वहां करीब ५० परिवार किसानों के हैं, जिन को जमुना के रैवीन्स में जमीन दी गयी, और वहां के किसानों की जमीन दयालबाग वालों को दी गयी। इस की लिखित शिकायत मन्त्री जी के पास आयी है। माननीय लखी सिंह जी ने भी पूछा है, लकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। १८९४ से लकर १९४५ तक ४२ परसेंट लगान बढ़ चुका था, और यह अंग्रेजी जमाने का ही लगान था, उस समय १९५२ में ४१.३ लाख एकड़ कुल जमीन जमींदारों और ताल्लुकेदारों के पास थी जिस में से ३९ लाख एकड़ सरकार ने अपने कब्जे में ले ली, और २.३ लाख एकड़ जमींदारों पर बाकी रही, सन् १९५२ तक ४२ परसेंट मालगुजारी कन्टीन्यू करती रही। १९५२ में मालगुजारी १७ करोड़ के लगभग थी, जो अब २३ करोड़ के लगभग है, इस लिहाज से करीब ६ करोड़ रुपया ज्यादा है। १९६५–६६ में आप ने २२ करोड़ से कुछ कम रखा, यानी ३३ परसेंट के हिसाब से आपने टैक्स बढ़ाया है ? जिस से स्पष्ट है कि हम दिन पर दिन रूरल एकानोमी का ह्रास करते जा रहे हैं। इसी प्रकार रेलवे की जो साइड में तथा जमुना नदी व अन्य नदियों के सहारे भूमि पड़ी हुई है, और जो चकबन्दी से भूमि बची हुई है, उसे आप भूमिहीन मजदूरों को दें। इन शब्दों के साथ मैं कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं, भगवान दास जी से।

श्री अधिष्ठाता—

मैं उन से स्पष्टीकरण नहीं दिलाऊंगा, क्योंकि उस में काफी समय व्यय होगा।

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय भगवान दास जी जैसा चेहरा माननीय मन्त्री जी का भी है, फिर लोग कैसे कहते हैं कि मन्त्री जी बूढ़े हैं ?

लेजिस्लेचर ग्रुप के तत्वाधान में होने वाले भाषण के सम्बन्ध में सूचना

श्री अधिष्ठाता—

मैं एक घोषणा करना चाहता हूं कि आज सवा पांच बजे, तिलक हाल में पार्लियामेंट्री ग्रुप के तत्वावधान में श्री नारायण दत्त तिवारी का, जो इस सदन के भूतपूर्व सदस्य हैं, भाषण होगा। उनके भाषण का विषय है—संयुक्त राज्य अमेरिका में संसदीय पद्धति। इस लिए आप सब वहां पहुंचें।

१९६५-६६ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या १—वृहत् जोतकर, अनुदान संख्या २—भू-राजस्व (मालगुजारी) तथा अनुदान संख्या ४०—दुर्भिक्ष सहायता (क्रमागत)

श्री हुकुमसिंह विसेन—

श्रीमन्, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि आज बड़ी हंसी खुशी के साथ इस ग्रान्ट पर विवाद हुआ और मैं अपना भाग्य समझता हूं कि कटमोशन माननीय भगवानदास यादवेन्दु ने पेश किया। कटमोशन पेश तो हुआ, तीनों ग्रान्ट्स पर, लेकिन दो ग्रान्ट्स बिलकुल अनटच्ड गयीं। एक शब्द भी नहीं कहा, जिस से मैं समझता हूं कि उन दो ग्रान्ट्स पर किसी को कुछ नहीं कहना था। हमारे साथी ने, पहले यह कहा कि जमींदारी एबालिशन से किसान को कोई लाभ नहीं हुआ। अब आप लोग बतायें, हुआ कि नहीं? या सब की आंखें खुली हैं, लेकिन दिखायी नहीं पड़ता है। (व्यवधान)। मैं देखता हूं कि कैटरेट के आपरेशन के पहले भी देखता था, और अब तो देखता ही हूं कि किसानों का फायदा हुआ। जो मुर्गा बनाये जाते थे, आज किसी की मजाल नहीं जो उन को कुछ कह सके। जिस तरह से बगार पहले ली जाती थी, किसी की मजाल नहीं जो अब बेगार ले सके। हमारे किसान मूछें ऊपर करके चलत हैं। लैन्ड रिफार्म्स में हमारी स्टेट सब से आगे है। प्लानिंग कमीशन का यह सार्टिफिकेट है। मैं वहां, एक परामर्शदात्री समिति में गया था, तो मैं ने अपने कान से सुना है कि यह सूबा सब से आगे है। जो आगे चलेगा उस से भूल हो सकती है और हम भी नहीं कहते कि भूल नहीं होगी।

माननीय कमला सिंह जी ने कहा कि लेखपाल की तनख्वाह बढ़ाओ, माननीय काशीनाथ जी ने कहा कि उन्हें कुछ न दो क्योंकि वह बेईमान हैं। अब बताइये कि हम किसकी बात मानें? खसरा खतौनी लेखपाल ही लिखता है, लेकिन उसकी वजह से हमें हजारों बातें यहां सुनने को मिलती हैं। मजबूर हैं सुनने के लिए। आसान काम नहीं है, लेखपाल को हटा देना। लेखपाल इतनी इन्डिस्पेंसिबिल इविल है कि हम हटाना भी चाहें, तो भी नहीं हटा सकते। यह सवाल पचासों मर्तबा एक्जामिन किया। बिहार में तो परमानेंट सेटिलमेंट है, लिहाजा वहां लेखपाल की जरूरत नहीं, लेकिन हमारे प्रदेश में वह बात नहीं है। यहां आपने कहा है कि सब-लेटिंग डिसएलाउड हो, तो कौन लिखेगा? इसलिए वह इन्डिस-पेंसिबिल इविल है। लेकिन जहां तक हो सकेगा सुधार करेंगे। किसी को मुअत्तल करेंगे, किसी को टेम्पोरेरी रखेंगे, और किसी को लटकाये रखेंगे। बजट हमेशा राज्यपाल की सिफारिश से शुरू होता है, और लेखपाल की बदनामी से खत्म होता है।

एक मित्र ने कहा बड़ा करप्शन है, और यहां तक कहा कि ऊंचे से ऊंचे अधिकारी करप्ट हैं। जबान आपकी है, जो चाहें कहें, लेकिन मुझे इस बात का दावा है कि हमारे विभाग के उच्च अधिकारी बहुत ईमानदार हैं, और हमको उन पर विश्वास है। हम चाहते हैं, ऐसे अफसरों की तारीफ होनी चाहिये। दशरथ सिंह का भी नाम लिया गया, लोग समझते हैं कि चकबन्दी बहुत आसान काम है, कोई भी कर सकता है। लेकिन वाकई में इतना आसान है नहीं। यह टेक्निकल काम है। नौसिखिया आकर चौपट कर देगा। उनको जरूरतन रखे हैं क्योंकि उन से काम चलता है। मेरी उन से कोई नातेदारी नहीं है। वह कायस्थ हैं और मैं ठाकुर हूं लोगों को बहुत गलतफहमी हो जाती है कि दशरथ सिंह ठाकुर हैं और ये दोनों सिंह सिंह मिल गये हैं। वह ईमानदार आफिसर और ठीक तौर से काम करता है।

हमारे मित्रों ने गूल वगैरा की शिकायत की। मैंने इस बारे में डायरेक्टिव दे दिया कि गल वगैरा के ले आउट के बारे में सिंचाई विभाग के कर्मचारियों से सलाह मशविरा लिया जाय। आशा की जाती है कि अब ऐसी कोई शिकायत न होगी।

हमारे भाई मुमताज मुहम्मद खां ने २–३ सुझाव दिये। वे इस काबिल हैं कि उन पर गौर किया जाय। उन पर गौर किया जायगा और माननीय मित्रों ने भी बहुत से सुझाव दिये हैं।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

मैं माननीय मन्त्री जी से एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप का चकबन्दी होने का प्रोसेस बहुत धीमा हो गया है। पूरे सूबे में अनसरटेन्टी का वातावरण व्याप्त है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

हम तो बहुत जल्दी करना चाहते हैं, लेकिन जल्दी करने में कहा जाता है कि टार्चर हो जाता है। एक प्रोग्राम के अनुसार उस को पूरा किया जा रहा है। एक-एक गांव करके आगे बढ़ते जाते हैं। लोग कहते हैं, लेकिन हमारे पास तो इस बात के सबूत हैं कि यह लोगों में बड़ी पापुलर है। सैदपुर तहसील में १६–१७ गांव छूट गये थे। अब वहां के लोग आते हैं कि हमारे यहां भी चकबन्दी करा दीजिये। और भी माननीय सदस्यों ने बहुत से सुझाव दिये हैं उन में जो काबिले गौर हैं उन पर अवश्य गौर किया जायगा लेकिन जो काबिले गौर ही नहीं हैं, उन के लिए मजबूरी है। अब भी जो लोग हमारे पास लिख कर भेज देंगे उन को हम देखेंगे। हमारी मंशा तो लोगों को मदद करने की है, तकलीफ पहुंचाने की नहीं है।

श्री भगवानदास यादवेन्दु ने हम को बूढ़ा बता दिया। ऐसे-ऐसे नौजवान तो जेब में डाले हुये हैं। २४ घंटे काम कर सकता हूं। एक फाइल भी मेरी टेबिल पर नहीं रह सकती। हां, अब बढ़ा तो हूं ही। जरा मैनेजर सिंह की आंखों से तो देखा जाय।

कम्पेंसेशन और लैण्ड ऐक्वीजीशन की बात कही गयी। लोगों को एतराज था कि उनकी जमीन सस्ते में ले ली जाती है। हम ने एक कमेटी बिठा दी है। कमेटी ने रिपोर्ट भेज दी है। उसका सभापति तो मैं ही हूं। हम उस पर गौर कर रहे हैं। उस को देखने के बाद निर्देश जारी किय जायेंगे। लैण्ड एक्वीजीशन ऐक्ट में तो खुद ही मार्केट रेट दिया है, उस के माने ही मौजूदा रेट से हैं कोई सौ साल पहले का मार्केट रेट तो होगा नहीं। हम उसे देख रहे हैं और इस सम्बन्ध में इन्तजाम कर रहे हैं।

माननीय कल्याण राय जी ने बताया, रामपुर का जो मामला है वह यह है कि वह लोग वहां के उस वक्त के रूलर और किसानों के बीच जो लगान तय हुआ था वह देते थे मुआहिदे के मताबिक और कायदे से तो ऐग्रीड रेन्ट पर पाबन्दी हो जाती है लेकिन वहां का लगान ८ प्वाइन्ट कुछ है, जब कि मुरादाबाद का ५ प्लाइन्ट कुछ है। मुरादाबाद में भी लोगों ने छूट के लिए दरख्वास्त दी है। रामपुर में हम ने खुद ही आदेश दिया है, एस० डी० ओ० और हम सब देखते हैं और मुरादाबाद में तो रेंट दुगुना था यहां सवा गुना ही रखा है और इस तरह से हमारी एक लाख रुपया मालगुजारी कम हो जायगी और अभी स्कीम चल रही है।

हमारे भाई भगवान दास जी ने कहा कि मालगुजारी यहां बढ़ गयी है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि कैसे बढ़ गयी? जमींदारी अबालिशन ऐक्ट की दफा ५२ में हम ने तय किया है कि ४० साल तक मालगुजारी में कोई रद्दोबदल न होगा। लेकिन अगर किसी ने जबरदस्ती कबजा किया है और उस एक्सट्रा जमीन का लगान उस पर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? इस तरह से ज्यादा हो गयी, मीजान ज्यादा हो जायगी तो यह भी कोई बढ़ना हुआ? जब एक कमिटमेंट सदन ने किया है कि ४० साल से पहले कोई बन्दोबस्त न होगा, तो कैसे बढ़ सकती है? मुझे बड़ा अचम्भा होता है कैसे वह कह देते हैं।

श्री उग्रसेन—

चार आना रुपया तो बढ़ाया था।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

वह तो तभी छोड़ दिया था।

एक सदस्य—

वह तो आपने लेवी लगायी थी।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

लेकिन हमने बिना आप के कहे ही उसको छोड़ दिया।

एक सदस्य—

हमारे कहने से छोड़ा था।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

तुम्हारे कहने से ही सही, मैं माने लेता हूं, लेकिन छोड़ दिया। यह एतराज किया गया कि.. (व्यवधान)।

श्री अधिष्ठाता—

मन्त्री जी, अगर आप को किसी का जवाब देना है तो पहले आप बैठ जायं वर्ना मैं बीच में खड़े होकर बोलने की किसी को इजाजत नहीं दूंगा जब तक कि आप खड़े रहेंगे।

मैं अपने अधिकार से सदन का समय १५ मिनट बढ़ा रहा हूं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

अगर किसी ने चोरी की और माल उस के पास से ६ मास बाद बरामद हुआ तो चोरी लगेगी ही। अगर कब्जा कोई किये थे और चकबन्दी में मालूम हुआ कि वह नाजायज था और वह उस के मुनाफे से मुस्तफीद हुआ है तो वह मालगुारी का जिम्मेदार होगा।

जहां तक कि गांव समाज की प्रोपर्टी का सावल है हमारे माननीय सदस्यों ने उस सम्बन्ध में कुछ बातें यहां कही हैं और मेरी भी उन से बहुत हद तक सहमति है। अक्सर लोग गांव समाज की जमीन को लावारिस करार देते हैं। रेवेन्यू स्टेंडिंग कमेटी के सामने यह मसला आया था, उसने इसके लिये एक सब-कमेटी कायम की थी, उसने इस पर विचार करके रिपोर्ट दी है जो जेरेगौर है और उस पर उचित कार्यवाही की जायेगी। इसक अलावा एक बात मैं और सदन की इत्तला के लिये बता दूं कि हमारे जितने टूरिंग अफसर हैं उनको हमने हिदायत भेज दी है कि जब वे टूर पर जायं तो वे खासतौर से गांव समाज की प्रोपर्टी की देखभाल करें और अगर एनक्रोचमेंट हो तो उसको जल्द से जल्द हटवायें।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

मंत्री जी को याद होगा कि उन्होंने सदन में कहा था कि प्रधान के गलत प्रस्ताव पर एस० डी० ओ० ने तस्दीक कर दिया और सवा छः एकड़ तक दे दिया और भूमिहीन फिर भूमिहीन ही रह गये।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मैंने तो जो हिदायत अब जारी की है उसका जिक्र किया। मैंने खास कर आदेश दिया है कि अगर कहीं पर किसी गांव में कोई ऐंक्रोचमेंट हो तो उसको जल्द से जल्द हटाने का इन्तजाम किया जाय।

कुमायूं की जमींदारी एबालिशन के सिलसिले में अर्ज कर दूं कि हम जिला चमोली और पौड़ी गढ़वाल में पहली जुलाई से जमींदारी एबोलिशन करने जा रहे हैं क्योंकि वहां पर सैटिलमेंट कम्पलीट हो गया है और बाकी जिलों में फिर अगले साल करेंगे। जमींदारी एबोलीशन करने की वहां पर मांग है और हमारी भी ख्वाहिश है कि हम सूबे के कोने-कोने में जमींदारी एबोलिश करें।

शहरों के बारे में अर्ज है कि कोई ३५४ हमारे यहां पर टाउन एरियाज हैं। उनमें से ३३२ में हम कर चुके हैं लेकिन २२ टाउन एरियाज में डिमाकशन का कार्य बाकी है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

हमारे जिले बलिया में भी रह गया है। वहां भी करवा दीजिये।

श्री हुकमसिंह विसेन—

बलिया जिले का जहां तक सम्बन्ध है आर्बिट्रेशन में पार्टीज ने फैसला कर लिया है। उनका जो एवार्ड होगा हम उसके पाबन्द हैं। हम इस समय कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहते हैं।

(श्री काशीनाथ मिश्र के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय काशीनाथ जी अगर माननीय मंत्री जी बैठते नहीं हैं तो आप हस्तक्षेप न करें।

श्री हुकमसिंह विसेन—

श्रीमन्, मैं इन शब्दों के साथ आग्रह करता हूं कि कटौती के प्रस्ताव को रिजेक्ट करें और हमारी ग्रांट को मंजूर करें।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि चकबन्दी मेरे क्षेत्र में चल रही है। अगर इसमें सुधार लाना है तो चकबन्दी के किसी भी अधिकारी की शिकायत अगर आप से की जाती है तो आप उसे श्री केहर सिंह के पास भेज देते हैं और वह उसे एस० ओ० सी० के पास और वह सी० ओ० के पास और वह उसको ए० सी० ओ० के पास भेज देता है। ए० सी० ओ० उस शिकायत को ले जाकर गांव में दिखलाता है और खिल्ली उड़ाता है। तो मैं चाहता हूं कि आप चकबन्दी में अधिकारियों के खिलाफ जो जांच पड़ताल करायें वह दूसरे अधिकारियों से करायें तो ज्यादा सुविधा हो जाय।

श्री हुकमसिंह विसेन—

उसमें खर्चा होगा, बेकार। लेकिन हम इन्तजाम कर सकते हैं।

श्री चन्दनसिंह—

मैं प्रार्थना करता हूं कि माननीय मंत्री जी एग्रीकल्चरल टैक्स के बारे में भी कुछ कह दें।

श्री उग्रसेन—

हम तो केवल उस समय का जो आपने बढ़ाया है सदुपयोग कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी ने अनुदान पेश करते समय कोई भाषण नहीं दिया। भाषणों के बीच बहुत से प्रश्न माननीय सदस्यों ने उठाये थे। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी को उतना समय दिया गया कि जिसमें वे उन प्रश्नों का समाधान यहां पर कर सकें, लेकिन अगर वे उचित नहीं समझते और आप लोग भी संतुष्ट लगते हैं, तो फिर प्रश्न नहीं पूछने चाहिये।

श्री भगवानदास यादवेन्दु—

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी से, आपके द्वारा यह प्रार्थना है कि वे इस बात को स्पष्ट कर दें कि देहात में जो जमीनें हैं उस जमीन को आप लैंडलेस लेबरर्स में बांटेंगे या नहीं ?

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी, एक प्रश्न दोनों ओर से उठाया गया है और अगर आप स्पष्ट कर दें तो उत्तम होगा। आपने जो हदबन्दी की उसके बाद जो भमि प्राप्त हुई और या जो गांव समाज के पास भूमि है, उसे भूमिहीनों को दी जायगी अथवा नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

१ लाख २७ हजार एकड़ भूमि हमको मिली। उसमें से ५० हजार एकड़ जमीन बांट चुके हैं। उसमें से कुछ पाकिस्तान के रिफ्यूजीज को मिली है और कुछ हरिजनों को मिली है।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १—बृहत जोत कर के अधीन मांग की धनराशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या १—बृहत-जोत-कर के अन्तर्गत ३,८७,००० रुपये की मांग सन् १९६५-६६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २—भू-राजस्व (मालगुजारी) के अधीन मांग की धनराशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या २—भू-राजस्व (मालगुजारी) के अन्तर्गत ९,७७,५३,३०० रूपये की मांग सन् १९६५-६६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४०—दुर्भिक्ष सहायता के अधीन मांग की धनराशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४०—दुर्भिक्ष सहायता के अन्तर्गत ४६,४८,२०० रुपये की मांग सन् १९६५-६६ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ८ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
दिनांक २४ मार्च, १९६५ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८१५ पर)

बेलहरी विकास खण्ड के अन्तर्गत, पिछले वर्ष सन् १९६०–६१ एवं १९६२–६३ में अल्प सिंचाई योजना और पेय जल योजना के अधीन कूप-निर्माण हेतु ऋण लेने वालों तथा अनुदान पाने वालों की सूची।

क्रम-सं०	वर्ष ६१-६२	ऋण लेने वाले का नाम	ग्राम	धनराशि	कूप निर्माण की प्रगति
१	२	३	४	५	६
				रु० पै०	
१	१९६१-६२	श्री कपिल देव तिवारी	मीरूपुर	१,०००.००	कूप नहीं बना है
२	"	" श्री रामेश्वर सिंह	बघौच	८००.००	"
३	"	" जमुना सिंह	यूरास	५००.००	"
४	"	" राम बरत कोईरी	दुर्धला	५००.००	"
५	१९६२-६३	" हरिमंगल गिरि	मेघामट	१,३३०.००	कूप बन गया है
६	"	" रामानन्द सिंह	रहुवा	६२५.००	"
७	"	" ठाकुर तिवारी	दीघनर	८००.००	"
८	"	" दपरी पांडेय	हल्दी	९८५.००	कूप नहीं बना है।
९	"	" रामनगीना चौबे	गंगापुर	८००.००	"

अनुदान पाने वालों के नाम

				रु० पै०	
१	१९६१-६२	श्री बालेश्वर राम	बेलहरी	७००.००	कूप बन गया है।
२	"	" शिवनाथ तिवारी	दीपार	७००.००	"
३	"	" जगदीश पांडेय	"	७००.००	"
४	"	" सुमेश्वरसिंह	नयऊंच	७००.००	"
५	"	" रामजन्म	कोटही	७००.००	"
६	"	" जगरनाथ	बखुवापुर	७००.००	"
७	"	" गया प्रसाद	सोनवानी	७००.००	"
८	"	" श्रीपति पांडेय	"	७००.००	"
९	"	" मुक्तिनाथ दुबे	पच रूखिया	७००.००	"
१०	"	" मुन्नाराम	समरथपार	७००.००	"
११	"	" मुन्नीराम	"	४००.००	"
१२	"	" बालेश्वरराम	दुधैला	४००.००	"
१३	"	" रामसकल	मलकसमरा	४००.००	"
१४	"	" बरनेसर तिवारी	विगहीं	७००.००	"
१५	"	" सूर्य मन उपाध्याय	मोंड़ाडीह	६००.००	"
१६	"	" महादेव सिंह	रोहवां	७००.००	"
१७	"	" राम व्यास उपाध्याय	उदवन्तछपरा	७००.००	"
१८	"	" विशुनदेव सिंह	रोहुवां	७००.००	"
१९	"	" लक्ष्मी नारायण	रेपुरा	२००.००	"
२०	"	" कालिका तिवारी	नेमसमरा	२००.००	"

क्रम-सं०	वर्ष	अनुदान पाने वालों के नाम	ग्राम	धनराशि	कूप निर्माण की प्रगति
१	२	३	४	५	६
				रु० पै०	
२१	६१–६२	श्री रामपाल बहादुरसिंह	बेलहरी	४५०·००	कूप बन गया है।
२२	६२–६३	श्री बालेश्वर चौबे	स्याही	७००·००	,,
२३	,,	,, राम व्यास	उदयन्तछपरा	७००·००	,,
२४	,,	,, रामचन्द्र पांडेय	दिगहर	७००·००	,,
२५	,,	,, बाबूसिंह	दीघार	७००·००	,,
२६	,,	,, उमाशंकर शुक्ला	कृपालपुर	७००·००	,,
२७	,,	,, लालमन राम	बबुवापुर	७००·००	,,
२८	,,	,, राम सेवक	विगही	७००·००	,,
२९	,,	,, जमना राम	दीघार	७००·००	,,
३०	,,	,, रामवचन	मंड़ाडीह	४००·००	,,
३१	,,	,, बालेश्वर	दुधैला	४००·००	,,
३२	,,	,, कामता सिंह	नारायनपुर	७००·००	,,
३३	,,	,, राम नारायन सिंह	बेलहरी	७००·००	,,
३४	,,	,, ब्रह्मदेवराम	कुटेला	७००·००	,,
३५	,,	,, रामाशंकर	पुरास	७००·००	,,
३६	,,	,, परशुराम	मुड़ाडीह	४००·००	,,
३७	,,	,, विजय कुमार	पुराग	७००·००	,,

विधान परिषद सचिवालय

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३० का उत्तर पीछे पृष्ठ ८२० पर)

फर्मों की सूची जिन्हें वर्ष १९६४–६५ में रहट तथा वाशर रहट बनाने के लिये इस कार्यालय द्वारा प्रदेशीय लोहा तथा इस्पात नियन्त्रक, कानपुर को संस्तुति की गई ।

क्रमांक		फर्म का नाम पता सहित	जी० पी० शीट की मात्रा जिसके लिये संस्तुति की गई
१		२	३
१	मैसर्स	नयादर मल एण्ड सन्स, घनश्याम रोड, दादरी, बुलन्दशहर	१० मी० टन
२	,,	बी० सी० यम० फर्क्लिन लि०, १९० सिविल लाइन, बरेली	१५ ,,
			७–५ ,,
३	,,	एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग क०, नैनीताल रोड, बरेली	७–५ ,,
			४–५
४	,,	मन्ना लाल अग्रवाल, आइरन मैनुफैक्चरर्स, मो० दुली, फिरोजाबाद, जिला आगरा ..	२ ,,
५	,,	राम प्रकाश अग्रवाल, आइरन मैनूफैक्चरर्स कामनवार्न स्ट्रीट, फीरोजाबाद ..	२ ,,
६	,,	त्रिवेदी रहट् निर्माणशाला, नाका हिंडोला, लखनऊ	३ ,,
७	,,	भगवती इंडस्ट्रीज, गोशाला बिल्डिंग, जुही, कानपुर–३	२–५ ,,
८	,,	पंचायत उद्योग, सीतापुर द्वारा डी० पी० ओ०, सीतापुर	३ ,,
९	,,	दी प्रेसीडेन्ट ग्राम इकाई लालगिरी द्वारा बी० डी० ओ०, शीतलपुर, जिला एटा ..	३ ,,
१०	,,	डी० पी० ओ०, गाजीपुर	२० ,,
११	,,	डी० पी० ओ०, आजमगढ़	१० ,,
१२	,,	आइरन एग्रीकल्चरल वर्क्स, ओल्ड मेरठ रोड, हापुड़, जिला मेरठ	५ ,,
१३	,,	ताज फैक्टरी, गनेशगंज, लखनऊ ..	५ ,,
१४	,,	किसान फैक्टरी, नाका सतरिक, बाराबंकी..	५ ,,
१५	,,	ओंकार सिंह ऐण्ड सन्स, लोहा मंडी, आगरा ..	२–५ ,,
१६	,,	उत्तम कृषि यंत्र, फतेहपुर, जिला फतेहपुर..	१ ,,
१७	,,	किलमिरी इंडस्ट्रीज जिला फतेहपुर	१ ,,
१८	,,	कलकत्ता इंडस्ट्रीज, विन्दकी, जिला फतेहपुर..	१–५ ,,
१९	,,	बालेश्वर प्रसाद ऐण्ड सन्स, फतेहपुर, जिला फतेहपुर	१ ,,
२०	,,	स्वदेशी फेब्रीको, इलाहाबाद ..	१ ,,
२१	,,	समीम अहमद ब्रदर्स, बहादुरगंज, इलाहाबाद ..	१ ,,
२२	,,	मोडल इंडस्ट्रीज, ११५, के० पी० कक्कड़ रोड, इलाहाबाद..	१ ,,

क्रमांक		फर्म का नाम पता सहित		जी० पी० शीट की मात्रा जिसके लिये संस्तुति की गई	
२३	मेसर्स	चौहान मशनरी स्टोर्स, मलीहाबाद, जिला लखनऊ ।	..	२	मी० टन
२४	,,	सरवन सिंह एंड को०, कोठी रूदौली, जिला बाराबंकी		१	,,
२५	,,	अग्रवाल ऐग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज नाका सतरिख, जिला बाराबंकी		१	,,
२६	,,	भारतीय रहट कृषि यंत्र-निर्माता, नाका सतरिख, जिला बाराबंकी		२	,,
२७	,,	जनता रहट मैनुफेक्चरर्स इंडस्ट्रीज, नाका सतरिख, बाराबंकी		१	,,
२८	,,	सरदार आत्माराम एण्ड संस, रहट मार्केट, नाका सतरिख, बाराबंकी		२	,,
२९	,,	जनता ऐग्रीकल्चरल ऐंड को०, हैदरगंज, जिला बाराबंकी		१	,,
३०	,,	आइरन ऐंड स्टील इंजीनियरिंग वर्क्स, मसौली, जिला बाराबंकी		१	,,
३१	,,	करतार सिंह बल्देव सिंह, जिला आगरा ..		१	,,
३२	,,	रामस्वरूप रमेशचन्द्र, लोहामंडी, आगरा ..		१	,,
३३	,,	स्वदेशी रहट एंड को०, लोहा मंडी, आगरा ..		१	,,
३४	,,	बोधीचन्द्र अग्रवाल, लोहामंडी, आगरा ..		२	,,
३५	,,	ईगल इंडस्ट्रीज, लोहा मंडी, आगरा ..		१	,,
३६		देहाती रहट फैक्टरी, जगनेर, आगरा ..		१	,,
३७	,,	गोविन्द रहट मैनुफैक्चरिंग फैक्टरी आगरा ..		१	,,
३८	,,	जवाहर एग्रीकल्चरल को०, ऐशबाग रोड, लखनऊ		२	,,
३९	,,	अमृत इंडस्ट्रीज वर्क्स, लखनऊ ..		१	,,
४०	,,	स्टेट इंजीनियरिंग वर्क्स, ऐशबाग रोड, लखनऊ		२	,,
४१	,,	रामाधार विश्वकर्मा, जलालपुर, जौनपुर ..		१	,,
४२	,,	पंजाब रहट फैक्टरी, महमूदनगर, इटावा ..		१	,,
४३	,,	सर्वोदय इंडस्ट्रीज, सीतापुर रोड, डालीगंज, लखनऊ		१	,,
४४	,,	विश्वकर्मा रहट फैक्टरी, फर्रुखाबाद, इटावा ..		५	,,
४५	,,	लालता प्रसाद नन्दकिशोर शुक्ला, बिधूना बेला रोड, इटावा (आधा)		–५	,,
४६	,,	भाटिया रहट फैक्टरी, विधूना, जिला इटावा (आधा)		–५	,,
४७	,,	बाबूराम शर्मा रहट उद्योगशाला, विधूना, जिला इटावा (आधा)		–५	,,
४८	,,	बंशल मैकनिकल इंडस्ट्रीज, बन्टिया तालाब, झांसी		४	,,
४९	,,	अमरसिंह सुखदेव सिंह, रहट मैनुफेक्चरर्स, देवीपुर, इटावा		१–५	,,
५०	,,	गोपाल नारायण ऐण्ड ब्रदर्स, इटावा ..		१	,,
५१	,,	सिंह इंजीनियरिंग वर्क्स, एटिया तालाब, झांसी		१	,,
५२	,,	नेतराम शर्मा, इटावा		–५	,,
		योग ..		१५२	

नत्थी 'ग'

सूची

(देखिये तारांकित प्रश्न ३९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८२५ पर)

ब्लाक भाग्यनगर, जिला इटावा के अन्तर्गत मुर्गी पालन हेतु दिया गया अनुदान:—

क्रमांक	व्यक्तियों के नाम	१९६१	१९६२	१९६३	१९६४	कार्य का उद्देश्य
१	२	३	४	५	६	७
१	श्री हबीब खां ग्राम जमुहां	..	२५०.००	..	..	मुर्गीशाला
२	श्री जम्मन खां "	..	..	२५०.००	..	"
३	श्री लालाराम, ग्राम न्यामतपुर,	..	..	२५०.००	..	"
४	श्री विजय सिंह, ग्राम बिनपुरापुर	..	..	२५०.००	..	"
५	श्री कृष्ण मुरारी, ग्राम ककराही,	..	..	१७.५०	..	मुर्गी खरीद
६	श्री हबीब खां "	..	..	१७.५०	..	"
७	श्री झुम्मन खां "	..	..	१७.५०	..	"
८	शौकत अली "	..	..	१७.५०	..	"
९	श्री मोहम्मदी "	..	..	१७.५०	..	"
१०	श्री नजीर खां "	..	..	१७.५०	..	"
११	श्री बसन्त लाल "	..	..	१७.५०	..	"
१२	श्री अब्दुल्ला "	..	..	१७.५०	..	"
१३	श्री मुहम्मद गनी "	..	..	१७.५०	..	"
१४	श्री बालमुकुन्द "	..	..	१७.५०	..	"
१५	श्री ईद खां "	..	..	१७.५०	..	"
१६	श्री बादशाह "	..	..	१७.५०	..	"
१७	श्री गिरीश कुमार, दयालनगर		..	२५०.००	..	मुर्गीशाला
१८	श्री राम सहाय, नब्जैसिंह	..	..	२००.००	..	"
१९	श्री बृजलाल, न्यामतपुर बैहारी		..	२०.००	..	मुर्गी खरीद
२०	श्री राजाराम "	..	..	२०.००	..	"
२१	श्री बाबूराम	..	..	२०.००	..	"
२२	श्री शिवराम "	..	..	२०.००	..	"
२३	श्री राम सरूप "	..	..	२०.००	..	"
२४	श्री कुंवर बहादुर "	..	..	२०.००	..	"
२५	श्री विजय सिंह, बिनपुरापुर ।	..	..	२०.००	..	"
२६	श्री गंधर्व सिंह "	..	..	२०.००	..	"
२७	श्री बटेश्वर दयाल, अलमतपुर सेहुड़		..	२०.००	..	"

१	२	३	४	५	६	७
२८	श्री रामाधीन, बैसुन्दरा	..	..	२०.००	..	पोल्ट्री फेज
२९	श्री कन्हैया लाल, लखनपुर	..	..	२०.००	..	"
३०	श्री हियात अली, सेहुद	..	..	२०.००	..	"
३१	श्री लल्लू प्रसाद, अटा	..	..	२०.००	..	"
३२	श्री अब्दुल बाबा का पुरवा ।	..	..	२०.००	..	"
३३	श्री भोलेराम, कैशनपुर खास	..	..	२०.००	..	"

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८३८ पर)

नकल चिक गैरदस्तनदाजो नं० २ समय १७–३५ बजे तारीख १–१–६५, थाना कोतवाली, फतेहपुर ।

नाम पता वादी—श्री विशेश्वर प्रसाद, स० वि० अ०, तेलियानी ब्लाक ।

नाम पता अभियुक्त १—राम दास अग्रवाल, क्षेत्र विकास अधिकारी, लियानी, फतेहपुर ।

२—चन्द्र शंकर बाजपेयी, सीनियर क्लर्क ।

३—राम स्वरूप चपरासी, तेलियानी

४—एक नया चपरासी, तेलियानी ब्लाक ।

धारा—३२३ ता० हि० ।

नाम गवाहान—सभी दुकानदारान व अन्य दो आदमी ।

तेलियानी ब्लाक फतेहपुर ताः १–१–६५ समय ४ बजे शाम ।

घटना का संक्षिप्त विवरण :—वादी ने तहरीरी इतला किया कि मैं तेलियानी ब्लाक में स० वि० अ० हूं । मुलजिमान उपरोक्त के खिलाफ टंकार पेपर में मेरे ऊपर शक किया और इसी कारण समस्त मुलजिमान ने डंडा और कुर्सियों से मारा है और मेरे हाथों व पैरों में चोटें आई हैं इत्तला दर्ज है ।

ह० विशेश्वर । लेखक—श्री जगत सिंह, एच० सी० ३, १–१–६५ ।

नोट : नकल मुताबिक असल के है । ह० भुगुनाथ, २२–२–६५ ।

INDIAN POSTS AND TELEGRAPH DEPARTMENT

No. 25 C. *Dated January* 1, 1965

D. P. O., Fatehpur, U. P.

Teliyani's Staff has beaten me.

VISHESHWAR.

उत्तर प्रदेश विधान सभा

Examined Shri V. N. Prasad, son of Shri Bhagwati Prasad, resident of Sikandarpur, Ballia, at present working A. D. O., Compost, Teliyani block at 8.45 p. m. on January 1, 1965 at his own request.

(1) Abraision 1/4" ×1/4" on back of left elbow joint covered with clothed blood.

(2) Abraision 3"×1/2" power third rightly front covered clothed blood.

(3) Complain of left thigh middle but no visible infurty is seen.
(4) Abraision 1 1/2" ×1/4" middle left leg front covered with clothed blood.

Injuries are simple Abraision by friction. Injuries are fresh.

I. M. Scar 1×1" Right shoulder blab onber side.

(Sd.) J. VERMA,

L. T. O., V. N. Prasad. ATTESTED

(Sd) P. M. S. I.

Medical Officer,

District Hospital,

Fatehpur, U. P.

उपर पूर्वेश्वर मुखी

नत्थी 'ङ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ८५० पर)

उत्तर प्रदेश लोक-धन (देयों की वसूली) विधेयक, १९६५

राज्य अथवा उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम को दिये जाने वाले कतिपय वर्गों के देयों की शीघ्र वसूली की व्यवस्था के लिये

विधेयक

भारतीय गणतन्त्र के सोलहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

संक्षिप्त शीर्षनाम तथा प्रसार

१—(१) यह अधिनियम लोक-धन (देयों की वसूली) अधिनियम, १९६५ कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

परिभाषाएं

२—जब तक कि प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

(क) "निगम" का तात्पर्य स्टेट फाइनेन्शियल कारपोरेशन ऐक्ट, १९५१ के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम से है;

(ख) "वित्तीय सहायता" का तात्पर्य किसी ऐसी वित्तीय सहायता से है जो—

(१) किसी औद्योगिक उपक्रम की स्थापना अथवा विस्तार करने अथवा उसे चलाने के लिये; या

(२) व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिये; या

(३) पशु-पालन का विकास करने के लिये; या

(४) किसी अन्य प्रकार के योजनाबद्ध विकास के लिये; या

(५) विपत्ति में सहायता के लिये,

दी गई हो;

(ग) "औद्योगिक संस्था" का वही तात्पर्य होगा जो समय-समय पर यथा संशोधित स्टेट फ़ाइनेन्शियल कारपोरेशन्स ऐक्ट, १९५१ में पद "industrial concern" के लिये दिया गया हो;

(घ) "औद्योगिक उपक्रम" के अन्तर्गत कोई ऐसा उपक्रम भी है जो माल के निर्माण, संरक्षण अथवा प्रक्रिया या खनन अथवा होटल उद्योग या यात्रियों अथवा माल के परिवहन या विद्युत् अथवा किसी अन्य प्रकार की शक्ति के जनन या वितरण के लिये, अथवा औद्योगिक आस्थान के रूप में किसी आसन्नवर्ती क्षेत्र की भूमि का विकास करने के लिये हों :

[स्पष्टीकरण—पद "माल की प्रक्रिया करना" के अन्तर्गत किसी पदार्थ पर शारीरिक, यांत्रिक, रासायनिक, विद्युत् या उसी प्रकार की कोई अन्य क्रिया कर के किसी वस्तु को उत्पादित करने, तैयार करने अथवा बनाने के निमित्त कोई कला या प्रक्रिया भी है ;]

(ङ) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है ।

मालगुजारी की बकाया के रूप में कतिपय देयों की वसूली।

३—(१) यदि कोई व्यक्ति—

(क) वित्तीय सहायता के रूप में राज्य सरकार अथवा निगम द्वारा उसको दिये गये किसी ऋण, अग्रिम धनराशि या अनुदान से सम्बद्ध किसी अनुबन्ध में, या

(ख) किसी औद्योगिक संस्था द्वारा लिये गये ऋण के संबंध में राज्य सरकार या निगम द्वारा दी गयी प्रत्याभूति से सम्बद्ध किसी अनुबन्ध में, या

(ग) किसी ऐसे अनुबन्ध में, जिसमें इस बात की व्यवस्था की गयी हो कि राज्य सरकार को तद्धीन देय कोई धनराशि मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल की जायगी,

एक पक्ष हो और ऐसा व्यक्ति—

(१) ऋण अथवा अग्रिम धनराशि या उसकी किसी किस्त का प्रतिदान करने में कोई चूक करे, या

(२) अनुदान की शर्तों के अधीन अनुदान अथवा उसके किसी भाग की वापसी के लिये देनदार हो जाने पर, ऐसे अनुदान अथवा उसके भाग या उसकी किस्त का प्रतिदान करने में कोई चूक करे, या

(३) अन्य प्रकार के अनुबंध की शर्तों का पालन न करे,

तो राज्य सरकार की दशा में ऐसा अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, तथा निगम की दशा में उसका प्रबन्ध-निदेशक, तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि के अधीन वसूली की किसी अन्य रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कलेक्टर को ऐसे व्यक्ति द्वारा देय धनराशि का उल्लेख करते हुये तथा यह अनुरोध करते हुये कि कार्यवाहियों के व्यय समेत वह धनराशि वसूल की जाय, मानो वह मालगुजारी की बकाया हो, एक प्रमाण-पत्र भेज सकता है।

(२) कलेक्टर प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर उसमें उल्लिखित धनराशि मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल करने की कार्यवाही करेगा।

उद्देश्य और कारण

प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार तथा राज्य वित्तीय निगम द्वारा कुटीर तथा लघु उद्योगों के विकास, मुर्गी पालन, बाढ़ द्वारा बह गये या क्षतिग्रस्त मकानों के निर्माण या मरम्मत आदि जैसे विभिन्न प्रयोजनों के लिये ऋण, अग्रिम तथा अनुदान के रूप में पर्याप्त धनराशियां दी जाती हैं । ये धनराशियां ऋणी या उसके जामिनों की निजी जमानत पर अथवा ऋणी द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों (सिक्योरिटी), बन्धों आदि के रूप में जमानत देने पर अथवा भौतिक सम्पत्ति रेहन रखने पर दी जाती है । यद्यपि ऐसे अनुबन्धों में, जिनके अधीन धनराशि दी जाती है, एक ऐसी शर्त होती है कि ऋण या अग्रिम धनराशि अथवा उसकी किसी किस्त का भुगतान न करने पर या किसी ऐसी शर्त का उल्लंघन करने पर जिसके अधीन अनुदान दिया गया हो, उपर्युक्त धनराशि मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल की जा सकेगी तथापि इस संबंध में किसी विधिक व्यवस्था के न होने से ऐसी शर्त के बन्धनकारी स्वरूप के विषय में सन्देह प्रकट किया गया है । अतएव, सरकारी धनराशि की वसूली सुरक्षित करने के और उसकी शीघ्रता से वसूली सुनिश्चित् करने के उद्देश्य से, ऐसी धनराशि को मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल कर सकने के लिये यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है ।

हुकुम सिंह विसेन,
राजस्व मंत्री ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ११७ एल ०ए०—१९६५—८६२ ।